खण्ड-118, अंक-4
गुरूवार, 30 माघ, शक संवत् 1874
(19 फरवरी, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 118 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १९ फरवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह , श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख़्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देव दत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराज, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

बेचन राम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दूबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवान दीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
मही लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, हाफ़िज श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राधवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
राम दास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनरायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री

रामसनेही, भारतीय, श्री
रामसहाय वर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र भारतीय, श्री
रामस्वरूप विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

[१८ फरवरी, १९५३ का स्थगित तारांकित प्रश्न]

राज्य में अन्न की खपत

*४–श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने अन्न की आवश्यकता प्रतिवर्ष होती है ? कितने की कमी पड़ती है और उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—इस सम्बन्ध में माननीय का ध्यान संख्या ३६, जो कि उन्होंने दिनांक ९ जुलाई १९५२ को पूछा था, के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

"यदि इस प्रश्न का मतलब समस्त राज्य की आवश्यकता से है तो सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं जिसके आधार पर उत्तर दिया जा सके। यदि प्रश्न का संकेत केवल राशनिंग व्यवस्था से है तो राज्य में इसके लिये लगभग ७,५०,००० टन अनाज की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है। हर वर्ष जितना अन्न राज्य में खरीदा जा सकता है उसके अलावा बाहर से मंगाकर कमी पूरी की जाती है । औसतन लगभग, २,००,००० टन की कमी पड़ती रही है।"

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि किसी क्षेत्र के संबंध में अभावग्रस्त या आत्मनिर्भर निर्णय का क्या आधार सरकार के पास है ?

श्री बनारसी दास—वह तो वहां की आवश्यकता के अनुसार जहां पर कि अनाज की कमी होती है रीजनल फुड कंट्रोलर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट्स के आधार पर तय करती है कि कौनसा क्षेत्र अभावग्रस्त है और कौन सा नहीं ।

श्री गेंदा सिंह—रिजीनल फुड कंट्रोलर और जिलाधीश लोग किस आधार पर ऐसा निर्णय करते हैं ?

श्री बनारसी दास—वे वहां की आवश्यकता का अन्दाज लगाते हैं, बाजार से अन्दाज लगाते हैं कि यहां पर आया अनाज आसानी के साथ लोगों को मिलता है या नहीं। इसी के आधार पर वह निश्चय करते हैं कि आया वहां बाहर के अनाज की सहायता की जरूरत है या नहीं ।

श्री गेंदा सिंह—इस उत्तर देने के सिलसिले में क्या माननीय अन्न मंत्री जी ने पिछली १० जुलाई को इस सभा भवन में दिये हुये अपने व्याख्यान पर ध्यान दिया है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रश्न उठता नहीं है । १० तारीख को क्या बात हुई, यह साफ होनी चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं याद दिलाऊं ।

श्री अध्यक्ष—आप अपना सवाल स्पष्ट करें।

श्री गेंदा सिंह—१० जुलाई सन् १९५२ को माननीय अन्न मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि उनके पास ऐसे सभी आंकड़े हैं। तो क्या उस बात के स्मरण दिलाने की जरूरत है ?

श्री बनारसी दास—यह तो प्रत्यक्ष है ही। इसमें स्मरण दिलाने की क्या जरूरत है ?

श्री गेंदा सिंह—तो क्या उस आधार पर फिर अन्न-मंत्री जी आंकड़ों को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसकी इजाजत नहीं है। वह उत्तर तो पहले मिल चुका है। इस वक्त जो उत्तर मिला है उस पर आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या भारत सरकार इस प्रदेश को आत्म-निर्भर समझती है, उससे माननीय मंत्री जी भी सहमत हैं ?

श्री बनारसी दास—यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि हमको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये लगभग २ लाख टन अनाज की आवश्यकता प्रतिवर्ष होती है। इसलिये २ लाख टन अनाज की तो हमारे यहां कमी है ही।

श्री गेंदा सिंह—क्या फूड प्लानिंग की स्कीम इस प्रदेश के लिये माननीय अन्न मंत्री जी के सामने है ?

श्री बनारसी दास—वह तो इसके आधार पर अपने प्रांत को निर्भर करने के लिये सिंचाई के साधनों को बढ़ाने और जमीन को रिक्लेम करने के लिये सारी योजनायें सरकार के सामने हैं और कई मर्तबा सदन के सामने रखी जा चुकी हैं जिनसे हम आशा करते हैं कि दो तीन साल के अन्दर हमारा प्रांत आत्मनिर्भर हो जायगा ।

(१९ फरवरी, १९५३ के प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

न्यू गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ के भवन का क्रय

*१—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—क्या उद्योग मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि न्यू गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को बिलिडंग तथा उससे संबंधित भूमि यू० पी० सरकार ने कब और किस कीमत पर खरीदी ?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—न्यू गवर्नमेंट प्रेस ऐशबाग, लखनऊ, के लिये ऐशबाग शूगर फैक्ट्री की भूमि तथा बिल्डिंग ४ अक्तूबर, १९४८ ई०, को प्राप्त की गई और जिलाधीश लखनऊ के award के अनुसार फैक्टरी के मालिकों को १०,७३,५६२ रु० १५ आ० मुआविजे में दिया गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जो बतलायेंगे कि पी० डब्ल्यू ०डी० के द्वारा जो इस बिल्डिंग के लिये तखमीना मांगा गया था वह कितने रुपये का था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—जिलाधीश का जो अवार्ड है उसमें पी० डब्ल्यू० डी० के तखमीने पर खयाल कर लिया गया था। यह तो इस वक्त मौजूद नहीं है कि वह कितने का आया था लेकिन जो दिया गया उसकी फिगर्स दी जा सकती है यदि माननीय सदस्य चाहें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि १०,७३,५६२ रुपये १५ आने में ७३,५६२ रुपये १५ आने देर से अदायगी के सिलसिले में व्याज सरकार को देना पड़ा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—यह सही नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि इसी बिल्डिंग और भूमि के लिये इस भूमि के मालिक बिड़ला ब्रादर्स से साढ़े पांच लाख रुपये पर बातचीत हो चुकी थी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---ऐसा कोई इत्तिला सरकार के पास नहीं है।

जिला अल्मोड़ा के दारमा जोहार के लोगों के व्यापार में शिथिलता

*२---श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---(जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा के दारमा जोहार के लोगों का तिब्बत का व्यापार तिब्बत के चीन के अधीन हो जाने के कारण समाप्त हो गया है और दारमा जोहार के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जी नहीं।

*३---श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार उक्त स्थानीय जनता को आर्थिक सहायता देकर उन्हें भेड़ पालने व ऊन के व्यौपार को पुनः स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देने का इरादा रखती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---इस प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भेड़ों तथा ऊन की उन्नति के संबंध एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार के पास बोर्डर इलाके के दारमा जोहार के लोगों का सहायतार्थ कोई प्रार्थना पत्र आया था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---यह इत्तिला इस वक्त नहीं दी जा सकती।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि जोहार बंधुओं का एक डैपुटेशन मुख्य मंत्री जी और उपमंत्री जी से मिला था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---मिला होगा।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार बतला सकेगी कि इस डेपूटेशन के ब सरकार ने कोई कदम उठाया ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जैसा कि अभी बतलाया जा चुका है, इन इलाकों की उन्नति के सिलसिले में एक योजना विचाराधीन है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार भेड़ तथा ऊन की उन्नति के सिलसिले में जो योजना है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---चूंकि बजट आपके सामने आने वाला है उसी में इसकी डिमांड भी रखी जायगी। जब तक वह पेश न हो जाय कुछ नहीं कहा जा सकता है।

*४---श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---[१६ मार्च, १६५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*५---श्री गौरी राम---(जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ....पर]

*६---७---राजा वीरेन्द्र शाह---(जिला जालौन) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ १६४ पर।]

*८—१०—श्री झारखंडे राय—(जिला आजमगढ़)—[१६ मार्च, १९५३ के लिये सं०: ५-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*११—१३—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—[२३ मार्च, १९५३ के लिये सं० ५—७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

मुडेरवा जिला बस्ती की चीनी मिल का विलम्ब से चालू किया जाना

*१४—श्री इस्तफ़ा हुसैन—(जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि मुडेरवा जिला बस्ती की शुगर मिल अभी तक चालू नहीं हो पाई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी नहीं, मुडेरवाकी शुगर मिल दिसम्बर १५-१९५२ को चालू हो गई है ।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह मिल इस साल इतनी देर से क्यों चली ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—१५ दिसम्बर तो कोई खास देर नहीं है । नवम्बर में फरवरी का काम होता है । बाज जगह कुछ स्टाक था। इसलिये सफाई की वजह से भी कुछ देर हो गई ।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार को इस बात का इल्म है कि मिल मालिकों में कुछ झगड़े होने की वजह से यह मिल देर में चल पाई ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—नोटिस की जरूरत है।

शरणार्थियों के लिये गोविन्दपुरी कालोनी बसाना

*१५—श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि शरणार्थियों के लिये गोविन्दपुरी कोलनी कब तक बनना शुरू हुई ? उसका ठेका किसको दिया गया और वह कितने मकान और दुकानें बनाने का तथा कितने रुपयों का था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—शरणार्थियों के लिये गोविन्दपुरी कालोनी बनाने का काम जुलाई, १९४९ में शुरू हुआ। उसके बनाने का कार्य सर्वश्री मोदीनगर कन्सट्रक्शन्स, मोदीनगर को दिया गया। यहां पर ५,००० मकान तथा दुकानें बनाने की योजना थी। कोई ठेका नहीं दिया गया था। परन्तु सरकार ने कम्पनी को इस कार्य के लिये ३५ लाख रुपया कर्जा देना मंजूर किया था।

*१६— श्री मदनमोहन उपध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अब तक इस कौलनी पर कितना रुपया खर्च हो चुका है ? कितने मकान और दुकानें बन चुकी हैं और कितने शरणार्थियों को उसमें बसाया जा चुका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—उपर्युक्त ३५ लाख रुपये में से अब तक केवल ३० लाख रुपया कम्पनी ने क़र्ज़ लिया है। अब तक ९२४ मकान, ४३ दुकान तथा ८२ मकान व दुकान (Shop-*cum* residences) और २३ फैक्टरियां बन चुकी हैं। लगभग ५,००० शरणार्थी उनमें बसाये जा चुके हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि क्या इस योजना के अन्तर्गत सिनेमा बनाना भी जरूरी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यों तो जहां आबादी होती है वहां उनकी तफरीह के लिये सामान होना भी बहुत जरूरी है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि सरकार ने ३५ लाख रुपया इस कंपनी को इसलिये क़र्जा दिया था कि यहां पर २५ हजार शरणार्थी बसाये जायेंगे?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जब ५ हजार मकान बनेंगे और अगर हर मकान में ५ आदमी भी समझें जायं तो २५ हजार आदमी हो जाते हैं।

*१७— श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार को पता है कि बहुत से नये मकान जो कि इस कालोनी में बसाये गये हैं अब जीर्ण अवस्था में हैं और वर्षा में चूते हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कालोनी में मकान जीर्ण अवस्था में नहीं है। बरसात में जो मकान चूते हैं उनकी मरम्मत निर्माणकर्ता करता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि ये मकान बनाने की जो व्यवस्था थी अभी तक सिर्फ ६२४ मकान बने हुये हैं और रुपया मकानों के लिये ३० लाख दिया गया था तो क्या जो रुपया दिया गया था वह किसी और काम में लगाया गया है। या मकान बनाने के काम में भी लगाया गया है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—रुपया मकान बनाने के लिये ही दिया गया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि ३० लाख रुपये में इतने ही मकान बने या आगे भी उन रुपयों से बनने वाले हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जरूर बनेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार को विदित है कि जो ५ हजार आदमी बसाये गये हैं उनमें से ७५ फीसदी आदमी मोदी इंडस्ट्रीज के काम करने वाले लोग वहां किराये पर रक्खे गये हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—ऐसे कोई ठीक फीगर्स तो मालूम नहीं लेकिन यह हो सकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यहां पर अभी तक न कोई पुलिस स्टेशन, न पोस्ट आफिस, न सिनेमा घर बना है जैसा कि पहले प्रपोजल था, ये सब चीजें कब तक वहां बन जायंगी?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह बताना मुश्किल है कि यह सब कब तक ठीक हो जायगा।

राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट गोरखपुर, में मान्यता प्राप्त विद्यार्थी यूनियन

*१८—श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, गोरखपुर, में कोई मान्यता प्राप्त विद्यार्थी यूनियन है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां।

श्री केशव पाण्डेय—विद्यार्थी यूनियन की नियमावली क्या सरकार की ओर से बनायी गयी थी या विद्यार्थियों ने स्वयं बनाई?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—विद्यार्थी यूनियन ने ही बनाई थी लेकिन मान्यता मिलने से पहले उन्होंने नियमावली हमारे पास भेजी थी वह यहां से अप्रूव की गई।

*१९—श्री केशव पाण्डेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस यूनियन के विद्यार्थी किसी माननीय मंत्री से अपने हित के लिये मिल नहीं सकते? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इस यूनियन के विद्यार्थी किसी भी मंत्री से अपने अधिकारियों की आज्ञा प्राप्त करने के बाद मिल सकते हैं।

श्री केशव पांडेय—क्या सरकार यह बतायेगी कि अधिकारियों से मिलने के लियें क्या कोई शरायत है जिनके मातहत उनको आज्ञा दी जाती है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह तो एक व्यवहारिक बात है क्योंकि उनकी ज्यादा-तर बातों का संबंध प्रिन्सिपल से होता है और उनकी बहुत सी शिकायतें उनसे ही मिलने पर दूर हो सकती हैं अगर कोई ऐसी बात हुई जिसे वे नहीं कर सकते तो वे डिप्टी डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज से मिलकर तय कर सकते हैं। काम को हल्का करने के लिये यह तरीका रखा गया है। अगर वे भी कुछ नहीं कर पाते तो वे मंत्री से मिल सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि सीधे विद्यार्थियों से शिक्षा मंत्री या सरकार को मिलने में क्या आपत्ति है?

श्री मुहमम्द रऊफ़ जाफ़री—कोई खास आपत्ति तो नहीं है लेकिन इस तरह से उनका भी वक्त जाया होता है और मंत्रियों का भी।

* * *

फरेंदा तहसील जिला गोरखपुर के जंगल-विभाग की सड़कों पर व्यय

*५—श्री गौरी राम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील में जंगल विभाग की कौन कौन सी सड़कें टेस्ट वर्क के रुपये से कितनी लम्बी बनी और उस पर क्या व्यय हुआ?

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पष्ठ २१५ पर)

ग्राम हरचन्दपुर जिला जालौन में गोली काण्ड के शहीद।

*६—राजा वीरेन्द्र शाह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम हरचंदपुर, (भूतपूर्व वाउनी राज), कालपी तहसील जिला जालौन में गोली कांड में कितने लोग शहीद हुये, उनके नाम क्या हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सितम्बर, २५, १९४७ ई० को वाउनी रियासत में गोली चलने पर जनता के ११ लोग मारे गये। उनके नाम ये हैं :—

१—श्री लल्लू सिंह
२—श्री कालिया
३—श्री दीनदयाल
४—श्री बलवान सिंह
५—श्री ठकुरी सिंह
६—श्री बाबू राम
७—श्री उजागर
८—श्री जगन्नाथ
९—श्री बिन्दा
१०—श्री मन्नू
११—श्री श्रीराम

*७--राजा वीरेन्द्र शाह (अनुपस्थित)---क्या इन शहीदों के परिवारों को कोई पेन्शन देना तै हुआ था ? यदि हां, तो क्या और आज तक कितनों को दी जा चुकी है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---विलीनोकरण के बाद पेन्शन देना तय हुआ और २१ रु० माहवार इनके वारिसों को दिया जा रहा है।

* * * *

अतारांकित प्रश्न

विलीन बाउनी राज, जिला जलौन के कर्मचारी

१---राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाउनी राज (जिला जालौन) के उत्तर प्रदेश में विलीन होने के बाद कितने इस राज्य के कर्मचारी सरकार ने नौकरी पर रक्खे, कितनों को पेन्शन देना तै किया, तथा कितने को सहायता व गुजारे के रूप में दे रही है ? क्या सरकार इस सूचना की एक सूची देगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---१२९ कर्मचारियों को नौकरी दी गयी। बाक़ी कर्मचारियों में से ३५ स्थायी थे जिनमें से कुछ के लिये पेन्शन या मोआवजा मंजूर किया जा चुका है और कुछ के बारे में नियमानसार कार्यवाही हो रही है। गुजारे के रूप में सहायता नहीं दी जा रही है।

टेक्निकल एजूकेशन लोन्स के नियम

२---श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार की ओर से जो टेक्निकल एजूकेशन लोन्स दिये जाते हैं उसके नियम क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजूकेशन लोन्स रूल्स की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१६ पर)

३---श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार ने १९५२-५३ ई० में विद्यार्थियों को उपर्युक्त कार्य के लिये लोन्स दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन विद्यार्थियों के नाम तथा उनके अध्ययन क्रम और लोन के धन को बताने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह---(अ) जी हां।

(ब) जिन व्यक्तियों को इन नियमों के अन्तर्गत सन् १९५२-५३ में ऋण दिया गया उनकी सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२३ पर)

श्री झारखंडे राय द्वारा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---झारखण्डे राय जी की तरफ से एक कामरोको प्रस्ताव आया है। वह जिन शब्दों में है वह आपत्तिजनक है और उसकी भाषा भी इस क़िस्म की है कि मैं उसको मंजूरी नहीं दे सकता।

यू०पी०मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स १९३५ तथा मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४० में प्रस्तावित संशोधनों का मेज पर रखा जाना।

परिवहन मन्त्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से यूनाइटेड प्राविंसेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २१ के अन्तर्गत यू०पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५,के नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन से संबंधित विज्ञप्ति संख्या२१२३-टी० पी०/३०-११७ (४) टी०-५२, दिनांक १५ अक्तूबर, १९५२, सदन द्वारा मत व्यक्त करने के लिये मेज पर रखता हूं।

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से मोटर वेहिकिल्स, ऐक्ट १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत विज्ञप्ति सं० ४६५७-टी०पी०-३०-१४२ (२६) टी०-५२, दिनांक २८ नवम्बर, १९५२ को भी जिससे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के रूल८१ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जो माननीय परिवहन मंत्री जी ने नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन मेज पर रखा है उसके विवाद के लिये यदि कोई समय नियत कर दिया जाय तो ठीक होगा क्योंकि आज तो आय-व्ययक पर विवाद होने वाला है, इसलिये इसके लिये अलग दिन नियत कर दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय परिवहन मंत्री को कुछ कहना है कि कब इसके बारे म विचार होगा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह तो श्रीमान् ही निर्णय कर सकते हैं। मैं तो उसके लिये बराबर तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—इस पर बाद में विचार होगा और उसका निर्णय बतला दिया जायगा।

वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, यों तो हमारी प्रादेशिक सरकार को अपनी पंचवर्षीय योजना पर बहुत फ़ख्र है लेकिन यह चौथा बजट एक साल में पेश होना इस बात का सबूत है कि हमारी प्रादेशिक सरकार के पास यों ही कोई योजना नहीं है और कम से कम बजट के संबंध में तो कोई योजना है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय अन्न मंत्री जी की तरफ से माननीय गेंदा सिंह जी के प्रश्नोत्तर के संबंध में उत्तर दिया गया है और पिछले साल भी माननीय अन्न मंत्री जी ने बतलाया था कि हमारे प्रदेश में कितने अन्न की आवश्यकता होती है, कितना उपजता है, उसकी जानकारी उस क्षेत्र के लिये तो हमारी प्रादेशिक सरकार को है जहां कि राशन सप्लाई होता है लेकिन पूरे प्रान्त की क्या अवस्था है, इस फूड प्राबलम के संबंध में हमारी सरकार अंधकार में है। इसके अलावा हमारे देश में कितना अन्न है, कितनी कमी है और उसे पूरा करने का क्या उपाय किया जाना चाहिये, हमारी सरकार के सामने ऐसी कोई योजना नहीं है। बजट के संबंध में भी हमारी सरकार नहीं है। इस संबंध में मैं बतला सकता हूं पहला पूरक बजट तो हमने पिछली विधान सभा से पास कराया, दूसरा जुलाई में मूल बजट की शकल में आया, तीसरा सप्लीमेंटरी बजट सितम्बर में इस सदन के सामने आया और चौथा बजट यह है जो करीब सवा दो करोड़ का है जो इस सदन के सामने रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी जानता हूं और सदन के सभी मेम्बर जानते हैं कि मूल बजट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने रखा था उसमें ४ करोड़ रुपये का डेफिसिट था। डेफिसिट बजट के बाद दो सप्लीमेंटरी बजट के जरिये से सवा तीन करोड़ रुपया इस विधान सभा से मनवाना और स्वीकार कराना किसी सरकार की आर्थिक नीति के दिवालियापन के सिवा और क्या प्रदर्शित करता है ? असल बात यह है कि अगर

हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब मूल बजट में ४ और सवा तीन करोड़ का डेफिसिट दिखलाते तो यह बदनामी हो सकती थी कि हमारी प्रादेशिक सरकार के बजट में सवा ७ करोड़ की कमी है लेकिन विधान सभा के सदस्यों के सामने एक चतुर डाक्टर की तरह या एक क्लेवर डाक्टर की तरह कई डोजेज में इस कड़वी घूंट को विधान सभा के सदस्यों के गले के नीचे उतारे जाने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रादेशिक सरकार का यह रवैया रहा है कि साल के शुरू में तो एक बहुत सुनहरी तसवीर, एक रोजी पिक्चर उसके द्वारा रख दी जाती है कि हम सेक्योरिटी सर्विसेज पर कम खर्च कर रहे हैं और सोशल सर्विसेज पर ज्यादा खर्च करना चाहते हैं लेकिन अन्त में मनमाना तरीके से इसे खर्च किया जाता है। यदि किसी खास मौके पर ऐसी जरूरत पड़ जाय तो बात दूसरी है लेकिन जब एक मर्तबा विधान सभा से किसी विभाग के लिये बजट स्वीकृत हो जाय तो फिर उसे मनमाना तरीके से खर्च करना कि उसे हम अपने बहुमत के बल पर मनवा लेंगे, इस बिचार से बार–बार पूरक बजट पेश करना मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेटिक उसूल नहीं है । आमतौर पर जो भी सरकार हो वह हर बजट के पहले फाइनेंस एकाउन्ट अवश्य सबमिट करती है लेकिन हमारी सरकार पिछले दो तीन सा लसे फाइनैन्स एकाउन्ट नही सबमिट कर रही है। हमारे सामने अभी सन् १९४९–५० के फाइनेंस एकाउन्ट उपलब्ध हैं। फाइनेंस एकाउन्ट ही एक ऐसा साधन होता है जिसके जरिये हम जान सकते हैं कि किस विभाग पर क्या खर्च हुआ और कितना नहीं खर्च हुआ। बजट के शुरू में हमें सारी बातों की जानकारी इसी से हो सकती है। नमूने के तौर पर मैं आपके सामने जो सन् १९४९ का फाइनेंस एकाउन्ट उपलब्ध है उसके कुछ आंकड़े उपस्थित करना चाहता हूं। सामान्य प्रशासन बजट में ३ लाख ७३ हजार रुपये की वृद्धि हो गयी, न्याय विभाग में ५ लाख २९ हजार रु० की वृद्धि हो गयी पुलिस के लिये १,१४,४०० रुपये की वृद्धि हुई है। अगर सोशल सरविस को देखा जाय तो शिक्षा में २७,३०,००० रुपये कम कर दिये गये हैं। चिकित्सा में २०,६०,००० रुपया कम कर दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में ७,१८,००० रुपया कम कर दिया गया है। ग्राम सुधार में १०,८२ हजार रुपया कम कर दिया गया है। नागरिक निर्माण कार्य के लिये ४६,५० हजार रुपया कम कर दिया गया है। श्रीमन्, फाइनेंन्स अकाउन्ट ही एक ऐसा जरिया था कि जिसके जरिये से हम सही मायनों में जान सकते थे कि बीच बीच में सरकार ने कितना हेर फेर किया है जिसके सही आंकड़े यहां पर नहीं रखे गये। उससे हम आसानी से पता लगा सकते थे लेकिन हमारी प्रादेशिक सरकार मे इस प्रथा को बन्द कर दिया है। मुझे आशा है कि कम से कम हमारे इस संकेत पर वह अगले साल के बजट में पूरा अकाउन्ट हमारे सामने रखेगी ताकि विधान सभा के सदस्य सही मायनों में जान सकें कि सरकार खुद कितनी रकम की हेरफेर करती है।

सप्लीमेंटरी बजट को देखने पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं ४,५ ग्रांट का उदाहरण देकर आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर यह मूल बजट में पेश नहीं किया गया तो सितम्बर ५२ के सप्ली-मेन्टरी बजट में पेश किया जा सकता था। उस समय हम उसको आसानी से बजट में समावेश कर सकते थे लेकिन सरकार ने वैसा नहीं किया और बड़ी बड़ी रकम कई बार हमारे सामने पेश करके पास करा ली जाती। उदाहरण के लिये मैं ग्रांट नम्बर ७ को लेता हूं जिसमें, ५,१४,३०० रु० की मांग की गई है। यह मोटर गाड़ियों के ऐक्ट के कारण व्यय बतलाया गया है। इसके बारे में प्रादेशिक सरकार को पहले से जानकारी होनी चाहिये थी । अगर यह मूल बजट के अन्दर नहीं आ सकी तो सितम्बर के सप्लीमेंटरी बजट में आना चाहिये थी। ग्रांट नम्बर ३६ में रियासतों के लिये ९२,३०० रुपये का खर्चा बताया गया है। जब यह रियासतें विलीन हुई थीं सन् १९५० ई० में तब से यह रियासतों के लोग इस काबिल अब तक नहीं हो सके कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो वहां राजनैतिक लोगों को यह रुपया दिया जाता है। ग्रांट नम्बर ४० पर १,८५,५०० रुपये की मांग की गई है जो कल्याणपुर बस्ती के लिये सुधार के वास्ते है। इसका समावेश भी पहले बजट में हो सकता था और उसके बाद के अनुपूरक बजट में भी इसका समावेश किया जा सकता था लेकिन वह नहीं किया गया। ग्रांट नम्बर ४८ पर ३,६०,००० रुपये की मांग की गई है जो शरणार्थियों के मकानों के बनाने के बारे में है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उसका समावेश भी आसानी से पहले के बजटों में हो सकता था लेकिन इस पर भी हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं यह समझता हूं कि उसकी आदत इसी तरह के कामों को करने की हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मिसाल के तौर पर आपका ध्यान ग्रांट नम्बर ४६ और ४४ की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह पुलिस की इमारतों के संबंध में है। उसके बारे में पेज ५३ पर यह लिखा हुआ है कि "सामान्यतया पुलिस की कई इमारतों की हालतब हुत ही खराब है, कई इमारतें तो टूट फूट गई हैं और अब उनकी मरम्मत कराने से कोई लाभ नहीं है। कुछ इमारतें गिर चुकी हैं और कुछ की हालत है कि वे किसी समय गिर सकती हैं। इसलिये पुलिस इमारतों की मांग पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि वित्तीय कठिनाई के कारण इस प्रयोजन के लिये मूल बजट में धन की व्यवस्था नहीं की जा सकी"। इसके लिये ५,९३,५१७ रुपये की आवश्यकता है। लेकिन उसके लिये १,०७,५०० रुपये की व्यवस्था की गई है। यह अजीब बात है कि बरसात के पहले जब कि उसके लिये समय था सितम्बर में या जुलाई में उस समय के बजटों में इसको पेश नहीं किया गया। इस तरह की बातों की तरफ सरकार अपनी तवज्जह नहीं करती है। इस कारण जो वह इस प्रकार के आंकड़े हमारे सामने रखती है वह हमारे लिये एक मजाक की बात हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय, पेज ५२ पर गौर करने पर अजीब परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है। निहालुद्दीन साहब ने पिछले साल के बजट पर बोलते हुये कहा था कि यह बजट तो बिगड़े हुये रईसजादों का बजट है तो उस समय हमारे कांग्रेसी दल के सदस्यों ने आक्षेप लिया था कि इस किस्म का रिमार्क नहीं होना चाहिये। लेकिन अनुदान संख्या ४४ को अगर देखा जाय तो बड़ा मनोरंजक लगता है। इसमें है।

"कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत"

नवम्बर, १९५१ ई० में १९५२ ई० के कलेन्डर वर्ष के लिये जितनी उर्वरक की आवश्यकता थी उसकी सूचना भारत सरकार के पास भेज दी गयी थी और उससे कुल मिला कर ४१,००० टन उर्वरक इस राज्य के लिये निर्धारित करने के लिये कहा गया था। १९५२ ई० के अन्त में कलेन्डर वर्ष के अन्त में डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल खाद्य तथा पुनर्वासन, नई दिल्ली से यह सूचना मिली कि उर्वरकों के हिसाब में राज्य सरकार के नाम काफ़ी बड़ी धनराशि पड़ी है और सम्पूर्ण बजट स्थिति पर फिर से विचार किया गया। एहतियात के तौर पर भारत सरकार से कहा गया कि वह १९५२ ई० के लिये निर्धारित किये अमोनियम सल्फेट के कोटे को और भेजना बन्द कर दे। सारी स्थिति पर पुनर्विचार करने से ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार के शेष कोटा न भेजने के लिये कहने के बाद भी राज्य सरकार के नाम लिखी नई धनराशि या उस धनराशि को जिसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई है पूरा करने के लिये १,४८,७३,००० रु० की कुल धनराशि की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, भारतीय सरकार के खाते में हमारे नाम कितना रुपया बढ़ता जाता है और कितने का वह सामान फर्टिलाइजर की शक्ल में मंगाती है उसका कोई ध्यान ही नहीं है। तो यह अगर किसी बिगड़े हुये रईसजादे का बजट न कहा जाय तो क्या कहा जाय? सामान चला आ रहा है, बजट का पता नहीं! आखिर में जब हिसाब किसी व्यापारी की तरह से आया तो उसके बाद इन्कम्बर्ड इस्टेट ऐक्ट की तरह एक बिल लाकर उसका सहारा लिया जाता है। तो इस तरह से ऐसी काफी मदें इसमें हैं जो बड़ी मनोरंजक हैं और मैं समझता हूं कि किसी प्रान्तीय सरकार के लिये जो शासन का भार अपने ऊपर लिये हुये हैं और साथ ही साथ हमारे होम मिनिस्टर साहब को यह फख्र भी है कि यह देश का सबसे बड़ा सूबा है उसके लिये तो कम से कम यह नामुनासिब बात है।

बजट में, अध्यक्ष महोदय, और भी ऐसी बातें हैं जो बड़ी मनोरंजक हैं । १ लाख ८४ हजार रुपये के जरिये डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के लिये ८ बंगले बनाये जाने वाले हैं। इसका भी समावेश आसानी से मूल बजट में हो सकता था या सप्लीमेंटरी बजट में हो सकता था। दारुलशफा के कौंसिलर्स रेजीडेंस के बारे में जो हमारा कड़ुवा अनुभव है उसको हम बताना चाहते हैं। हम भारतीय लोग जबर्दस्ती अमरीकन बना दिये गये। हम भारतीय लोग रात को बाहर सोने के आदी हैं। लेकिन विधान सभा के ४३१ सदस्य रात में कमरा बन्द करके बाहर सोने की व्यवस्था न होने के कारण पंखे के गर्म हवा में रात काटने पर मजबूर किये जाते हैं। एक सलाह तो मैं यह दे देना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर्स के लिये जो बंगले बनवाये जायं कम से कम उनमें तो भारतीयता रखी जाय। दूसरी बात यह है कि जब कि हमारे बजट में ७ करोड़ का घाटा है तो ऐसी हालत में इतनी बड़ी रकम लगाने की क्या आवश्यकता थी और जब कि इसी सप्लीमेंटरी बजट में शरणार्थियों के लिये जो मकान बनाये जाने वाले हैं उनमें ६०० रुपये फी मकान लागत लगेगी ? पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के लिये २३ हजार रुपये की लागत का बंगला बने यह ऐसे आर्थिक संकट के समय में मेरी समझ में बात आती नहीं है। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट हाउस में भी काफी जगह है और वहां उनको रक्खा जा सकता है और दूसरे जितने भी मिनिस्टर्स के बंगले हैं उनमें पार्टीशन करके आसानी के साथ उनको रखा जा सकता है। सचमुच अगर ७ करोड़ के डेफिसिट को गवर्नमेंट पूरा करना चाहती है तो इस तरह कदम उठाया जा सकता है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हमारे न्यायालयों की हालत तो जैसी है वैसी ही । हमारे गरीब, दीन हीन किसानों को इतनी मुसीबत उठानी पड़ती है कि एक एक मुक़दमा कई कई साल से पड़ा हुआ है और कोई सुनवाई नहीं होती है। अफसरों की तादाद बढ़ती जाती है और मुकदमों की सुनवाई की तादाद कम होती जाती है। ऐसी हालत में १ लाख ३० हजार रुपये लगा कर पांच लिफ्ट हाई कोर्ट में लगाने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। उसके साथ साथ एक और मनोरंजक बात है। लाइब्रेरी की संगमरमर की लाइनिंग की तरह चीफ़ जस्टिस के आफिस से लायब्रेरी तक जो गलियारा है उसको बनाने के लिये ६ हजार रुपये के संगमरमर की व्यवस्था की गयी है। आखिर इस खूबसूरती की क्या जरूरत थी जब कि हम एक ऐसे फ़िनैन्शल क्राइसेस से गुजर रहेहैं ? एक तरफ़ २३ हजार रुपया वह और दूसरी तरफ़ ६ सौ रुपया वह । तो कम से कम जो मकान शरणार्थियों के लिये बनाये जा रहे हैं उसमें १०० मकान डिप्टी मिनिस्टर्स के लिये इस रुपये से और बन सकते थे। लेकिन हमारी सरकार अपने बहुमत के गर्व पर मस्त हैं । उसको क्या फिक्र है कि कोई योजना बनायी जाय और कम से कम ग्रॉट्स को देख कर सही मानी में इस सदन के सामने रखा जाय ? मैं समझता हूं कि यह नामुनासिब मांगे हैं जिनको विधान सभा के सदस्यों को नहीं स्वीकार करनी चाहिये। शायद हमारी गवर्नमेंट ने सोचा है कि मुकदमों के फैसलों में जो देर होती है अगर जज लिफ्ट से जाया करें तो उससे हमारी गरीब जनता को जल्दी न्याय मिलने में सहूलियत हो जायगी। अगर यह बात है तो मैं अपनी सरकार की समझबूझ की तारीफ करूंगा।

५५ हजार रुपया करघा फैक्टरीज और रंगने की फैक्टरी के लिये रखा गया है । लेकिन यह सप्लीमेंटरी बजट में आने वाली चीज नहीं है। साथ ही साथ जहां ५५ हजार रुपये इसके लिये मांगे जा रहे हैं वहां हमारी सरकार की इतनी जानकारी कम है कि अभी कई बार यह प्रश्न उठाया गया कि हमारे प्रदेश के बुनकरों की हालत बहुत खराब और नाजुक है। मैं अपने जिले के टांडा कस्बे के बारे में बतलाता हूं वहां एक विशेष प्रकार की छींट बनती थी। उसे सिर्फ नैपाल के लोग प्रयोग करते हैं। वहां के लोग उसको धार्मिक त्यौहारों आदि के संबंध में उसको ज्यादा पसन्द करते हैं। मेरी निजी जानकारी है कि एक करोड़ रुपये की छींट हमेशा टांडा से वहां जाया करती थी। प्रादेशिक सरकार ने उस पर रोक लगा दी और इस एक करोड़ के व्यापार में खलल डाल देने से कितनी दुर्दशा उन करघे चलाने वालों की हो गयी है लेकिन प्रान्तीय सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। हो सकता है कि नैपाल से चावल और दूसरी चीजें मंगायी जायं लेकिन एक करोड़ रुपये की छींट की व्यवस्था आसानी से की जा सकती थी।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रान्तीय सरकार को इस बात का फख्र है कि न हमारे प्रदेश में शोषण है और न भय। और विरोधी दल के लोगों पर आमतौर से यह आरोप लगाया जाता है कि भय की बात कह आप गैरजिम्मेदारी का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह खुला सच है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बड़े बड़े नारे बुलन्द करके, भय दिखा कर, देश की जनता को अपने साथ चिपकाने की कोशिश करते हैं। आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश के प्रधान मंत्री का इसमें काफी हाथ है। पिछले चुनाव के जमाने में यह नारा लगाया गया कि जन संघ, रामराज्य परिषद्, हिन्दू महासभा बढ़ती जा रही है। और उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि देश के चार करोड़ मुसलमान कांग्रेस की दुम में बंध जायं और इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं कि वह मुसलमानों को कांग्रेस के साथ चिपकाने में सफल रहे।

कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, अध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकारी है। उसका संगठन इस देश में नहीं है। कोई ऐसा संगठन नहीं है जिससे राजसत्ता को वह अपने कब्जे में कर सकें। लेकिन वक्त पर देश और प्रदेश के कांग्रेसी नेता हमेशा कम्युनिस्टों का हव्वा खड़ा करके देश की जनता को अपने साथ चिपकाये रखना चाहते हैं। भय का नारा हम बुलन्द नहीं करते। एक आवाज—कम्युनिस्टों की तादाद इस देश में आपसे ज्यादा है। यह आप का भ्रम है। हमारे देश की विभिन्न पार्टियों की स्थिति न जानने के कारण ही आपको इतना भ्रम हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी जितनी छिन्न-भिन्न और जितना असंतोष उसमें है उतना किसी पार्टी में नहीं। दूसरा नम्बर अगर कांग्रेस दल के लोग कहलवाना ही चाहते हैं तो कहना ही पड़ता है कि दूसरा नम्बर कांग्रेस पार्टी का है।

तो अभाव की बात कही गयी कि हमारे प्रदेश में अभाव कहां है। हमारे प्रदेश की जनसंख्या सवा छः करोड़ की है उसमें दो करोड़ आदमियों को एक वक्त ही किसी न किसी प्रकार भोजन मिल पाता है दूसरे वक्त नहीं। हमारे गृह मंत्री को इस बात का फख्र हो सकता है कि जमींदारी के खात्मे से और नये पूंजीपति न पैदा होने से शोषण का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय गृहमंत्री और सरकारी दल वाले लोग और विधान सभा के सदस्य इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। अगर्चे जमींदारी टूट गयी है। लेकिन नीचे के स्तर पर पुलिस, जमींदार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे के कर्मचारियों का गठबन्धन ज्यों का त्यों है और यह भी कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस सरकार जो किसानों की अवस्था में सुधार करना भी चाहती है तो जो कुछ छोटी मोटी ग्रांट वह करना चाहती है तो वह तीनों का गठबन्धन बांध बांध कर उनको किसानों तक नहीं पहुंचने दे रहा है और एक ऐसी व्यवस्था हो रही है जिस पर माननीय गृह मंत्री को ही फख्र हो सकता है। उनको ला ऐंड आर्डर पर फख्र हो सकता है लेकिन नीचे के स्तर पर वही पुरानी ब्यूरोक्रैसी काम कर रही है और किसानों और मजदूरों का हित सही मानों में हो सके, ऐसी व्यवस्था नहीं है।

अभी अभी हमारे राजस्वमंत्री ने कानून पेश किया था कि १३५९ फसली के कब्जे की जमीनें सही करके किसानों का इन्दराज कर दिया जायगा और कई जी० ओज० गवर्नमेंट के गये हैं जिनमें किसानों के हित की बातें हैं लेकिन नीचे के स्तर के सरकारी कर्मचारियों ने एक संगठित कांस्पिरेसी कर रखी है और उन्हें अधिक प्रसन्नता इस बात में होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीचेज आर्डर्स की हों बनिस्बत इसके कि उनका पालन किया जाय। अगर माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे तो काफी काम हो सकता है। वह सरकार के एक जिम्मेदार मिनिस्टर होने के नाते खुल्लमखुल्ला तो इस चीज को मंजूर नहीं कर सकते लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जहां मैं गृहमंत्री की विद्वता की तारीफ करता हूं वहां मुझे संतोष नहीं हुआ कि पुलिस विभाग में कोई उन्नति हुई और इसी वजह से शायद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो बदल दिया गया था कि उससे माननीय पुलिस मंत्री को पुलिस विभाग

में कोई दिलचस्पी नहीं रह गयी। अगर उन्होंने इसका जिम्मा लिया है तो उन्हें काफी दूर तक जाना चाहिये। जो विभाग उनकी जिम्मेवारी पर है उसकी महत्ता बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ४ सालों के अन्दर इस विभाग को भी नमूने का बनाकर वह दिखादें। और मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव यह है कि आवश्यकता पड़ने पर जो पुराने कर्मचारियों का रिटायरमेंट ३०-३० साल में होता है वह १५-२० साल के बाद भी हो तो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। नया ब्लड भी इंपयूज करने की कोशिश इस नयी होम मिनिस्ट्री में की गयी लेकिन उसका फल कुछ नहीं निकलता। नये लोग भी जब पुरानी नौकरशाही के संसर्ग में आते हैं तो वे भी कुछ महीनों के बाद उन्हीं कृत्यों को दोहराने लगते हैं और हमारे देहातों की दुर्व्यवस्था बढ़ती जा रही है। आज माननीय गृहमंत्री को तो दिखलाने के लिये फख्र कम है लेकिन पुलिस वालों को फख्र है कि बड़े मामलों में मामूली दफा की रिपोर्ट लिखी जानी चाहिये, उनको फख्र है कि कितने ही क्राइम्स की रिपोर्ट नहीं होती। यह तो गृह मंत्री को मालूम ही होगा। तो ऐसी अव्यवस्था में गृह विभाग फख्र नहीं कर सकता। ४ करोड़ के डेफिसिट होते हुये भी ७ करोड़ वाला डेफिसिट का बजट कर देना हमारी प्रान्तीय सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है और मैं समझता हूं कि इन बातों का आगे वाले बजट में विचार करके एक समुचित योजना के साथ बजट पेश किया जायगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सप्लीमेंटरी बजट है। सप्लीमेंटरी, जैसा कि उसका मतलब है एक मामूली सी चीज है। सरकार ने जब मुख्य बजट पेश किया था तो किसी कारण कोई रकम किसी हेड के मातहत बच गयी होगी या फिर कोई अनफोरसीन आइटम शायद सरकार के सामने भी पैदा हो गया हो, उसके लिये इस सप्लीमेंटरी बजट द्वारा प्रावीजन किया जा रहा है और सरकार का कहना है कि यह जो अनफोरसीन आइटम के लिये आज प्रावीजन किया जा रहा है उसके लिये इस सदन के सदस्य रजामन्दी दें।

अब मैं चाहूंगा कि आप उस सप्लीमेंटरी बजट के ऊपर विचार करें, सप्लीमेंटरी बजट लगभग दो करोड़ का है। बल्कि दो करोड़ से कुछ ज्यादा का ही है। मगर यदि इसकी फिगर्स को देखा जाय तो हमको यह मालूम होगा कि जितना पैसा यहां मांगा गया है उसमें से लगभग ५० लाख रुपया किसी न किसी हेड में से पैसा बचा के और रीएप्रोप्रिएशन करके इस्तेमाल में लाया गया है। और फिर आगे देखें तो हमको यह मालूम पड़ता है, यह दिखाई देता है कि सप्लीमेंटरी बजट हालांकि इसका नाम सप्लीमेंटरी बजट है फिर भी हर एक आइटम और हेड के मातहत अधिक पैसा मांगा गया है। मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं कि ग्रांट नं० ४२ में केवल ५० लाख रुपया मांगा गया है, ४३ ग्रांट हेड के मातहत ६३ लाख मांगा गया है, ४६ ग्रांट हेड के मातहत १० लाख ७२ हजार रुपया मांगा गया है और ४८ ग्रांट हेड के मातहत ३ लाख ६० हजार रुपया मांगा गया है। मेरा पूंछना यह होगा कि क्या सरकार इन बड़ी रकमों का पहले खयाल न कर पाई। क्या यह उचित है कि सप्लीमेंटरी बजट द्वारा इतनी बड़ी रकमों की मांग की जाय ? क्या इससे यह साबित होता है कि सरकार किसी एक लांग व्यू पालिसी से इस देश की फाइनेंशल पोजीशन स्टेब्लाइज करने की कोशिश कर रही है। केवल इतना ही नहीं मेरा रोना तो यह है कि अब किसी एक जिले के प्रतिनिधि या किसी एक जिले के लोग सरकार के पास आते हैं सरकार ही नहीं, मुख्य मंत्री जी या किसी और मंत्री के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे जिले में उस स्कूल के लिये केवल १ लाख रुपया चाहिये तो उनको जवाब दिया जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। हालांकि बजट में प्रोवाइड करते समय इक्सेस बहुत से हेड्स में प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि पहले रीएप्रोप्रिएट करने के बाद आज हमारे सामने लोग-साइज करने के लिये पेश किया जाता है किन्तु उस समय जब कि ओरिजिनल एस्टीमेट्स बन रहे हैं हमें यह उत्तर दिया जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। आज इस सप्लीमेंटरी बजट द्वारा ६३ लाख रुपया, ७२ लाख रुपया और १० लाख रुपया इतनी बड़ी बड़ी रकमों

[महाराज कुमार बालेन्दुशाह]

को लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लीगलाइज माने कि अनफोरसीन एक्स-पेंडीचर हो गया है, कटिनजेंसी फंड से ड्रा कर लिया गया है और आज हमसे कहा जाता है कि पैसा खर्च हो चुका है एक किस्म से धमकी ही समझिये कि हम हां कहें या ना कहें पैसा तो खर्च हो चुका है। इसका क्या मतलब ? यह तो बहुत अनुचित सा है। जैसा कि मैं अभी कह रहा था टेहरी गढ़वाल में अंतरिम मंत्रिमंडल के टाइम में जिसमें कि यहां की सरकार ने पूर्ण आश्वासन दिया था, उस अंतरिम मंत्रिमंडल के समय में टेहरी गढ़वाल जिले में चन्द स्कूल बनवाये गये और इसी मंत्रिमंडल ने जिस मंत्रिमंडल के सदस्य आज हमारी कौंसिल के सदस्य भी हैं, "इन स्कूलों की इमारत की सहायता के लिये बेसिक स्कूल के लिये १ हजार और जूनियर हाई स्कूल के लिये ८ हजार रुपये की सहायता देने का आश्वासन दिया था। लगभग १ लाख या डेढ़ लाख रुपया बैठता है। पिछली बार बजट में किसी गलती से या किसी कारण से यह प्रोवाइड न हो पाया। हमने उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री से प्रार्थना की कि यह सवा लाख या डेढ़ लाख की जो रकम है उसको सप्लीमेंटरी बजट में प्रोवाइड कर दिया जाय क्योंकि इसी मंत्रिमंडल ने इसका आश्वासन दिया है किन्तु नहीं माननीय शिक्षा मंत्री और मंत्रिमंडल को जनता को १ लाख या डेढ़ लाख की यह रकम देना जिसका कि उन्होंने वायदा किया था वह देना कठिन लगा। मैं यह नहीं कहता कि यह खर्चा और हैड्स में किया जाना अनुचित है। मेरा कहना यह है कि जिस समय मेन बजट बनता है उस समय यह जो बहुत से हेड्स के अन्दर आवश्यकता से अधिक रकम रख दी जाती है यह गलत बात है। उत्तर प्रदेश की आमदनी बहुत ज्यादा है और हमारे मंत्रियों के लिये ४१ या ५० लाख रुपये की रकम छोटी चीज हो सकती है क्योंकि उनको तो करोड़ों खर्च करने की आदत है यह नहीं भूलना चाहिये कि इस प्रदेश में ५१ जिले है और चाहे लखनऊ में बैठ कर ५० लाख रुपया कुछ भी न हो मगर एक जिले के लिये और हमारे जिले के लिये १ लाख रुपया बहुत बड़ी चीज है। जनता को जिन बातों का आश्वासन सरकार से मिला है उन्हें वह पूरा करने की कोशिश नहीं कर रही है। यह बड़ी गलत बात है। जिस समय टेहरीगढ़वाल उत्तर प्रदेश में विलीन हुआ उस समय हमारे माननीय मुख्य मंत्री खुद नरेन्द्रनगर पधारे थे और एक आम जलसे में जनता को यह आश्वासन दिया कि टेहरी गढ़वाल में एक एजूकेशन ट्रस्ट २० लाख रुपये का खोला जायगा। बार बार हमने मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को यह बात याद दिलाई कि उनका यह आश्वासन झूठा निकला जा रहा है। हमको यह जवाब दिया गया कि विलीनी-करण के पश्चात् टेहरीगढ़वाल के जो असेस्ट्स उत्तर प्रदेश में आयें उनका आडिटिंग हो रहा है और १ १/२ साल हो गया मगर वह आडिटिंग अभी पूरा नहीं हुआ। हमें मालूम नहीं कि उसका नतीजा क्या होगा। टेहरी गढ़वाल से लगभग १ करोड़ रुपये को असेट्स इस प्रदेश में आये। यदि आज यह सरकार वहां वह ट्रस्ट स्थापित नहीं कर सकती तो यह उचित होगा कि वह यह ऐलान कर दे कि वह उस आश्वासन को अब मानने के लिये तैयार नहीं है और अपने पुराने वायदों पर अमल करने के लिये तैयार नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब अधिक न कहकर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आगामी मुख्य बजट में केवल टेहरी गढ़वाल ही नहीं किन्तु हर जिले की मांगों को सामने रखने की आवश्यकता है। यह बहुत उचित है कि पूर्वी जिलों में ट्यूब वैल्स की एक बड़ी योजना चल रही है लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिये कि टेहरी गढ़वाल के लोगों को पानी की आवश्यकता नहीं है। यह याद रखना चाहिये कि राज्य सरकार का काम हमेशा जनता को संतुष्ट करने का है। यदि जनता गरीब है और उसके पास रहने के लिये स्थान नहीं है तो उसे महलों की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता की बेसिक नीड्स जब तक हमारी सरकार पूरी नहीं करती तब तक सरकार कितने ही महल और स्विटरजरलैन्ड बनवाये फिर भी जनता खुश नहीं हो सकती, इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह जगलरी आफ फीगर्स छोड़ दी जाय। यदि आपके पास पैसा है तो जनता के कामों में अवश्य खर्च होना चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये कि हमारे पास पैसा नहीं है। पिछले जमाने में टेहरी गढ़वाल जब एक छोटी सी रियासत

थी और उस समय उसकी आमदनी ३० या ४० लाख रुपये थी और राजा महाराजा कितना भी ले लेते हों लेकिन लगभग २० लाख रुपये से अधिक टेहरी गढ़वाल की रियासत में खर्च किया जाता था। यदि आज देखा जाय कि वहां के लिये कितना खर्च किया जा रहा है तो यह इतना भी नहीं पहुंचेगा। यदि लखनऊ की सरकार यह कहे कि वहां बहुत से आफीसर्स भेज दिये गये हैं और उनकी तनख्वाह लगा कर अब १० लाख के बजाय २० या २५ लाख खर्च हो रहा है तो उससे जनता को कोई फायदा नहीं है। अन्त में मैं यह कहूंगा कि सरकार यह न भूले कि टेहरी गढ़वाल जिला उत्तर प्रदेश में विलीन हुआ है न कि उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल में। यदि लाभ किसी को पहुंचना चाहिये तो टेहरी गढ़वाल को। यह न हो कि एक करोड़ रुपया तो टेहरी गढ़वाल से लिया जाय और फिर टेहरी गढ़वाल की जनता से यह कहा जाय कि अब हमारे पास तुम्हारे लिये पैसा नहीं है।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुपूरक अनुदान है अत्यन्त आवश्यक था जैसा कि सरकार ने प्रस्तुत किया है। हमने जो इसकी धनराशियों को देखा वह लगभग २ करोड़ ३० लाख रुपये की है। उसमें निर्माण के कार्यों में १ करोड़ ३२ लाख रुपया लगना है, मुख्यतः अनुदान ४२, ४३ और ४४ जो कि सामाजिक योजना सिंचाई, कृषि से सम्बन्धित हैं। केवल इससे ही उपयोगी जान पड़ता है दूसरी तरफ से जो हमारे बालेन्दुशाह जी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी धनराशि सरकार इस प्रकार से लेने की चेष्टा करती है इसके साथ ही उन्होंने नलकूपों की योजना की प्रशंसा भी की तो यह दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं जिनकी हम उनसे अपेक्षा तो नहीं करते थे लेकिन हम समझते हैं कि सरकार अगर यह न करती तो वह दोषी होती। इस रूप में हम समझते हैं कि हम सरकार के प्रति इन योजनाओं पर जो धनराशियां दी गई हैं उनके लिये अपना आभार प्रकट कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी धनराशियां हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन भी करना चाहता हूं। जैसे पाइलट प्राजेक्ट जो अब एक सामाजिक योजना कम्यूनिटी प्राजेक्ट के रूप में परिणत की जा चुकी है उसके सम्बन्ध में कई स्थानीय बाधायें होती हैं जो प्रोजेक्ट की तरफ से सांड़ छोड़े जा रहे हैं उनके चारे का कोई प्रबन्ध नहीं है और वे गांवों की खेती को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिये सरकार को उनके चारे का प्रबन्ध करना चाहिये।

इसी प्रकार से सरकार ने जो बीज दिया है उसमें भी बहुत सी असुविधायें हैं। जैसा मैंने कल भी निवेदन किया था कि इस असुविधा को वहां स्थानीय बीज गोदाम बना कर भी पूरा किया जा सकता है क्योंकि अच्छे बीज वहां की जलवायु के अनुकूल वहीं प्राप्त हो सकते हैं, वहीं रखे जा सकते हैं और वहीं उनका ठीक से संरक्षण किया जा सकता है। वहां जो पैसा आज खर्च किया जा रहा है उसका निरीक्षण ठीक से नहीं हो रहा है। परीक्षण की बड़ी आवश्यकता है। वहां अगर आडीटर्स नहीं होंगे तो वहां के पैसों का बड़ा दुरुपयोग हो जायेगा। और इस तरह दुरुपयोग जिस क्षेत्र की मैं बात कह रहा हूं वहां हुई है। वहां सरकार ने कुछ गांव इस प्रोजेक्ट में लिये हैं। जो असुविधा मैंने अनुभव की है वह यह है कि गोरखपुर में यह प्रोजेक्ट खोला गया है और भटहर उसका हेडक्वार्टर है। उसके १७ में से ९ बी० एल० डब्लू० देवरिया जिला में आई है। देवरिया जिले के क्षेत्र के साथ व्यवहार ठीक नहीं है और करीब करीब वैसा व्यवहार है जैसा एक विमाता का अपने सौतेले पुत्र के साथ होता है। वह कहते हैं कि देवरिया तो हमारे गले में वैसे ही मढ़ दिया गया है। मैंने वहां एक प्रस्ताव कराया कि वह स्थान देवरिया में स्थानान्तरित कर दिया जाय ताकि उसका प्रबन्ध हो सके और उसके कार्य संचालन में सुविधा हो सके और उसका निरीक्षण भी हो सके। इसी तरह से सिंचाई के बारे में मेरा निवेदन यह है कि उसमें एक अच्छी धनराशि सरकार ने लगाई है। लेकिन उसके बारे में जो सब से बड़ी कठिनाई हो रही है, गूलें वहां नहीं

[श्री रामजी सहाय]

हैं और उनके न होने के कारण बहुत सा पानी बेकार जा रहा है। किसान तो यूनिट्स आदि को जानता नहीं है कि क्या चीज है और उससे उनको परेशानी बहुत होती है। उनके जो आपरेटर्स हैं या जो और संगठन हैं वह यूनिट्स से पैसा लेता है और किसानों को परेशानी होती है। वह बड़े परेशान किये जा रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि वह पुरानी परम्परा फिर न दुहराई जाय, बात बात में रिश्वत न ली जाय, जैसे कि आपरेटर्स शुक्राना लेकर पानी देते हैं। यह नई संस्था है अगर सरकार ने शुरू में इस चीज का दमन कर दिया तो मेरा खयाल है कि यह ठीक तरह से कार्य करेगी, नयी परम्परा बनेगी।

इसी तरह से कृषि विभाग के बारे में बड़ी धनराशि दी गई है। आज बड़े सवाल पैदा हो गये हैं। बंदरों की समस्या बड़ी विकट हो गई है। हमारा अपना सुझाव है कि बन्दरों को बधिया करने तथा मार डालने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये क्योंकि वह बहुत क्षति कर रहे हैं। वह फल, तरकारी और खेती को नष्ट करते हैं। इस तरह से यह एक बड़ी समस्या हो गई है। सरकार की तरफ से खाद की बात कही गई है। अमोनियम सल्फेट किस जलवायु में, किस जगह पर और किस तरह से इस्तेमाल होनी चाहिये, यह नहीं कहा गया है जो बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी हानि हो जाती है। इसके लिये सुलभ साहित्य गांवों में वितरित किया जाय और लोगों को समझाया जाय तो मैं समझता हूं कि लोग इसका ज्यादा उपयोग कर सकेंगे और ज्यादा लाभ उठा सकेंगे।

इस प्रकार से हमारे सामने सरकार की तरफ से जो बीज दिया जा रहा है उसमें जो पैनेल्टी की बात है वह अच्छी बात नहीं है। हमारा खयाल है कि अगर गांव में कोई दूसरे लोग बीज देने लगें तो आपके गोदाम से एक भी आदमी बीज नहीं लेगा। इस सम्बन्ध में आप कतई उदारता नहीं करते हैं और इस प्रकार के निर्मम ढंग से काम लेते हैं जैसे कि एक बनिया गांव में करता है लेकिन वह तो विचारा अपना सूद वगैरा लेकर उसका गला छोड़ देता है और पैनेल्टी नहीं लेता है।

श्रीमन्, गोबर का भी आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है। जहां यह एक सामाजिक चीज है वहां एक आर्थिक भी है। इसको आज ईंधन के रूप में अधिकांश नष्ट किया जा रहा है। इसलिये आज हमें ईंधन के लिये दूसरी चीजों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहिये। गोबर की खाद एक अच्छी तथा भूमि के अनुकूल होती है।

श्रीमन्, इसके अलावा एक और बात है जो खेती के सम्बन्ध में है। आज ईख की समस्या विकट रूप धारण करके हमारे सामने खड़ी है। पूर्वी जिलों में लोगों ने ईख को ज्यादा बोया है। अगर आपके गुड़ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने काम किया होता, सुधरे हुये उनको कोल्हू दिये गये होते तो उससे लोगों को बड़ा लाभ होता और चारा तथा ईंधन भी मिल जाता और इस तरह से खाद की भी बचत होती जो नहीं हो सकी। यद्यपि आज गुड़ का भाव १७ रु० मन है और हिसाब लगाने से एक मन गन्ने पर डेढ़ रुपया मिलता है लेकिन किसान नहीं करता है। पिछली दफा सूखे ने किसान को तबाह किया, हेल स्टार्म्स ने तबाह किया और कहीं बाढ़ ने तबाह किया अब ईश्वर की और भी समस्या खड़ी हो जायगी। अगर गुड़ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इधर ध्यान देता तो किसान का बड़ा लाभ होता और उसी अंश में सरकार को भी लाभ होता क्योंकि फिर इस प्रकार से किसान भिक्षा नहीं मांगता और सरकार पैसे को अन्य कार्यों पर लगा सकती थी। यह जो मुख्य मुख्य धनराशि लगाई गई हैं उन्हीं पर मैंने अपने विचारों को केन्द्रित किया है। वैसे तो इसमें ३५ ग्रान्ट्स हैं। मेरा अनुरोध है कि जो मैंने निवेदन किया है उस पर सरकार ध्यान देने की कृपा करेगी।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने वित्तीय वर्ष १९५२-५३ का द्वितीय अनुपूरक अनुदान है। पहला अनुदान ९४,७२,९०० रुपये का है। इस सदन में सितम्बर, अक्टूबर, सन् १९५२ में पास हुआ था। इस समय पूरक मांगें जो कि इस सदन के सामने रक्खी गई हैं वे लगभग २ करोड़ ३० लाख की हैं। यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार की मांगें रखना उचित नहीं है और अगर थोड़ी सी रक़म हो तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता है लेकिन इतनी बड़ी रकमों को तो बजट में ही सोच लेना चाहिये था। लेकिन हमको यह ध्यान देना है कि हमारा सालाना खर्चा, व्यय और आमदनी अब ६० करोड़ के ऊपर है और संभवतः वह कुछ थोड़ा बढ़े। अब पुलिस राज नहीं है बल्कि कल्याणकारी राज्य है। ऐसे शासन के अन्तर्गत बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं जिनको कि हम आरम्भ में नहीं देखते और बाद में हमारे सामने आ जाती हैं। और उसके लिये धन रखना बड़ा जरूरी हो जाता है। एक छोटे से घर की व्यवस्था में ही बहुधा यह हो जाता है कि जो खर्च पहले नहीं सोचा गया था उसके लिये प्रबन्ध करना पड़ता है। तो इतने राज्य के शासन में जो हमारे भारतीय संघ में सब से बड़ा है यदि २ करोड़ ३० लाख की मांगें सामने रख दी जायं तो कोई अचम्भे की बात नहीं है। इस सदन को यह देखना पड़ेगा कि जो मांगें रक्खी गई हैं वे कहां तक उचित हैं। उनका ब्यौरा हमारे सामने है। मैं एक एक करके उनमें नहीं जाऊंगा। क्योंकि इस वक्त मौका भी नहीं है। अभी वे एक एक करके हमारे सदन के सामने आयेंगी। परन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर उन पर नजर डाली जाय तो मालूम हो जायगा कि वे ऐसी मांगें हैं जिनका शुरू में अनुमान नहीं किया जा सकता था और वे बाद में सामने आई हैं। वे ऐसी चीजें थीं जो कि उस समय के लिये स्थगित नहीं की जा सकती थीं जब अगला बजट हमारे सामने आए। तुरन्त ही उन पर ध्यान दिया गया उनके लिये मुनासिब इंतजाम करना था और सरकार ने किया और उन मांगों को अब इस सदन के सामने रक्खा गया। मिसाल के लिये अनुदान नम्बर दो को ही देखा जाय। उसका सम्बन्ध उन संस्थाओं से है जहां शिक्षा दी जाती है और जिनकी आमदनी जमींदारों से हुआ करती थी। जमींदारी खत्म होने से उनकी आमदनी बन्द हो गई है और उन संस्थाओं के सामने एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी परिस्थिति के लिये अगर सरकार मुनासिब इन्तजाम न करती तो उसका बुरा असर शिक्षा पर पड़ता और शिक्षा ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि कुछ काल के लिये रोक दिया जाता। ऐसी स्थिति में सरकार ने यह मुनासिब समझा कि उसके लिये प्रबन्ध किया जाय और ऐसी संस्थाओं को बिना धन के न रहने दिया जाय। मेरा विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र जो कि विरोधी दल में बैठे हुये हैं वे स्वयं सोचेंगे कि यह अनुदान बहुत ही उचित और मुनासिब है। इसी तरह से अगर आप अनुदान संख्या तीन को देखें तो वह एक ऐसी परिस्थिति के फलस्वरूप है जो कि केन्द्रीय सरकार ने हमारे सामने रख दी। अफीम की कीमत में बढ़ती हो गई और उसके लिये प्रान्तीय सरकार को केन्द्रीय सरकार को कुछ ज्यादा रुपया देना पड़ा और उसी के लिये यह अनुदान हमारे सामने है। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी अनुदानें हैं जिनको कि सरकार पहले नहीं सोच सकती थी और बाद में वे समस्यायें हमारे सामने आईं। आप अनुदान नं० ११ को देखें जिसका संबंध कुछ कुछ माननीय सदस्यों से हैं। माननीय सदस्य यह तो जानते ही हैं कि इस सदन के कार्यों और उससे संबंधित कार्यों में विशेष वृद्धि हुई है और उसके फलस्वरूप अलाउन्सेज ज्यादा संख्या में देने पड़े हैं। अब यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसके बारे में यह आक्षेप किया जाय कि सरकार को यह बात पहले ही से सोच लेनी चाहिये थी और बाद में उसने क्यों सोची।

इसी प्रकार से और अनुदान हैं। मैं विशेष रूप से अनुदान संख्या ४३ के ऊपर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे मित्र महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी

[श्री शिवनाथ काटजू]

ने उसके ऊपर चर्चा की। अब यदि आप इस अनुदान को देखें तो आपको विदित होगा कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो अनुचित हो। इसका सम्बन्ध नलकूपों से है और नलकूप ऐसी बहुत ही आवश्यक चीज है। सरकार के सामने यह समस्या तब आई जब कि केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया कि नलकूपों के खर्चे में से ६० प्रतिशत वह देगी तथा ४० प्रतिशत प्रान्तीय सरकार को देना होगा और इसी समझौते के अन्तर्गत लगभग १ हजार नलकूपों के निर्माण की योजना बनाई गयी और इसी योजना के अन्तर्गत ६३ लाख रुपया व्यय करने का निश्चय किया गया यही मांग इस सदन के सामने है। माननीय सदस्य स्वयं अब इस पर विचार कर सकते हैं कि नल कूपों के काम को स्थगित करना कहां तक मुनासिब था और कहां तक सरकार पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस समस्या को पहले से नहीं देखा। इससे प्रतीत होगा कि इसका सम्बन्ध उस निर्माणकार्य से था जिसको कि केन्द्रीय सरकार ने तय किया और यह समझौता बाद को हुआ और जिस वक्त यह बजट पहले सामने रखा गया था उस समय उसकी रूप रेखा हमारे सामने नहीं थी। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो कार्य किया वह बहुत मुनासिब किया क्योंकि नलकूपों का विषय एक आवश्यक विषय है, जो कि जनता के कल्याण और जनता की सुविधा के लिये बहुत ही आवश्यक है और मैं आशा करता हूं कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा।

इसके पश्चात् निर्माण कार्य सम्बन्धी अनुदान नम्बर ४६ के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई जिसमें कुछ रुपया उपमंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों के मकानों के लिये रखा गया है। यह एक ऐसा विषय है कि जिसमें विरोधी दल के माननीय सदस्य भी सहमत होंगे क्योंकि बहुत संभव है कि कुछ काल के बाद स्वयं उनको इन मकानों में रहना पड़े और यह कहना कि जो शासन कार्य कर रहे हैं उनके रहने के लिये उचित व्यवस्था न की जाय, यह भी कोई सुन्दर बात नहीं है। आपको केवल यह देखना पड़ेगा कि फिजूल खर्ची हो रही है या नहीं और वह जो मकान बनाये जा रहे हैं वे आलीशान महल भी नहीं हैं और मेरा खयाल है कि जरूरत को देखते हुए ही बनाये जा रहे हैं। आज बड़े बड़े मकान लिये जा सकते हैं लेकिन आज कल की परिस्थिति ऐसी हो रही है कि कोई भी बड़े मकान में नहीं रहना चाहता है। बड़े मकान में रहना मुसीबत और झगड़ा मोल लेना है। तो यह इस प्रकार का खर्चा है जो मुनासिब है और जरूरी है। मैं अपने माननीय मित्रों से, जो विरोधी दल के हैं, निवेदन करूंगा कि इसको वे सहानुभूति के साथ देखें। इसी सम्बन्ध में और इसी अनुदान के अन्तर्गत कुछ हाई कोर्ट के अन्दर जो निर्माण कार्य किये गये हैं उसकी भी चर्चा की गयी है। यह सदन को विदित होगा कि हाई कोर्ट में अब जजों की संख्या ज्यादा हो गयी है और लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मिल जाने से, हाई कोर्ट के जितने कमरे थे वे आज कल के काम को देखते हुए बहुत कम हैं। हाई कोर्ट के भवन में अब और विंग बढ़ाये जा रहे हैं। २८ लाख रुपया उसके लिये सेन्कशन हुआ था। काफी काम करीब करीब साल भर से जारी है और बहुत कुछ बन चुका है और बहुत कुछ बन रहा है। यह अनुदान उसी से सम्बन्धित है।

इसमें दो तीन बातें सामने रखी गयी हैं। एक का सम्बन्ध तो फर्श से है जिसे संगमरमर का बनाना है। उसके लिये ६ हजार रुपये की मांग की गयी है। वहां एक मारबल हाल है जैसा कि नाम ही बतलाता है उसमें संगमरमर का फर्श बनाना है। और उसी से मिला हुआ एक बरेंडा है जिसके दाहिनी तरफ जजों की लाइब्रेरी है और बायीं तरफ चीफ जस्टिस का चेम्बर और उनका कमरा है। तो यह मांग उसी से सम्बन्धित है। उसमें यह कहा गया है कि इसका फर्श ऐसे ही छोड़ दिया जायगा तो और बुरा लगेगा जब कि और उसके करीब के हिस्से में सब संगमरमर का फर्श है इसलिये सुन्दरता को देखते हुये यह जरूरी है कि वहां संगमरमर का फर्श लगाया जाय।

हाई कोर्ट एक पब्लिक बिल्डिंग है और यह प्रत्येक राष्ट्र को और प्रत्येक सरकार को शोभा देती है कि जहां राजकीय कार्य होते हैं वहां उसकी व्यवस्था सुन्दर रखी जाय और उसको अच्छी तरह से बनाया जाय और उसमें यह भी देखा जाय कि ऐसा काम किया जाय जो कुछ देर तक चले। तो मेरे खयाल में जो ६ हजार रुपये की मांग की गयी है वह कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको आप अनुचित कह सकते हैं। उसी के साथ साथ दूसरी मांग का सम्बन्ध लाइब्रेरी से है। वह भी ज्यादा जरूरी है। लाइब्रेरी में ऐसी बराबर वृद्धि होती रहती है। उसमें कहा गया है कि लोहे के रेक्स में किताबें रखी जाती हैं, उसकी और जरूरत है लिहाजा उसके लिये रुपये चाहिये। तीसरी बड़ी मांग जो इसी से सम्बन्धित है वह लिफ्ट के लिये है। हाई कोर्ट में इस वक्त ४ लिफ्ट हैं। जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया, काफी विंग्स बढ़ रहे हैं। इसलिये वहां भी लिफ्ट की जरूरत है। तो मैं यह निवेदन करूंगा और ज्यादा व्याख्या में नहीं जाऊंगा कि जो अनुदान सामने रखे गये हैं, जो मांगें आपके सामने रखी गयी हैं वह ऐसी मांगें हैं जो किसी सरकार के सामने अकस्मात् आ सकती थीं और उन पर गौर करना सरकार के लिये जरूरी था। अगर सरकार उनको छोड़ देती तो यह भी मुनासिब नहीं था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए यह सप्लीमेंटरी ग्रांट इस सदन के सामने रखा गया है और मेरा निवेदन है कि यह सदन उनको मंजूर करेगा।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे भाई श्री शिवनाथ काटजू ने एक बात तो स्वीकार की ही कि इतनी बड़ी मांग २ करोड़ और कुछ लाख की ऐसे समय में आना जब कि वर्ष का अन्त हो रहा हो कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता है। लेकिन उसका औचित्य कह कर टाल दिया कि हमारी आमदनी करीब ६१ करोड़ की हो गई है इसलिये उसमें २ करोड़ की मांग इस तरह से यहां आना यह कोई गैरमुनासिब बात नहीं है। मैं समझता हूं कि यह कह कर आज कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में हैं उन्होंने भी जीप की बिक्री के बारे में जो घोटाला हुआ था उस पर यह जवाब दिया था कि जहां पर करोड़ों के इस तरह से व्यापार हों वहां लाखों का घाटा हो जाना या गोलमाल हो जाना कोई ऐसी गैरमामूली बात नहीं है। तो मैं साफ तौर पर यह कहूंगा कि इस तरह की बातें जो ऐन वक्त पर जब कि १६ तारीख को यहां पर बजट पेश किया गया और अब २१ तारीख को अगला बजट आने वाला है तो इस २, ३ दिन के अन्दर इस तरह से बजट लाना इसके मायने साफ यह हैं कि हम एक चीज को अन्धकार में रख कर लोगों के सामने लाना चाहते हैं। मुझे मालूम है और मेरा अनुभव है कि यहां पर हमारे सामने ही कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सामने जब यहां पर एक बड़ा अपोजिशन था उस वक्त इस तरह से ४ मर्तबा कभी बजट पेश नहीं किये गये। जुलाई में दो बार सितम्बर में और अब इस महीने में अनुपूरक यहां पर पेश किया जा रहा है। इस वक्त जो यहां पर बार बार अनुपूरक बजट आप लाते हैं वह केवल इस बिना पर कि आपकी शक्ति ज्यादा है और आपके साथ वोट ज्यादा है। यहां पर जो ४०, ४१ आदमी विरोध में बैठते हैं वह क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इस पर गहरा विचार किया जाय तो मालूम होगा कि चाहे वह कुछ न कर सकें और वोट के आधार पर आप जीत जायं लेकिन आपका जो चरित्र इस तरह का है वह घटता चला जायेगा अगर आप इस तरह से बारबार अनुदान यहां पर लायेंगे। जैसा कि अभी बतलाया गया, शिवनाथ जी काटजू ने इस बात को स्वीकार किया था कि हमको कोई भय नहीं मालूम होता है। इतना तो जरूर है कि अब सरकार को कोई भय नहीं रह गया है। यह उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकार किया। मेरा भी कहना यह है कि उन्होंने यह बात साफ तौर पर स्वीकार कर ली कि जो पब्लिक के आदमी हैं और खास तौर से जो इस तरह के जीव हैं, या समाज के अन्दर स्वच्छन्द हैं उनके अन्दर सरकार की ओर से जरा भी डर नहीं है। यही कारण है

[श्री मलखान सिंह]

कि दिन दहाड़े डकैती, चोरी और कत्ल हो रहे हैं। अगर सरकार की ओर से जरा भी डर होता तो इस तरह की चीजें नहीं हो सकती थीं। मैं भी यह कहता हूं कि पहले सन् १९३७ में जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था उस समय जो पुलिस वालों में डर था वह अब नहीं है। तब वह थर्राते थे। आज जो हालत है उसमें जमीन और आसमान का अन्तर है। आज तो यह हालत है कि दिन दहाड़े हर तरह की बातें यहां पर होती हैं और पुलिस वाले और थानेदार दिनदहाड़े करते हैं। इसी कारण से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चौपट होता चला जा रहा है। मैं जानता हूं और अपने जिले की बात देखता हूं कि वहां पर जिस जगह पर कोई कांग्रेसी यह चाहता है कि यह थानेदार वहां न रहे चूंकि अमुक बात उसने उसकी नहीं मानी तो फौरन उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। अगर सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस वहां से ट्रान्सफर नहीं करते हैं तो यहां आई० जी० के यहां से टेलिफोनिक आर्डर पहुंच जाता है। इसका सबूत मेरे पास मौजूद है। मैं ऐसी बात नहीं कहता जो मुझको मालूम न हो। मैं अपनी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि मेरे यहां एक जगह पर दिन दहाड़े कत्ल किया गया और उस आदमी ने थानेदार के पास पहुंच कर कह दिया कि लो मैं अपना काम कर आया और क्या कहते हो। यह काम कांग्रेसियों के इशारे पर हो रहे हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है वह सरकार सब जानती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार क्या कहती है।

एक बात हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी कहते हैं कि और जितने भी सूबे और देश हैं उनसे मुकाबिला कर लीजिये। हम दूसरे प्रदेशों की बात तो शायद अधिक न जानते हों लेकिन जिस जगह पर हम रहते हैं वहां की अवस्था तो आज कल इसी तरह की है। और जैसा कि मेरे भाई काटजू साहब ने कहा कि किसी को डर नहीं है तो मैं तो यह कहता हूं कि अगर इस समय डर किसी को है तो जो सज्जन आदमी हैं, जो कि सच्चाई से चलने वाला आदमी है उसको बड़ा भारी डर है और आज ऐसे आदमी अपने गांवों को छोड़-छोड़ कर शहरों में रहने के लिये आ रहे हैं ताकि अपनी और अपने बच्चों की रक्षा कर सकें। एक गांव में तीन मर्तबा डकैती पड़ी। मैं अपने जिले की बात बताता हूं इसमाइलपुर की। उस गांव में तीन मर्तबा डकैती पड़ी और वहां पर एक आदमी को जो डकैती में शामिल नहीं था बुरी तरह से पुलिस ने मारा पीटा और उसकी तरफ से अदालत में इस्तग़ासा दायर कर दिया गया। वहां के और दूसरे भाइयों ने बन्दूक के लाइसेंस के लिये दरख्वास्त दी। तो जैसा कि क़ायदा है, थानेदार और तहसीलदार के पास वह दरख्वास्त भेजी जाती है। तहसीलदार ने लिख दिया कि यह आदमी ठीक है। दरोग़ा जी के ऊपर चूंकि उसी गांव के एक आदमी के जरिये से इस्तग़ासा चल रहा था, इसीलिये उन्होंने उसके ऊपर लिखा कि आदमी तो बहुत ईमानदार है, गांव का प्रधान भी है, सोशलिस्ट पार्टी का लीडर भी है लेकिन चूंकि इधर उधर के तीन गांवों में बंदूकें हैं इसलिये इसमाइलपुर गांव में जहां एक भी बन्दूक नहीं और जहां तीन तीन डाके पड़ गये थोड़े से समय में वहां बंदूक की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह की आज चीजें हो रही हैं। मैं नहीं जानता कि हमारे माननीय गृह मंत्री तक इसकी सूचना पहुंचती है या नहीं लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये ऐसी बातें हैं जो कभी भी किसी होम मिनिस्टर के सिर को ऊंचा नहीं कर सकतीं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं और मैं जानता हूं कि आज एक तरफ से तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स यह कहते हैं कि साहब आप बतलाइये कि किन किन ग़ैरमुनासिब आदमियों के पास हमने लाइसेंस दिये हुये हैं और जब उनको बताया जाता है और वह कुछ दिनों के लिये हमारी बात स्वीकार करके सस्पेंड भी कर देते हैं उनके लाइसेंस को तो उसके बाद फिर कांग्रेसी दल पहुंचता है उनके पास और कहता है कि यह आपने क्या ग़ैरमुनासिब बात की और फिर वे उसमें फंस जाते हैं। अभी मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारे सामने जो ये मांगें आयी हैं इनमें जो नम्बर १० की मांग है जिसमें ३ लाख ७० हजार रुपये की मांग की गयी है, उसमें से १,७२,७०० रुपये तो केवल भत्ते और मानदेय के हैं और १,३९,८०० रुपये कर्मचारियों

के वेतन के हैं। कुछ पता नहीं कि ये कर्मचारी जो नये रखे गये, वे आया पब्लिक सर्विस कमीशन से रखे गये या जो बिजली के महकमे के एग्जीक्युटिव इंजीनियर हैं उन्होंने ही थोड़े दिनों के लिये काम चलाने के लिये उनको रख लिया। ३८,९०० रुपये अधिकारियों के वेतन के हैं। इसी तरह से मैं देखता हूं कि नम्बर १५, जेल डिपार्टमेंट में मिसलेनियस चार्जेज में ९२,४०० रुपये दिखाये गये हैं। यही नहीं पता चलता कि मिसलेनियस चार्जेज में कौन कौन चीजें आती हैं। इसके अलावा मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि इस सूबे में प्रान्त व्यापी मेहतरों की जो हड़ताल हुई, जिसके नेता और अगुआ श्री भगवानदीन एम० एल० ए० और दूसरे लोग थे उससे हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कोई सम्बन्ध भी नहीं था। जब अलीगढ़ में यह हड़ताल चली तो वहां के प्रबन्धक और श्री राधाकृष्ण जी तिवारी हमारे पास अपने आप आये और उन्होंने कहा कि इसमें आप कुछ करो। हमने कहा कि आप जानते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है न हमने उसको शुरू करवाया न हमारा उससे कोई संबंध है। हमने उनको बुला करके बातचीत की और मैंने उनसे सब हिलाडुला करके पूछ लिया। आज आपको मालूम नहीं कि म्युनिसिपैलिटीज में जो मेहतर हैं उनकी तनख्वाह २० रुपये से शुरू होती है और महंगायी का भत्ता ५ रुपये मिलता है। जिसको २५ रु० मिलते हैं उसको सवा ६ रुपये महंगाई का भत्ता मिलता है। जिनको तीस रुपया तनख्वाह मिलती है उनको साढ़े सात रुपया महंगायी का भत्ता मिलता है। दूसरी तरफ उसी म्युनिसिपैलिटी में जो चपरासी हैं वहां पर जिनकी तनख्वाह २० रुपया है उनको महंगायी का भत्ता भी २० रुपया मिलता है। मेरा कहना यह नहीं है कि चपरासियों को क्यों इतना भत्ता मिलता है। मेरा कहना यह है कि मेहतरों को २० रुपये तनख्वाह पर पांच रुपया महंगायी का भत्ता और चपरासियों को २० रुपये तनख्वाह पर २० रुपये महंगायी का भत्ता यह कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। क्या मेहतरों को बाजार में कोई चीज कम दामों पर मिल जाती है? जब उनसे बात करके मैंने प्रबन्धक महोदय को बताया कि उनकी यह ठीक मांग है। बीस रुपये वाले जो मेहतर हैं उनको पांच रुपये महंगायी का भत्ता मिलता है, उसको पांच रुपये महंगायी के भत्ते में बढ़ा दिये जायं क्योंकि बेसिक पे में आप बढ़ा नहीं सकते, इसी तरह से पचीस रुपये पाने वाले मेहतर जिसको सवा ६ रुपया महंगाई का भत्ता मिलता है उसको पौने चार रुपये महंगाई में और बढ़ा दिया जाय और साढ़े सैंतीस रुपये पाने वाले को ढाई रुपया महंगाई में बढ़ा दिया जाय।

प्रबन्धक महोदय ने कहा कि यह मांग मुनासिब मालूम होती है। मैं तिवारी जी से बात करूंगा। मैं सुबह आठ बजे जब घर पर था तो तिवारी जी एक हमारे कम्यूनिस्ट भाई साहबसिंह मेहरा को लेकर मेरे मकान पर आये और मुझसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बात बहुत मुनासिब है, लेकिन यह ऐडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में है। मैं उनसे जाकर बात करूंगा। आप यहीं ठहरिये। हम अभी आते हैं। आपसे बात करेंगे। जब १० बजे के करीब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां से.....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य इसकी डिटेल न कहें।

श्री मलखान सिंह—तो मैं बजट के संबंध में जहां ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आता है वहां पर यह कहने के लिये बाध्य होता हूं कि जहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर्स सफा झूठ बोलने वाले हों, वहां की सरकार का बेड़ा जितनी जल्दी गर्क हो जाय उतना ही अच्छा है। मैं इसलिये यह कहता हूं कि जब मैं अलीगढ़ से यहां आ गया, प्रबन्धक महोदय जिन्होंने यह वादा किया था कि फ्लैट रेट में दो रुपया प्रति मेहतर हम देने को तैयार हैं तो पीछे लिखते हैं कि हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं कही थी। और यह बात एक के सामने नहीं, मेहतरों के सामने आई हमारे जो तिवारी जी थे राधाकृष्ण जी उनके सामने, सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने, एस० पी० के सामने ई। लेकिन फिर भी डी० एम० इस तरह का सफा झूठ बोल सकता है तो मैं कह सकता हूं क इस सरकार का बेड़ा गर्क होने वाला है अभी रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो बतलाया क रामपुर का विलीनीकरण १९५० में हो गया लेकिन यह जरूरत कि यहां पर एक हाथी

[श्री मलखान सिंह]

होना चाहिये। यह खरीदना बहुत जरूरी है क्योंकि सड़कों का दुर्भाव है वहां पर बरसात में चलाने के लिये हाथी की जरूरत है। हाथी की जरूरत न ५१ में पड़ी और न ५२ में पड़ी अब आकर पता चला कि एक हाथी की जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह की जो बातें हैं हम को कहा जाता है कि विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि हम ठीक ठीक आलोचना करने वाले हैं आप हमको विरोधी कहिये कुछ कहिये लेकिन यह है कि हम आपकी आलोचना करेंगे। एक एक पैसा जो खर्च होता है इस पर हम कोशिश करेंगे कि उसे जोर से पकड़ें और फिजूल खरची न होने दें। लेकिन हम कहां से उसे रोक सकते हैं। जहां ३६० आप के साथ और यहां थोड़े से ४० बैठे हुये हैं। यहां तो कोई ताकत नहीं है और यही कारण है कि आज इस तरह से बजट लाया जाता है। क्या कारण था कि यह १६ को लाया गया जबकि २१ को बड़ा बजट आ रहा है? इसको तो पहले ही ले आना चाहिये था। दिसम्बर में ही ले आना चाहिये था।

इस प्रदेश में आपको राज्य करते हुये ६ वर्ष हो गये लेकिन कहीं भी किसी तरफ से कोई काम ऐसा हुआ है कि बड़ा अच्छा काम कहा जाय? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आदमी अपने हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। हंसने की बात नहीं है। आपका व्यापार चौपट है या नहीं! आज शहरों के व्यापारियों से पूछिये जो रो रहे हैं और हर एक आदमी हाथ पर हाथ रखे बैठा है। होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि कपड़ा रखा हुआ है दुकानों पर। लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं, खरीदें कहाँ से? तो मैं आप से कह देना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो, बर्मा आप के पास ही एक देश है। अंग्रेजों से उसका पिंड ४ वर्ष हुये छूटा। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने वहां यह कर रक्खा है कि शिक्षा के ऊपर फीस नहीं ली जाती है। ए० बी० सी० डी० से लेकर एम० ए० और डी० लिट० तक कालेजेज और यूनिवर्सिटी में फीस नहीं ली जाती है। आपके यहां रोजाना फीस बढ़ने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि "कल्याणकारी स्टेट" बनाना चाहते हैं। क्या इसी तरह से कल्याणकारी स्टेट बनती है कि गरीबों के ऊपर शिक्षा का भार दिन ब दिन बढ़ाते चले जायं। दूसरी तरफ हालत यह है कि जब सवाल जवाब हुये तो शिवनारायण जी खड़े हुये और कहा कि अपनी तनख्वाहें कम करिये और छोटों की बढ़ाइये, लेकिन उन को रोक दिया गया। यहां पर जो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले लोग हैं, स्कूल के मास्टर लोग, जब उनकी तनख्वाह का सवाल बढ़ाने की बात आती है तो कहा जाता है कि रुपया नहीं है। किसी बात के लिये रुपया नहीं लेकिन और बातों के लिये जो हमारे दिमाग में बात आ गयी उस समय उसके लिये रुपया आ जाता है और सब से बड़ी बात यह है कि रुपया खर्च कर लिया जाता है तब पीछे से आपके आंसू पूछने के लिये कहा जाता है कि मंजूर कर दीजिये। यह कौन सा तरीका है कि करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाय और मंजूरी बाद में मांगी जाय? यह तो वही संस्था कर सकती है या वही मंत्री कर सकता है जो यह समझे कि मैं जो कुछ भी करूंगा, क्योंकि डिक्टेटरशिप है, मेरी बात को कोई काट नहीं सकता है क्योंकि मेरे पीछे ३६० आदमी हैं। कोई ऐसी जमाअत जिसके साथ विपक्षी थोड़ी सी तादाद में नहीं बल्कि बराबरी की तादाद में हों, १०-५ कम की तादाद में बैठे हों वह इस किस्म की जुर्रत नहीं कर सकती कि रुपये को पहले खर्च कर दे और पीछे से ले आये कि यह बजट मंजूर हो जाना चाहिये।

तो मैं आपके सामने यह साफ तौर से बताना चाहता हूं कि न शिक्षा के मामले में कुछ किया गया। कहा जाता है कि बड़े मदरसे खुल गये हैं, बड़ी एजूकेशन फैल रही है, लेकिन हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरा की हालत का जहाँ पर एक मास्टर को जिले के एक कोने से दूसरे कोने में उठा कर फेंक दिया, ट्रांस्फर कर दिया जाता है इसलिये कि उसका बाप सोशलिस्ट हो गया है। यह अजीब चीज है। एक आदमी का केवल इसी लिये तबादला। जब मंत्री महोदय के सामने यह चीज लाई गयी तो कहते हैं कि बड़े अफसोस की बात है। अफसोस की बात कहने से कोई काम नहीं चलता, जबतक कि उसका कोई इन्तजाम नहीं होता है। तो मैं मुनासिब समझता हूं कि जब यह अनुपूरक अनुदान पेश कर रहे हैं तो इस तरह से

अंधेरे में रख कर किसी तरह से एक पैसा भी मंजूर नहीं होना चाहिये। क्योंकि कोई भी अच्छी व्यवस्था कहीं किसी पुलिस विभाग में नहीं है। मैंने आपको बताया मेरे जिले के बारे में, मेरे यहां पर २४ थाने हैं उन चौबीसों थानों का भ्रष्टाचार का खाता मैं हरएक थाने से तैयार करा करके को हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी सेवा में समर्पित कर दूंगा (with facts and figures) ऐसे नहीं कि वैसे ही कह दिया गपोड़ेबाजी में। जो बात कहूंगा वह ठीक ठीक कहूंगा। अतरौली का जो कस्बा है जहां पर हमारे राजाराम साहब अरोड़ा रहते हैं वहां की फाइल मंगाकर देखिये वहां के थानेदार कितनी ही मर्तबा बदल दिये गये हैं इसलिये कि उन्होंने अमुक अमुक एम० एल० ए० की कोठियों पर हाजिरी नहीं दी। तो यह तरीका है और इसका अनुभव सभी करते हैं, हर एक मिनिस्टर यह अनुभव करता है लेकिन अपनी बात रखने के लिये विरोधियों को तो कड़ी कड़ी सुनानी ही चाहिये। तो इसलिये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूं कि यह जो सप्लीमेंटरी ग्रांट आज हमारे सामने स्वीकृत के लिये पेश की गई है यह किसी तरह से भी हमारी समझ में स्वीकृति होने योग्य नहीं है। इसलिये नहीं कि उनमें कोई गलत खर्च हुआ है यह मैं इस वक्त बताने के लिये तैयार नहीं हूं कि गलत खर्च किया गया है या किस तरह से खर्च किया गया है क्योंकि इसका पता नहीं है और जैसा कि मेरे भाई रामनारायण त्रिपाठी ने बताया कि ४९-५० का तो हिसाब शायद आडिट होकर के कुछ आया है हमारे सामने, ५०–५१ का तो आडिट होकर भी नहीं आया और पिछली बार मुझे मालूम है कि जब सवाल उठा था कि आडिट रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा रही है, तब उस समय यह जवाब दिया गया था कि पब्लिक के इंटरेस्ट में यही मुनासिब है कि वह आडिट रिपोर्ट शाया न हो, इसलिये वह नहीं आयी है। तो जहां पर इस तरह की एक सरकार केवल इस बल पर कि उनके साथ ३९० आदमी हैं आडिट रिपोर्ट को भी जनता के सामने न लाये कि उसका हिसाब किस तरह से हो रहा है और हमसे बार-बार कहा जाय कि अमुक ग्रांट को मंजूर कर दीजिये तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गैरमुनासिब चीज है और हरगिज हरगिज इसे मंजूर नहीं करना चाहिये।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, यह जो वादविवाद चल रहा है इस सदन के सम्मुख, यह तो एक जनरल बजट के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया। इस वक्त तो हमको केवल यह देखना चाहिये था कि सरकार ने यह सप्लीमेंटरी बजट जो पेश किया है यह ठीक है या नहीं। यह सही है और जहां तक कि अपोजीशन का कहना है मैं उससे सहमत हूं और शायद सभी सहमत होंगे कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स या सप्लीमेंटरी बजट जो होते हैं वह किसी गवर्नमेंट के लिये भी अच्छे नहीं होते हैं। सप्लीमेंटरी बजट का लाना किसी भी अच्छे गवर्नमेंट के लिये ठीक नहीं समझा जाता है। जितने भी सप्लीमेंटरी बजट होंगे या सप्लीमेंटरी डिमांड्स होंगी वह कभी अच्छी नहीं मानी जातीं। कोशिश यह हुआ करती है कि जो प्रोग्राम बनाया जाय उसके लिये साल में जितने खर्चे की जरूरत हो वह सब उसमें आजाय, एक पैसा कम न हो एक पैसा ज्यादा न हो लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं अच्छी तरह और जैसा हमारे विरोधी दल के लोग भी समझते हैं कि यह चीज इतनी आसान नहीं है कि परफेक्शन इस तरह से आ जाय। कहीं पर भी मुख्य मुख्य देशों में दुनिया के अन्दर ऐसा परफेक्शन नहीं। दुनिया में यह हो सकता है कि कोई महान क्रांतिकारी नेता पैदा हो जाय, यह भी संभव है कि महात्मा गांधी जैसे दूसरे व्यक्ति पैदा हो जायं, मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि नैपोलियन और अलेक्जेंडर जैसे बड़े बड़े कमांडर का पैदा होना संभव है लेकिन किसी देश के लिये किसी बड़े फाइनेंसर का पैदा करना उतना संभव नहीं है। इसलिये अगर फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन हो तो उसके लिये जरा ज्यादा उदारता से सोचना चाहिये। बजट में दो चीजें हुआ करती हैं। एक तो होता है बजट का प्रोग्राम और उसके साथ ही साथ होता है उसका एक्जीक्यूशन। अक्सर ऐसा होता है कि जिस वक्त कि एक मिनिस्टर बजट बनाने बैठता है तो जो प्रोग्राम में चीज होती है उसके बाहर की भी चीज आ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि प्रोग्राम में न आकर बाज दफा उसके बाहर एक्जीक्यूशन में कुछ ज्यादा खर्चा हो जाता है। हमें जनरल डिसक्शन में नहीं पड़ना है। उसके लिये अलहदा

[श्री नौरंग लाल]

दिन दिये हुये हैं। मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा कि हमारे जिले में यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ। इस समय तो हमें यही देखना है कि यह जो सप्लीमेंटरी डिमांड आई है यह कहां तक आवश्यक है और कहां तक नहीं है। मैं दो मिसालें रखना चाहता हूं और एक तो यह है कि जो चीज प्रोग्राम में नहीं रखी गई वह करनी पड़ी। दूसरी चीज एग्जीक्यूशन की साइड में बढ़ जाती है इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो बजट अब सरकार ने पेश किया है वह उचित है या नहीं है। पहली बात प्रोग्राम की है। ४२ नम्बर का अनुदान लीजिये यह Indo U.S.A. Coordination development की स्कीम है जो हमारे सामने पहले नहीं थी। उसे हमारे सरकार ने माना तो इसमें क्या खता हो गई अगर हम इसको न मानकर प्रदेश को इसके फायदे से महरूम रखते तो कहा जाता कि लीजिये नुकसान कर दिया। अगर हमने इसे रख दिया तो कहते हैं कि गलत कर दिया। इसका मतलब तो यह हुआ कि बुरी तो बुरी है ही लेकिन अच्छी भी सदैव बुरी। अगर हम इसे नहीं मानते तो हमें फाइनैन्शल लास होता और हम पीछे रह जाते। इसलिये सरकार ने यह कदम उठाया और ठीक उठाया अब एग्जीक्यूशन साइड लीजिये। प्रोग्राम बनाते समय मिनिस्टर के दिमाग में जमींदारी अबालीशन जरूर होगा मगर साथ साथ ऐसी बातें भी होती हैं जो मिनिस्टर क्या, कोई भी नहीं जान सकता था या सोच सकता था। उधर ध्यान भी नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर चैरिटेबिल संस्थाओं पर हजारों रुपया खर्च हो गया है। खानकाहें वगैरह है जिनमें हजारों रुपया खर्च हो गया है। उसकी कुछ पहले खबर नहीं थी।

अब जिस वक्त जमींदारी अबालिश हुई और रिहैबिलिटेशन का सवाल आया तो उस वक्त लोगों ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर हमारी सरकार क्या करती उसको तो देना ही पड़ता, हमारे मेम्बर्स जो क्रिटिसाइज करते हैं अगर वे ही सरकार में होते तो वे ही क्या करते। तो प्रोग्राम के जानते हुये भी एक्जीक्यूशन साइडज में बहुत सी बातें ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से मजबूरी होती है और इसी कारण सरकार को मजबूरी की वजह से आना पड़ा। मिसाल के लिये लीजिये कि हम रोजाना कानून बनाते हैं। अपोजीशन के मेम्बर्स जानते हैं कि एक एक अमेंडमेंट पर ६, ६ दफा बोलते हैं और एक दिन में कितना रुपया खर्च होता है। जब बहस बढ़ती है तो दिन बढ़ते हैं और जब दिन बढ़ते हैं तो खर्चा बढ़ेगा, १० रुपया रोजाना हर एक पर खर्च होता है गवर्नमेंट ने सोचा था कि ३ लाख में काम होगा लेकिन खर्च हुये ८ लाख तो ५ लाख! तो हमको और आपको मिल गये। गवर्नमेंट को यह तो पता नहीं था कि इतने काम रोको प्रस्ताव आयेंगे, इतने संशोधन आयेंगे, इतनी बहस होगी और इतने दिनों तक असेम्बली चलेगी और अगर खर्च को नहीं बढ़ाना है तो मत बोलिये और अगर बोलेंगे तो खर्च बढ़ेगा। तो इसतरह से एक्जीक्यूशन साइड में उसकी ज्यादती हुई। बहस इस तरह से नहीं होना चाहिये कि कोई चीज सरकार की तरफ से चूंकि आ गई यह कहा जाय कि साहब यह गलत है, यह गलत है और सब गलत है, सब गलत है। सरकार की भी मुसीबतें होती हैं उसको समझकर क्रिटिसाइज करना चाहिये। मैं ने दो तीन मिसालें मोटी मोटी आपके सामने रखीं। उनसे समझा जा सकता है कि जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स पेश हुई हैं उनमें मैंने देखा है लेकिन मुझे तो कोई ऐसी डिमांड नहीं दिखाई पड़ी जिसके लिये मैं गवर्नमेंट से यह कहूं कि आपने यह गलत किया और आपको यह नहीं करना चाहिये था। बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि अगर वह ऐसा न करते तो गलती थी। तो यह बात साफ है कि कभी कभी प्रोग्राम में भी और एक्जीक्यूशन साइड में भी ज्यादती हो जाती है और उसकी वजह से खर्चा बढ़ता है। यह सब देखकर ही बहस करना चाहिये। हर चीज की तारीफ भी नहीं करना चाहिये लेकिन जो चीज एक्सक्यूजेबिल है जो कि बननी चाहिये थी जो गवर्नमेंट को लानी चाहिये थी वह बताई गई है और लाई गई है।

श्री बद्रीनारायण (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभासदगण, मैं यह अनुपूरक अनुदान जो भवन के सामने उपस्थित है उसका समर्थन करने के

लिये आया हुआ हूं। मेरे बुजुर्ग भाई मलखान सिंह ने कहा है कि पहले खर्च करने के बाद में अनुपूरक रखा जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब खर्च पहले किया जाता है और बाद में उसके लिये स्वीकृति ली जाती है। जैसा अभी अभी देवरिया में और पूर्वी जिलों में ओला पड़ गया था। सरकार का कर्त्तव्य था कि ओले पड़ जाने के बाद उसकी जांच कराती और जो कुछ सहायता हो सकती थी देती। अब सरकार ने तो बजट में नहीं रखा था कि ओला पड़ेगा और उसके बाद इतना खर्च करना होगा। तो हम जानते हैं कि ऐसे समय आते हैं जब अनिवार्य होता है कि खर्च किया जाय। तो क्या उस समय असेम्बली बुलाई जाय। उसकी स्वीकृति ली जाय, उसके बाद जांच करायी जाय और अधिकारियों को आदेश दिया जाय कि जहां आवश्यक हो खर्च करें। इसी तरह से मान लीजिये महामारी आ गई और जरूरी है कि वहां दवाओं के लिये खर्च किया जाय। तो क्या पहले असेम्बली बुला ली जाय और बजट पर बहस कर ली जाय तो उसके बाद खर्चा दिया जाय और दवायें दी जायं।

आपने अलीगढ़ के इंस्पेक्टर के तबादिले की बात कही। मैं पूछता हूं कि तबादले कहां नहीं होते। चोरी डकैती जैसे हर देश में बढ़ी है वैसे ही हमारे यहां भी बढ़ गई होंगी और उनक दमन के लिये सरकार प्रबन्ध भी कर रही है। हमने देखा है कि अभी अभी मध्य भारत और हमारी सरकार मिल करके आगरा तथा मथुरा जिला में डाकुओं का मुकाबला कर रही है। इसके अलावा नैपाल वगैरा के बोर्डर से बलवाई आक्रमण करते हैं या चोर, डाकू वगैरह आते हैं उनकी भी जहां तक शक्ति है सरकार मुकाबला कर रही है। ऐसे समय में सरकार को कोई उचित सुझाव न देकर यह कहना कि ऐसी है वैसी है अनुचित है। अगर कुछ कहना है तो आपको उसके लिये कुछ सुझाव भी देने चाहिये। हमारे दल के लोग आपके सुझावों को मानने के लिये तैयार रहते हैं और रहेंगे। हम आप से यह कहना चाहते हैं कि जो कुछ आप कहें ठीक ठीक कहें, गलत बात कहना आपके लिये शोभा नहीं देता है। आप बुजुर्ग हैं आपका हम लिहाज करते हैं हम चाहते हैं कि आप जब कोई बात कहें तो तोल और नापकर कहें। ऐसी बात आप कह रहे हैं और लोग भी कह सकते हैं। कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। आपने इतना लम्बा चौड़ा भाषण दिया लेकिन उसमें कोई सुझाव नहीं दिया कि यह कमी है कि इसको किस तरह से पूरा किया जाय।

यह तो हम मानते हैं कि हर जगह कमी है। इसका कारण अगर देखा जाय तो यह है कि सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों ने हम लोगों के खून को चूसा है। निर्माण का कार्य है इसके करने में समय लगता ही है, और दूसरे अनुभव भी तो नहीं है। जब हुकूमत संभाली गई तो जो तहसीलदार थे उनको कलक्टर और जो थानेदार थे उनको सुपरिन्टेंडेंट पुलिस बनाना पड़ा क्योंकि अंग्रेज आफिसर्स हमारे यहां से चले गये। इस तरह से जब हुआ तो गड़बड़ी होना स्वाभाविक ही है। उसको सुधारने का सही रास्ता बतलाया जाय जिससे सुधार हो सके। हम मानने के लिये तैयार हैं। मैं अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जयहिंद।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आज जो सदन नें सप्लीमेंटरी बजट है उसके समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रत्येक घर में, प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक देश में प्रति वर्ष आमदनी और खर्च का हिसाब हुआ करता है। किसी ने कहा है कि "दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज्य काहु नहिं व्यापा।" जब हमारे ठाकुर मलखान सिंह साहब अलीगढ़ से चले थे तो उनको पता नहीं था कि लखनऊ पहुंचकर क्या फिजा होगी क्या दशा होगी। रास्ते में जेब काट ली गई तो क्या होगा। एक एक शब्द को तौलकर सरकार को रखना जरूरी है। सरकार बजट को इस आदरणीय सदन के सामने रखती है और प्रत्येक सदस्य उसको देखता है और अपने उचित सुझाव देता है।

मैं दस बजे से यहां बैठा हूं। डिप्टी लीडर आफ दि अपोजीशन की यह ड्यूटी थी कि वह अपनी तरफ से एक पैरेलल बजट बनाते और सरकार को हिसाब बतलाते कि इस तरह से

[श्री शिवनारायण]

काम कीजिये। सिर्फ थोड़ी सी कल्पना और क्रिटिसिज्म से काम नहीं चलता है। मैं समझता था कि आज श्री राज नारायण जी मौजूद नहीं हैं तो डिप्टी लीडर हमारे बजट के पैरेलल बजट पेश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन शिकायत की गई है पुलिस वगैरा के बारे में। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि यह आपकी गलत धारणा है। हर गांव के थानेदार का तीन तीन वर्ष बाद ट्रांसफर हो जाता है। किसी मेम्बर के कहने से ट्रांसफर नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ी होती है तो उसका ट्रांसफर होता है। हमारे आपके कहने से ट्रांसफर नहीं होता। यह कहना कि किसी मेम्बर के कहने से ट्रांसफर हो जाता है यह कितना बड़ा आक्षेप है आप भी तो मेम्बर हैं। हम और आप बराबर हैं। आप हम पर छींटा कसते हैं और हम आप पर कस सकते हैं। पार्लियामेंटरी सेकेट्रीज और डिप्टी मिनिस्टर्स की बात कही गई। वह कौंसिलर्स रेजीडेंस में छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। मैं आपके डिप्टी लीडर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि उसी कौंसिलर्स रेजीडेंस में वह भी तो रहते हैं। भंगी का लोनी को उन्होंने कहां आबाद किया। आप अगर नमूना पेश करते तो हम आपके पीछे चलने को तैयार होते। आप तो वहां रहना नहीं चाहते हवाई बातें करते हैं। आप अमल में काम करके दिखलाइये।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे बस्ती जिले में लड़कियों के इंटरमिजियेट कालेजेज हैं उनकी इमारतें नहीं हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आगे आने वाले बजट में कम से कम उसके लिये कुछ रुपया जरूर हिसाब में रक्खा जाय। प्रत्येक वर्ष सप्लीमेंटरी बजट चार चार मर्तबा न रक्खा जाय यह आपकी सलाह हम मानते हैं। लेकिन यह फाइनेंस का विषय है। हर आदमी फाइनेंस में निपुण नहीं होता। कमेटी में आप भी मौजूद होते हैं। मुख्य मंत्री ही अकेले फाइनेंस कमेटी में नहीं बैठते। वहां आप सलाह दे सकते हैं। सुन्दर बजट बनवा सकते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है। अकेले हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है।

पुलिस के बारे में सरकार पर जो छींटा कसा गया हमें भी शिकायत है कि पुलिस का ऐडमिनिस्ट्रेशन ढीला है लेकिन आप सरकार के साथ सहयोग करें ताकि गवर्नमेंट अपनी मशीनरी को टाइट करे।

कुछ पटवारियों को पेंशन देने की बात कही गयी रूल तो यही है कि ५५ साल की नौकरी के बाद पेंशन दी जाय। अगर १५, १५ साल के बाद पेंशन दी गई तो बहुत सा बजट पेन्शन में ही चला जायगा। यह सुझाव आप का उचित नहीं है। हमारे सदन के माननीय सदस्य भी इस पर विचार कर सकते हैं।

मेहतरों की महंगाई के बारे में कहा गया। कुछ फुल टाइम काम करते हैं और कुछ पार्ट टाइम। मुझे उनसे हरिजन होने के नाते पूरी हमदर्दी है। कुछ स्वार्थी और कम्युनिस्ट लोग उनको बरगलाते हैं। मैं जानता हूं कि उनको कहां तक मिसयूज किया जाता है। हर आदमी भंगी कालोनी में घुस जाता है। सही मानों में काम किया जाय तो और बात है लेकिन कम से कम हड़ताल करा कर उनको नौकरी से न निकलवाइये। आप सरकार में हैं। सरकार से कहिये कि उनकी मंहगाई बढ़ाई जाय। अगर एक को २५ रुपये दी जाती है तो दूसरे को भी २५ रुपये दिये जायं। लेकिन वर्क के डिवीजन के हिसाब से महंगाई दी जाती है। पार्ट टाइम वाले को कम मिलती है और फुल टाइम वाले को ज्यादा। दूसरी बात यह है कि हमारा सरकार से यह अनुरोध है कि वह जो ट्यूबवैल्स बना रही है उनको फौरन बनाये, यह न हो कि छोड़ दिये जायं और कागज में ही रखे रह जायं। हमारे पास रेकार्ड है कि वे पश्चिमी जिलों में भी बनाये जा रहे हैं और पूर्वी जिलों में भी बनाये जा रहे हैं। इस संबंध में सरकार से एक और अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि वह मदरसों को भी इसमें रखें, फूड में जो रुपया खर्च हो रहा है उसमें से सरकार को शिक्षा संस्थाओं और विद्यार्थियों के लिये भी कुछ रुपया अलाट कर देना चाहिये, इसकी जरूरत है। अगर सरकार ने

अभी तक ऐसा नहीं किया है तो उसको चाहिये कि अगले बजट में जरूर रखा जाय तो यह बहुत ही सुन्दर चीज होगी । देश के उत्थान और कल्याण के लिये यह बहुत जरूरी होगा। ऐसा सुझाव पेश करने की आवश्यकता है । मैं इसके लिये विरोधी-दल से भी अनुरोध करूंगा कि उसको भी ठंडे दिल से इस पर विचार करना चाहिये । जैसा कि मैंने परसों भी कहा था कि चाहे हम आपस में १० और ५ हों लेकिन गैरों के लिये हमको १०५ होना चाहिये। वाकई अगर हमने अपने देश को इन ५ सालों में आसमान पर न बिठा दिया तो हमारे लिये बड़े शर्म की बात होगी।

नहर विभाग की जो स्कीम्स हैं उनमें सरकार को चाहिये कि वह छोटे छोटे लेबरर्स की ओर ज्यादा ध्यान दे और उनको उचित वेतन दिया जाय। गांवों में लाल टोपी पहनने वाले भी हैं और वे ऐसे ही नहीं हैं उनमें जमींदार भी हैं, इसलिये मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वे भी जाकर लेबरर्स को ज्यादा से ज्यादा मजदूरी दें।

प्रश्नोत्तर के समय में हमें मालूम हुआ कि शरणार्थियों की कालोनी बन रही है । और भी कालोनीज बनती रहती हैं लेकिन हरिजनों के लिये कोई कालोनी नहीं बनती। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में हरिजनों की पपुलेशन एक चौथाई है इसलिये हमको चाहिये कि हम लोग उनको इगनोर न करें। हम लोगों को भी ऐसी कालोनी बनाने की आवश्यकता है। हम हमेशा से सरकार को मजबूत रखते आये हैं और बनाते रहेंगे । मैं इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो भी व्यय किया जाय वह सधे हुये तौर से किया जाय और ठीक ढंग से किया जाय ताकि रुपये का मिसयूज न हो।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों की तक़रीरें इस सप्लीमेंटरी बजट के सम्बन्ध में सुनीं लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि जिन साहबान को इस सप्लीमेंटरी बजट पर एतराज है वह एतराज क्यों है क्योंकि जब मैंने सप्लीमेंटरी बजट के आइटम्स को देखा तो मुझे मालूम हुआ कि जो रुपया खर्च किया गया है वह उन्हीं साहबान के जिलों में खर्च किया गया है जो कि उसमें एतराज पेश कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में उनको सौभाग्यशाली समझता हूं और बधाई देता हूं क्योंकि सप्लीमेंटरी बजट तो उन्हीं के यहां खर्च कर दिया गया है लेकिन मुझे एक भी माननीय सदस्य इस सदन में ऐसे नहीं मिले जो कि हम पहाड़ी भाइयों की उदारता पर उन्हें बधाई देते। जो कुछ रुपया हमारे बजट में सैंक्शन था वह खर्च नहीं हुआ। मैं तो समझता हूं कि इसके लिये सरकार जरूर बधाई की पात्र है। आखिर को हमारी सरकार ने ये तो समझा कि पहाड़ के लोगों के लिये बजट में रुपया सैंक्शन हो जाने पर उनका उद्धार होने जा रहा है। जैसा कि सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया है यह बिल्कुल मुनासिब है। यह हो सकता है कि इसमें इल्लिगेलिटी हो, यह मुमकिन है कि ठीक समय में सदन की सम्मति न ली गयी हो, उसकी मुहर न लगायी गयी हो, तो क्या इतने ही पर इस बजट को कंडम किया जा सकता है? यहां पर इस सदन में तो इतने बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा क्या सबूत है जिससे आप यह साबित करते हैं कि यह रुपया नाजायज तरीके से खर्च हुआ है, या इमबेजलमेंट हुआ है या वेस्ट हुआ है। आज तो साइंस का युग है और हर बात हर आदमी साइंटिफिक दृष्टिकोण से ही देखता है। मैं पूछता हूं कि इस तरह की दलीलों से सदन की सद्-भावना प्राप्त करने के आप हक़दार हैं? दूसरों पर इसका असर भले ही कुछ पड़ जाय लेकिन बुद्धिजीवी लोगों पर इस तरह की स्पीचों का कुछ भी असर होने वाला नहीं है। अब मैं आगे चल कर आपको बतलाना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट का क्यों जिक्र किया गया। असली बजट ना के बराबर तो था ही लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कर्ण प्रयाग में जो हाई स्कूल है जहां बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं वहां हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी गये और हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब जो इस सदन में

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मौजूद हैं वे भी वहां तशरीफ ले गये और उन्होंने उसका निरीक्षण किया। वहां विद्यार्थियों के रहने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। स्कूल के पास इतना पैसा भी नहीं है। इसलिये सरकार को चाहिये कि उस तरफ ध्यान दे। इंसपेक्टर आफ स्कूल्स ने जो मुआयना किया है उसमें उसकी हालत के बारे में अंकित है। सन् १६४२–४३ में १४ लाख रुपये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट हासपिटल के लिये रखा गया था। कर्णप्रयाग स्कूल के लिये जमीन भी एक्वायर कर ली गयी, लेकिन आज तक उसका कहीं नामोनिशान नहीं है। जो जमींनें एक्वायर कर ली गयीं वे बंजर पड़ी हुई हैं। जहां पहले थोड़ा बहुत अनाज पैदा हो जाता था वहां वे जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं। और सरकार ने कोई भी कदम इस दिशा में नहीं उठाया। गर्ल्स हाई स्कूल, पौढ़ी के लिये भी जमीन एक्वायर कर ली गयी है। उसकी बिल्डिंग का नामनिशान तो दूर रहा एक पत्थर भी वहां नहीं रखा गया है।

एक सदस्य—क्या गवर्नमेंट स्कूल ?

श्री चन्द्रसिंह रावत— जी हां, गवर्नमेंट स्कूल। अगर इसमें कोई गलती हो तो मैं उसका सुधार करने के लिये तैयार हूं। इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो सप्लीमेंटरी बजट हुआ है उसमें तो किसी को भी शिकायत नहीं होना चाहिये और जिनको उसकी शिकायत हो सकती थी उन्होंने तो सरकार को बधाई दे दी। अब ऐसा लगता है कि आने वाले बजट में जो थैला है जिसमें सरकार ने न मालूम क्या-क्या रखा है उसके लिये उन भाइयों को भी उत्साहित होना चाहिये जो चुपकी साधे हुये बैठे हैं। वे भी इस ओर नजर लगाये हुये बैठे हैं कि आखिर उनके लिये सरकार क्या करने जा रही है।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्दर्सिंह रावत—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि हिमालय पहाड़ से जितनी भी नदियों का उद्गम हुआ है जो कि गढ़वाल जिले से होकर प्लेन्स पर आती हैं वे सब नदियां मेरी ही कांस्टीटुएंसी से होकर आती हैं। इसको मेरा दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य परन्तु इतना मैं निश्चित कह सकता हूं कि मेरी कांस्टीटुएंसी की जनता का यह दुर्भाग्य है क्योंकि इन नदियों में झूलों और पुलों की व्यवस्था न होने के कारण हर साल सैकड़ों आदमियों की जानें बह कर खत्म हो जाती हैं और वहां के जानवरों का तो कहना ही क्या है। मैंने इसके मुताल्लिक कई बार सरकार के पास लिखा पढ़ी की कि इन दूर दराज पहाड़ों के ऊपर और नदी के किनारे रहने वाले लोगों के यातायात की सुविधा के लिये अगर सरकार पुलों की व्यवस्था नहीं कर सकती है तो कम से कम झूलों की तो व्यवस्था सरकार कर ही सकती है। अगर करोड़ों और लाखों रुपये सरकार वहां सालाना खर्च नहीं कर सकती है तो कम से कम ५० हजार रुपये तो चार पांच झूलों को बनाने के लिये खर्च करने का इरादा तो सरकार करे। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से आसानी से ये छोटी मोटी मुश्किलातें लोगों की दूर की जा सकती हैं। परन्तु मुझे दुःख है कि बावजूद इस सारे प्रयास के हमें कोई भी सरकार की ओर से इस दिशा में मदद का इशारा नहीं मिला है और न कोई रुपया ही इस दिशा में अब तक खर्च हुआ है। फिर भी मैं इस सप्लीमेंटरी बजट से जो पालिसी गवर्नमेंट की जाहिर होती है उसको ऐप्रीशिएट करता हूं। कारण यह है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी काम सरकार हाफ़ हार्टेडली करे या बाई फ़िट्स ऐंड स्टार्टस करे। जो काम सीरियसली किया जाता है उसको पूरा किया जाना नितांत आवश्यक है वरना अगर उसको कई बार शुरू करके और बीच में छोड़ करके फिर शुरू किया जाता है तो उसमें बहुत बड़ी क़ीमत सरकार को अदा करनी

पड़ती है। परन्तु मैंने इसके विपरीत देखा है कि मेरे जिले में पीपल कोठी से आगे जो गाड़ी की सड़क गई है जिसमें लाखों रुपया खर्च किया गया है उसकी मरम्मत न होने के कारण वह सड़क एक रेनी सीजन के बाद मटियामेट नजर आयेगी और जो रुपया बजट में रखा गया था उसकी एक पाई भी खर्च न करके महफूज सरकार के पास भेज दिया गया है, कारण यह कि डिपार्टमेंट से सैंक्शन नहीं मिली। कीर्तिनगर के पास जो पुल सरकार ने मंजूर किया है वह इस प्रकार के बनाने की व्यवस्था है कि उस पर टैंक पास होंगे। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का पुल बनेगा भी या नहीं। शायद अमेरीका वगैरह से दस पांच साल लिखा पढ़ी करने के बाद बन सके। मंजूर होने पर उसका भी रुपया महफूज सरकार के पास चला आता है। गाड़ी की सड़क जो बनी है वह किसी से छिपी नहीं है। सैकड़ों आदमी बैमौत इस सड़क पर मरते चले जा रहे हैं। यहां के इरीगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर मिस्टर गुप्ता जब कि १८ आदमियों के साथ खड्ड में गिर पड़े थे और मैं उनको अपने कंधों पर उठा कर जब सड़क के ऊपर लाया था तो उस नजारे को आप देखते जिसको मैंने अखबारों में भी दिया था, मैं समझता हूं कि अगर आपका कोई निकट सम्बन्धी उस प्रकार खड्ड में गिर कर मरा होता तो आपको जरूर उसका दुःख मालूम होता। मैंने उनकी बीबी को आंसू बहाते और बिलखते हुए, अस्पताल में उस वक्त देखा जब उनके प्राण निकल रहे थे, तो मुझे महान् दुःख हुआ। लेकिन बावजूद इसके आज भी उसकी मरम्मत उस तरह से नहीं की जाती है जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाएं भविष्य में न होने पाएं। एक नहीं बीसों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और एक एक दुर्घटना में १०-१०, १५-१५, २०-२० आदमियों की मौत होती है। डिप्टी मिनिस्टर मि० शर्मा जो मौजूद हैं उनको पता है कि वहां पर पैराप्य वाल्स की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं समझता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट का यह ध्येय है कि जो काम अधूरा पड़ा है उसका सप्लीमेंटरी बजट में इन्तजाम किया जाना नितान्त आवश्यक है और उससे हमारे सप्लीमेंटरी बजट के अभिप्राय की पूर्ति होती है। लैंसडाउन में एक बोर्डिंग हाउस के बनाने में गवर्नमेंट ने लाखों रुपये खर्च किये लेकिन इतना खर्च होने पर भी उसमें खिड़कियां और दरवाजे तीन साल पहले बिल्डिंग तैयार होने पर भी आज भी पूरे नहीं हुए हैं। मैं कहता हूं कि सरकार ने एक लाख से ऊपर खर्च किया, क्या दरवाजों और खिड़कियों के लिये कुछ हजार रुपये सरकार के पास नहीं हो सकते। मैं यह समझता हूं कि इसी प्रकार के रुपये की व्यवस्था सप्लीमेंटरी बजट में की जानी चाहिये थी जो कि आज हमें दिखायी नहीं देता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम वे लोग जो कि ईमानदारी के साथ अपने राष्ट्र के निर्माण कार्य में जुटे हुये हैं जो कि सरकार का हाथ बहुत हद तक बटा रहे हैं, खुद परिश्रम करके और मेहनत मजदूरी करके वहां पर मैं समझता हूं कि सरकार का फर्ज है कि उनकी इमदाद के लिए कुछ रुपया मंजूर करे। मैं नहीं चाहता, न मैंने कभी सरकार के पास यह मांग रखी है कि आप पूरा पूरा रुपया मंजूर करिये; मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां ८६ जूनियर हाई स्कूल की इमारतें बनी हैं जिसमें चालीस हजार से कम रुपया एक स्कूल की बिल्डिंग में नहीं लगा है। उन सारी ईमारतों को जनता ने अपने पसीने की कमाई और श्रम से बनाया है। लेकिन सरकार न एक भी पैसा उनको नहीं दिया। सरकार बता दे कि उनको इमदाद के रूप में कुछ दिया गया है। मैं समझता हूं कि अधूरे कामों को पूरा करने के लिये अगर सप्लीमेंटरी बजट में ही व्यवस्था कर दी जाती तो इससे वे काम पूरे हो सकते थे।

गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूलों के खोलने के लिए एक हजार रुपये की मदद देने का वादा किया था। जितना भी हुआ है उसके लिये भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सारे ग्लेस के अन्धकार का पुलिन्दा आपने लाकर मेरी पीठ पर बांध दिया। उसे मैं कहां ले जाऊं। मैं उस अन्धकार के पुलिन्दे को लेकर बद्रीनाथ की यात्रा को गया हूं।

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

उस अन्धकार की मौत हिमालय में ही हो सकती है जहां पांडव स्वर्गारोही हुए थे। इस अन्धकार को दूर करने की अगर में सरकार से मांग करूं तो मेरी ओर से कोई बड़ी भारी मांग इस सदन के सामने नहीं होगी और इस सरकार के सामने उपस्थित मांग अन्यायपूर्ण नहीं कही जा सकती है। इसलिये में यह उम्मीद करता हूं कि सरकार गढ़वाल में बिजली पैदा करके हमें अन्धकार से बचायेगी। इस सप्लीमेंटरी बजट में जो रुपया सरकार की ओर से खर्च हुआ है वह सरकार ने बहुत ठीक किया है कि अधूरे काम को पूरा किया। अगर एक चीज टैक्नीकलिटी की वजह से ग़लत हो गयी तो उसको आपने बड़ा रूप दिया है। इसमें कोई तथ्य नहीं है और इस बजट को तो फौरन ही मंजूर हो जाना चाहिये।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक साल के अन्दर ४ बजट पेश हुए हैं। एक बजट तो हम लोगों के आने के पहले ही इस वर्ष के लिये पेश हो चुका है। उसके बाद एक भारी बजट पेश हुआ जिसने हमारे राज्य की जनता की कमर तोड़ दी। उसी बजट का हमने बार बार विरोध किया था और अनुभव किया था कि यह भारी बजट पेश हुआ जिसने हमारे राज्य की जनता की कमर तोड़ दी। उसी बजट का हमने बार बार विरोध किया था और अनुभव किया था कि यह भारी बजट है। आपको हम यह भी बता दें कि भारी भारी बजट हों तो जनता का कोई नुकसान नहीं हो सकता। जैसे समुद्र से बादल उठता है और फिर आ करके यहां वर्षा होती है और फिर वही पानी समुद्र में गया और फिर बादल बन कर बरसा, बजट की यही हालत होनी चाहिये। मगर हमारी सरकार का जो बजट होता है वह न जाने कहां चला जाता है? उसका सारा का सारा पैसा गरीब लोगों से तो वसूल होता है मगर जाता है अमीर लोगों की जेब में। उस पैसे से गरीब लोगों पर जुल्म ढाये जाते हैं। अगर जुल्म ढाकर सरकार की ओर से उसकी तारीफ न की जाय तो भी गनीमत होती, अगर गाड़ियों कागज साल भर में छपा छपा कर के बांटे जाते हैं जरमनी में जो गवर्नमेंट डा० गोएबिल्स के समय में थी उस जमाने में जो प्रचार उसका होता था, उसे भी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रचार मात कर देता है। गाड़ियों में चले जाइये, डिब्बों में बैठिये, कागजों का ढेर लग जाता है। ऐसे समय में जब बच्चों को काग़ज मिलना दुश्वार हो गया है, एक आने का एक शीट काग़ज मिलता है, बढ़िया बढ़िया कागज और छापे के अच्छे से अच्छे साधन झूठे प्रचार में लगे हुए हैं। अभी कल हमने गवर्नर महोदय का संबोधन सुना और दो रोज बहस भी हुई। गवर्नर महोदय के संबोधन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आया उस पर काफी लोगों ने वादविवाद किया। उसमें की आप एक एक चीज को उठा कर देखिये, जैसे वह सम्बोधन एक काल्पनिक उत्तर प्रदेश का है। उसे पढ़िये और फिर आप गांवों में जाइये और खोजने लगिये कि जिस राज्य की तारीफ की गयी है वह कहां है, तो मालूम होगा कि वह स्वप्न का है। वह इस हाउस में चाहे हो, मगर बाहर तो नहीं है। इसी प्रकार का यह बजट है। दारुलशफा में चले जाइये तो वहां इस बजट की झलक आती है, मंत्रियों के बंगले में जाइये तो वहां भी बजट की करामात दिखाई देती है, किसान के झोंपड़े में चले जाइये और चले जाइये गांव में मजदूरों के समीप तो आपको वास्तविकता मालूम होगी। यहीं लखनऊ शहर में मुराद अली लेन है, वहां देखिये कि वह मुहल्ला किस तरह का नर्क है। मगर लाखों रुपया कहा जाता है कि जनता की बहबूदी के लिए खर्च किया जाता है। यही इतनी बात नहीं है नये नये विभाग खोले जाते हैं और उनका नाम बढ़िया से बढ़िया रखा जाता है। वाहन विभाग का एक खर्च हमारे बजट में है और हमने वाहन विभाग का जो नाम रखा है उसका मतलब होता है सोशलाइजेशन। भला आप बताइये सोशलाइजेशन किस तरह कर रहे हैं। सोशलाइजेशन की मतलब तो होता है कि जिससे मजदूरों में हड़ताल न होती हो, सोशलाइजेशन का यही एक खास पहिचान है कि जिसमें मजदूर बिल्कुल आसूदा रहे, हड़ताल न करता हो, जिसमें हड़ताल का नाम न आता हो,

उसको कोई शिकायत न हो। लेकिन रोज इस समाजीकरण यातायात में हम देखते हैं कि हड़ताल की खबर रहती है। प्रतिदिन एक न एक अखबार के पन्ने में इनकी मांग रहती है। हड़ताल की सूचना रहती है। हड़ताल इसलिये होती है कि उनको मजदूरी कम मिलती है। बावजूद इसके कि जब पब्लिक की गाड़ियां चलती थीं तो जितना किराया वह लेती थी उससे तीन गुना किराया अब वसूल किया जाता है, और खर्चे के लिए वाहन विभाग में जो रुपया मांगा गया था उसमें साढ़े तीन करोड़ के करीब रुपया आपने मंजूर किया है। सप्लीमेंटरी बजट जो तीन आये हैं एक हमारे पहले ही आया था और बाकी बाद में आये हैं उसमें भी रुपया मांगा गया होगा। आज भी थोड़ा रुपया मांगा गया है। इस तरह से मैं समझता हूं कि ४ करोड़ के लगभग उसमें खर्च किया गया है और आमदनी उस विभाग से अगर आप देखेंगे तो २६ हजार की है। इन्तजाम इस तरह का है कि जो गाड़ियां बाहर से मंगाई गई थीं उनको इस तरह से बेतहाशा दौड़ा कर के खराब कर दिया गया है कि पब्लिक की गाड़ियां जो उन्हीं के साथ खरीदी गई थीं आप पता लगा कर देख सकते हैं कारखाने से कि जिस दुकान से जिस सन् में आपकी गाड़ी खरीदी गई है, उसी सन् में उसी दुकान से पब्लिक के किसी आदमी ने अगर गाड़ी खरीदी है तो अगर उसकी गाड़ी १० वर्ष तक चलेगी तो आपकी गाड़ी चार वर्ष में खत्म हो गई होगी। चार वर्ष बहुत ज्यादा कह रहा हूं। चार वर्ष तक चल जाय तो बहुत है। कागज में लिखा हुआ है कि १,३०० गाड़ियां हैं। लखनऊ रोडवेज स्टेशन में जाकर देख लीजिये तो मालूम हो जायगा कि कितनी गाड़ियां खराब पड़ी हैं। सोशलाइजेशन की बात कही गई है। सोशलाइजेशन के क्या यही माने हैं। अगर मशीन यहीं बनती होती तो भी और बात थी कि अगर गाड़ी खराब हो गई तो उसे हम यहीं बना लेंगे या ठीक करा लेंगे लेकिन हमारे यहां तो गाड़ियां दूसरे देशों से अमेरिका से और बाहर से आती हैं। उनके मेकैनिक तो बाहर के होते हैं। एक तो जो बाहर से गाड़ियां आयी थीं पब्लिक की जो चल रही थीं, उन गाड़ियों को हमने खड़ी कर दिया है। वे बरसात में जाड़ों में बाहर पड़ी हुई खराब हो रही हैं उनकी जगह नयी गाड़ी चला रहे हैं पेट्रोल भी हमारे यहां नहीं है, उस पर भी पब्लिक की गाड़ियां जो १० गैलन पेट्रोल खाती हैं तो सरकारी गाड़ी ५० गैलन पेट्रोल खाती है, पांच गुने से कम का फर्क नहीं है इसलिये किराये में शायद इतना फ़र्क़ हो गया है। राज्य की पब्लिक की गाड़ियों के लिये आज भी कानून बना हुआ है कि टिकट कटे और गाड़ी का किराया निश्चित हो लेकिन आपकी गाड़ी में, अंधाधुंध सौभाग्य से इलाहाबाद का मेला लग गया तो जो यात्री इलाहाबाद जायगा पहले तो वह दोनों तरफ का किराया दे कर जायगा और आते वक्त वह फिर किराया देगा। यह तो समाजीकरण के नाम पर शोषण हो रहा है। उसके बाद मैंने यह पढ़ा कि मत्स्य पालन का एक नया उपाय सोचा जा रहा है। यह सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि तुम्हारे शोषण का एक नया उपाय सोचा जा रहा है। मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं। नक्शे में आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा उस जिले में २० नदियां हैं। मगर आज फागुन का महीना है आज कल अगर देवगांव तहसील के ऊसर में प्यास लगजाय तो जब तक मीलों तक चलकर किसी गांव में न पहुंचेंगे तब तक पानी नहीं मिलेगा। उस जिले में मत्स्य पालन हो रहा है। मत्स्य पालन का एक अफसर एक बंगले में बैठकर ४००, ५०० तनख्वाह पाता है, एक गाड़ी चारों तरफ दौड़ती है, मैं नहीं जानता कि सूबे भर में इस तरह की न जाने कितनी गाड़ियां दौड़ती होंगी, और इस तरह से मत्स्य पालन हो रहा है। मत्स्य पालन के नाम पर जिस तरह से अब तक पैसा बहाया जा रहा था वह तो देख लिया लेकिन अब इस नये बजट में मत्स्य पालन का नया तरीक़ा हमारे सामने आया है कि अब उसमें विकास किया जायगा। भगवान ही खैर करे।

मेरी तबियत में यही आया कि मत्स्यपालन के नाम पर शोषण का नया तरीका निकाला जा रहा है। अभी हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि नलकूप लगेंगे और उनसे बड़ी भारी सिंचाई होगी। यह हमको सपना दिखाया जा रहा है। बाक़ी सरकारी मदस्य

[श्री उमाशंकर]

लोग उसका आनन्द लूट रहे हैं भत्ता बना रहे हैं । जब पूर्वी जिलों का नाम लिया जाता है तो मेरी समझ में आता है जैसे लोग स्वपना देखते हैं, जाग जाते हैं और फिर घंटा भर उसी बात में लगे रहते हैं उसी तरह मेरा दिमाग़ भिन्ना जाता है इस नलकूप के स्वप्न को देख कर । पिछले बजट में आप देखेंगे कि गोरखपुर में जो नलकूप लगाये जाते हैं उनसे पानी लेने पर १५० प्रतिशत सरचार्ज लगा हुआ है और आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर में २०० परसेंट है । गोरखपुर में सुना है कोई किसान उससे पानी लेना पसन्द नहीं करता । ऐसे नलकूप से तो काम नहीं चल सकता और अभी बने भी नहीं ह, खाली हवा है । फिर उससे इतना महंगा पानी कोई जब नहीं लेगा तो क्या फ़ायदा है । पूर्वी जिलों में वैसे ही भारी ग़रीबी है । आप उनके जले पर नमक क्यों छिड़कते हैं ? जब माननीय मंत्री लोग यहां से मोटरों पर सवार हो कर वहां जाते हैं तो वहां की जनता दौड़ कर आती है कि हमारे लिये कोई नयी चीज़ लाये हैं । लेकिन वहां आप देखते हैं कि टैस्ट वर्क में २०००हज़ार आदमी काम कर रहे हैं । यहां आते ही हुक्म होता है कि १०आना मज़दूरी की जगह ६ आना कर दो और फिर देखो कि लोग आते हैं या नहीं । जैसे मानों जब पूर्वी जिलों में अकाल पड़ता है तो सेक्रेटरियेट में चैत आता है । उनके भत्ते बनते हैं और उधर लोग भूखों मरते हैं । आप हमारे ऊपर कोदो न दलिये भले ही आप का भारी बहुमत है । हम चुपचाप सुनते रहेंगे जो बनेगा वह करेंगे । मगर आप एक ही चीज़ को तरह तरह से बार बार लाकर क्यों प्रचार करते हैं ? अगर आप इस तमाम बजट को एक ही बार में ले आते तो जो पैसा इन सदस्यों पर बेकार ख़र्च हो रहा है वह बच जाता और आप उसे किसी भले काम में लगा सकते थे । मगर इस तरह से धोखा देने से क्या फ़ायदा ? आप देखते हैं कि पैट्रोल और रबड़ बाहर से आता है ।

इस तरह से जो रोडवेज़ का बड़ा भारी लाभकरी का प्रचार कर रहे हैं और मोटरें दौड़ा कर इस मुल्क के ग़रीबों को तबाह कर रहे हैं यह वैसा ही है जैसे महा-भारत का हमें क़िस्सा याद आता है कि जब द्रोपदी नंगी की जाने लगी तो बाद में लोगों ने भीष्म पितामह से पूछा कि दादा आप तो वहां मौजूद थे यह अनर्थ कैसे हुआ, उन्होंने जो जवाब दिया माननीय सदस्यों को मालूम है वैसे ही जब पंडित सम्पूर्णानन्द और पंत जी को देखता हूं तो यह प्रश्न होता है कि ये लोग मौजूद हैं और इनके नेतृत्व में जनता तबाह की जाती है और ये लोग भीष्मपितामह की तरह मूक रहते हैं । अभी अभी बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने कल एक बयान इसी सदन में दिया है कि पुलिस में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई शोषण नहीं है, और अपराधों की संख्या कम हो गयी है । मैं नहीं समझता कि उनको मालूम है या ऐसे ही कह देते हैं । मेरे देखने में तो अपराधों की संख्या दुगुनी बढ़ गयी है । "हां" काग़ज में लिखा नहीं जाता है उल्टे जो अपराधों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं उनको पुलिस दबाने की कोशिश करती है , मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वह जांच करना चाहें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि जिन लोगों ने पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठायी है उनमें कितने जान से मारे गये हैं और मैं खुद ही इसका शिकार हूं कि मेरे ख़िलाफ एक बयान हल्फ़ी दिलाई गयी है । जब कि मैं यहां सदन में था एक ग़रीब किसान के हरे पेड़ चौकीदार ने कटवा लिये थे मैंने उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी और उसने सही बयान भी उस अधिकारी के सम्मुख दिया, उस केस को दबाने के लिये पुलिस ने ऐसी कार्यवाही की, कि आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैंने तो यह सिर्फ एक मिसाल के लिये कह दिया वरना मेरे कहने का मतलब तो यह है कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है और खासकर पुलिस के अत्याचारों में कमी नहीं है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है । मगर आप इतने ही में प्रसन्न हैं कि आप के पास अख़बार है और सुख शांति की आवाज़ छप जाती है । जो प्रचार हो रहा है उसको देखा जाय तो उससे मालूम होगा कि आप का राज्य ठीक तरह से चल रहा है, शान्ति है, सर्वत्र सुख है और आनन्द है । यही नहीं गवर्नर साहब का एड्रेस जब कोई अमेरिका में पढ़ेगा, तो यह समझेगा कि उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन गया है । और उसके मुक़ाबले में दुनिया में कोई राज्य नहीं है । या बाबू सम्पूर्णानन्द जी का जो कल का बयान है वह जब अमेरिका या इंगलैंड में पढ़ा जायगा तो वहां का आदमी यह समझेगा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुकाबिले में अब दुनिया की कोई पुलिस सेवा भाव में नहीं रह गयी है । मगर वास्तविकता इसके ख़िलाफ़ है । हम बताना चाहते हैं कि आप लोग ज़रा गांव की तरफ

भी देखिये। जो कुछ आप यहां कहत हैं ठीक उसका वहां उल्टा हो रहा ह। जितने माने म आप यहां अच्छे कहते हैं उतने ही मिकदार में वहां खराबी है। और मैं तो यह अर्थ लगाता हूं कि गवर्नर साहब के भाषण में जो पुलिस का जिक्र नहीं है शायद इसलिये कि उसका अत्याचार चरमसीमा पर पहुंच गया है। इसलिये उसके जिक्र की कोई जरूरत नहीं है। इसलिये मैं आप से कहूंगा कि आप सभी सज्जन जब इस बजट को देखें तो इस दृष्टि से देखें कि यह बजट जो पुराना बजट था वह तो जनता की कमर तोड़ देने वाला बजट था ही मगर उसमें कोई कमी रह गयी थी तभी उसको पूरा करने के लिये यह आया है। इसी के साथ साथ यह आनेवाले बजट की एक भूमिका है। यह बजट आने वाले बजट की एक चेतावनी दे रहा है। इसलिये हम आप सब लोगों से चाहते हैं और खासकर विरोधी दल के लोगों से कि अगला बजट जो आने वाला है उसको जरूर ठीक से पढ़ना चाहिये। पहले बजट से जिसको हम खर्चीला बजट कहते थे और जिसकी हम बराबर निन्दा किया करते थे उसका सप्लीमेंट्री है, यह सप्लीमेंट्री बजट उस आने वाले बजट की एक भूमिका भी है इसलिये उस आने वाले बजट को आप लोग बहुत सोचसमझ कर पास करेंगे। अगर इस बजट में आप ने पांच रुपये की भी कमी कर दी तो इस सरकार के लिये एक चेतावनी होगी कि ये सदस्य यहां पर ऐसे ही नहीं बैठे हुये हैं और आंख मूंद कर जो हम करते जायंगे उसको ये पास नहीं करते जायंगे। यही मैं आप लोगों से चाहता हूं कि हम लोग दिमाग खोलकर इस हाउस में सच्ची बात कहें। मैं समझता हूं कि लोग इसको जरूर पसन्द करेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के भाषणों को बड़े गौर से सुना और मेरे साथी और दोस्त श्री उमाशंकर जी ने जो आखिरी नसीहत की उसको मैं कैसे मानने के लिये तैयार होऊं जब कि उन्होंने सारे भाषण में या तो गवर्नर महोदय के एड्रेस पर अपने विचार प्रकट किये अथवा आने वाले बजट पर अपने सुझाव दिये। अगर यही ढंग रहा जो सामने प्रश्न हों उसको आंखों से ओझल कर के गुजरे हुये जमाने पर लौटें या फिर आने वाले समय के भय के भूत से परेशान हों तो यह उनकी नसीहत कितनी ग़लत और ख़तरनाक़ होगी इसका अन्दाजा आप लोग स्वयं लगा सकते हैं।

जहां तक इस सप्लीमेंटरी बजट का संबंध है उसकी बुनियादी बात यह है कि कुछ रुपया ऐसा है जो खर्च नहीं हुआ और ख़र्च करने के लिये आज्ञा मांगी जाती है अथवा कुछ कार्य ऐसे सरकार को करने पड़ते हैं जिसका अंदाजा वह पिछला बजट बनाते समय नहीं लगा सकी और उसकी अनुमति लेने के लिये यहां आना पड़ा। इन्हीं दो सिद्धान्तों और उसूलों को लेकर यह सप्लीमेंटरी बजट बनाया गया है। यदि ध्यान से पूरे सप्लीमेंटरी बजट को पढ़ा जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी अनुदान संख्या को उठा कर देख लीजिये कि कौन सा पैसा ऐसा है जो उचित ढंग से खर्च नहीं किया गया। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि यदि वह ख़र्च रोक दिया जाता तो देश की जनता को और प्रान्त को नुक्सान होता।

इन्हीं बातों पर सारा वादविवाद आना चाहिये था। उदाहरण के लिये अनुदान संख्या ११ ले लीजिये। इसमें कैसे कोई सरकार अन्दाज़ लगा सकती थी कि इस वर्ष विधान सभा की बैठकें इतनी ज्यादा होंगी। इसका अन्दाजा तो विरोधी दल के लोग ज्यादा आसानी से लगा सकते थे कि ज्यादा बैठकें होंगी या कम होंगी। तब जब ज्यादा बैठकें जिसका अन्दाजा पहिले लगाना कठिन था। इसलिये अनुदान संख्या ११ में पैसे के मांगने की जरूरत पड़ी। इसी प्रकार से आप में से बहुत से विरोधी दल के भाइयों ने सराहना की है और सही है। जो प्रयोग श्री संपूर्णानन्द जी जेल के संबंध में कर रहे हैं वह एक अद्वितीय प्रयोग है। क़ैदियों को बांध पर काम करने के लिये ले जाया गया बजट के समय यह विचार नहीं था कि कैदियों को ऐसे रचनात्मक कामों में भी लगाया जा सकता है, इसलिये उसके ख़र्चे के लिये अनुमति लेने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से यदि आप देखें तो अनुदान संख्या १८ जो संग्रहालयों के संबंध में है। इस प्रदेश की जनता और सदन की सदैव से मांग रही है कि राज्य के अन्दर संग्रहालयों का उत्तम प्रबंध होना चाहिये और जब संग्रहालय कमेटी ने सिफारिश की कि प्रांत में एक ऐसा आफिसर

[श्री रामनरेश शुक्ल]

हो जो इनकी देख भाल ठीक तरह से करे इसलिये उस अफसर की मुक़र्रर्री के बाद जो ख़र्च अधिक होगा उसकी अनुमति लेना आवश्यक है। इसी प्रकार किसी भी विषय को ले लीजिये। अस्पताल को चिकित्सा के संबंध में। कमला नेहरू अस्पताल इस प्रान्त का ही नहीं इस देश का ही नहीं वरन एशिया का सबसे सुन्दर अस्पताल औरतों का है। उसका सारा ख़र्च जनता के दान से और जो उसका पैसा जमा है उसके सूद से चला करता है लेकिन इस बरस अधिक पैसा इमारत और सामनों के लाने में ख़र्च हो गया जिससे उसके मूल धन में कमी हो गयी और कमी होने के कारण व्याज कम मिला। इस-लिये अस्पताल को सहायता देना अत्यंत आवश्यक हो गया। अतएव उसकी भी मांग करना आवश्यक हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इन उदाहरणों, तथा और अनुदानों को अगर उठा कर देखा जाय तो हरएक को देखने के बाद कोई भी समझदार व्यक्ति इस नतीजे पर पहुंचेगा कि यदि यह सरकार इस बात को न किये होती तो वह अपने कर्तव्य का पालन न करती। वादविवाद, दोषारोपण या छीटाकशी अगर करना था तो उसकी कसौटी यह होनी चाहिये थी कि आया यह जो ख़र्च किया गया ठीक किया गया अथवा अनुचित किया गया। यह धन जो बचा दिया गया वह ग़लत बचाया गया या ठीक बचाया गया यह वादविवाद की कसौटी होनी चाहिये थी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, तक़लीफ़ होती है जब इस परिधि से बाहर जाकर दोषारोपण किया जाता है। नये सदस्यों की बात कौन कहे पुराने अखाड़िये जो १०-१५ बर्ष से इस भवन में विराजते रहे हैं वह भी इस परिधि से सैकड़ों मील दूर जाकर ऐसी बातों से उछालने की कोशिश करते हैं जिनका संबंध न तो आज के विषय से है और संभवतः वास्तविकता से भी नहीं है। मेरा मतलब यह है कि ठाकुर मलखान सिंह जी ने जिन जोर-बार शब्दों में जो भंयकर आरोप हुकूमत पर लगाया है और साथ ही साथ कांग्रेस के ऊपर लगाया है, यदि उपाध्यक्ष महोदय, वह सत्य है तो मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि इस हुकूमत को एक घंटे के लिये हुकूमत की बागडोर अपने पास न रखना चाहिये। लेकिन जब यह आरोप लगाया गया तो उस वक्त हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि यह कहां तक सत्य हो सकता है। इस तर्क की कसौटी तपर उस आरोप को देखना इस सदन का कर्तव्य है। उपाध्यक्ष महोदय, ठाकुर साहब ने यह फरमाया कि एक सज्जन कत्ल कर आये और दौड़ कर थानेदार को यह इत्तिला दी कि हमने काम पूरा कर दिया यानी कत्ल कर दिया और उस कत्ल में हाथ है किसी कांग्रेस वाले का। यह एक भंयकर आरोप है। आगे चल कर यह भी कहा गया कि थानेदारों और बड़े अफसरों के तबादले घंटों और दिनों में हुआ करते हैं और कांग्रेस एम० एल० एज० के कहने पर।

श्री मलखान सिंह—वाकयात हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—जहां तक वाक़यात का संबंध है आप अपने तजुर्बे पर कह सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी को इस बात का सौभाग्य या दुर्भाग्य रहा है कि वे बहुत दिनों तक इसी हुकूमत की पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। यदि काग्रेस के एम० एल० एज० का आज इतना दौरदौरा हो चुका है तो उस जमाने में भी वह हो सकता था जब अलीगढ़ के ज़िले से केवल दो कांग्रेस के एम० एल० एज० चुन कर आते थे। अगर उस जमाने में ऐसा नहीं था और खासतौर से इस बात के होते हुये कि वही व्यक्ति आज भी इस प्रान्त का चीफ मिनिस्टर है। उसी व्यक्ति की आज भी हुकूमत इस प्रान्त में है जिसकी हुकूमत उस समय थी जब कि पहले पहल ठाकुर साहब इस सदन के सदस्य हो कर आये थे। यदि एम० एल० एज० की उस समय नहीं चला करती थी तो आज कौन सा करिश्मा हो गया है कि तीन तीन घंटे में तवादिले हो जाते हैं। अगर वह उस समय नहीं हो सकता था आज भी वह नहीं हो सकता। यदि ठाकुर साहब ऐसा नहीं करते रहे। मुझे एक बात और याद आती है कि अलीगढ़ के जितने भी माननीय सबस्य यहां आये हुये हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो ठाकुर साहब के मदरसे का पढ़ा हुआ न हो। और उनका चेला न हो और क्या मैं उनसे यह पूछने का अधिकारी नहीं हूं उनकी

तालीम कच्ची कैसे रह गयी इसलिये मैं आप के द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना करूंगा कि जो आरोप भयंकर होते हैं उनको आसानी से नहीं कह देना चाहिये क्योंकि हम यहां इस सदन में प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करने के लिये बैठे हुये हैं, यहां पर कोई बाजारू बात नहीं होनी चाहिये। मैं उस बात को मान लूंगा अगर ठाकुरसाहब यह कह दें कि उन्हीं के सामने वह क़ातिल क़त्ल करके आया और उसने ऐसा कहा और यदि वे कहें किन्हीं लोगों से उन्होंने उस बात को सुना है तो मैं उसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि ऐसे अनेकों समाचार हम से भी देहात और जिले के लोग कहा करते हैं लेकिन जब हम उनकी जांच पड़ताल करते हैं, सत्य की कसौटी पर उनको परखते हैं तो ऐसी बातें ९० फीसदी असत्य होती हैं।

मैं आप के द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि उमाशंकर जी का भी यह भय ज्यादा सत्य नहीं है कि अख़बार हमारे पास है और हमारी बातों का अख़बारों में प्रचार हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी पार्टी का संबंध है हमें तजुर्बा है, ब्लिट्स से, नेशनल हेरल्ड और नव-जीवन तक का सब जानते हैं कि इस प्रांत और इस देश के अख़बार किसका प्रचार करते हैं। कांग्रेस तो वही काम करती है जो ठीक हो। कांग्रेस सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने प्रान्त और इस देश की सेवा करती है और उसी लिहाज़ से यह अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन उसको मंजूर करेगा।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (ज़िला आज़मगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से आज जो भाषण इस सदन में दिये गये हैं, उनको सुनता रहा। मुझे आश्चर्य है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाषण जो हो रहे हैं वह बजट पर हो रहे हैं या किसी ऐसे विषय पर हो रहे हैं जैसे सेंसर का मोशन हो। मतलब यह है कि एक भी भाषण विरोधी पक्ष की ओर से ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई ऐसी बात कही गयी हो जिसका संबंध बजट से हो। हां, माननीय त्रिपाठी जी ने पहले कुछ बजट का ज़िक्र किया था और आप के कहने का सिर्फ अर्थ इतना ही था कि ५०, ६० हजार की जो रक़म मांगी गयी है वह उचित नहीं है। उनके कहने का मतलब यह था कि इतनी बड़ी रकम की जो मांग की गयी है यह उचित होता कि जिस वक्त पहला बजट पेश किया गया था उसी वक्त उसकी मांग की गयी होती। और यह अनुचित है कि इतनी बड़ी रक़म पूरक बजट के अवसर पर मांगी जाय। दूसरे जो भाषण हुये हैं, माननीय मलखान सिंह के भाषण हुये हैं, हमारे माननीय मित्र श्री उमा शंकर जी के भाषण हुये हैं सबमें उन्होंने इस बात की ही विस्तारपूर्वक विवेचना की है कि गवर्नमेंट में क्या खराबी है, पुलिस में क्या खराबी है परन्तु बजट के संबंध में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जो पुराना बजट था वह महा रद्दी था और उनको ख़तरा है कि आयन्दा जो बजट आने वाला है वह भी उसी तरह का होगा। उनको डर है कि पहले बजट से तो देश की कमर ही टूट गयी लेकिन जो बजट पेश होने वाला है उससे हमारे प्रदेश के व्यक्तियों का सारा बदन ही ख़राब हो जायगा। मैं उनकी बात को समझ नहीं सका कि आख़िर वे चाहते क्या हैं। यह प्रथा है कि जो बजट पेश किया जाता है कि उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो उस कमी को दूर करने के लिये पूरक बजट प्रस्तुत होता है। हर देश में जहां डेमोक्रेसी चल रही है, यह पद्धति चल रही है वहां इसी तरह से बजट प्रस्तुत किया जाता है और उसी के अनुसार यह बजट भी प्रस्तुत किया गया है। क्या मैं अपने विरोधी पक्ष के साथियों से पूछ सकता हूं कि इस पूरक बजट में जो मांगें प्रस्तुत की गयी हैं उनको एंटिसिपेट कर लिया गया होता जिस वक्त को बजट पेश किया गया था जैसे मिसाल के तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा इस भवन का ध्यान और विशेषकर विरोधी पक्ष में बैठे हुये भाइयों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे अनुदान संख्या १० में जो विद्यार्थियों के लिये यात्रिक भत्ते की मांग की गयी है उस वक्त यह आशा नहीं थी कि जो विद्यार्थी यात्रा करेंगे उनके लिये भत्ता देने की भी आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिये मांग प्रस्तुत की जाती। इसी तरह से ऐसे अनुदान संख्या १५ है जिसमें ३,२१,६०० रु० की मांग की गयी है। माननीय

[श्री बृजविहारी मिश्र]

श्री सम्पूर्णानन्द जी ने कैदियों से कार्य लेने की जो योजना प्रस्तुत की है और जिसके संबंध में अधिक व्यय करनेकी आवश्यकता मालूम हुई है तो क्या जिस वक्त वार्षिक बजट प्रस्तुत हुआ था उसी वक्त यह विचार कर लिया जाता कि कैदियों से इस तरह का काम लिया जाने वाला है और उसके लिये इतने रुपये की जरूरत पड़ेगी अगर सरकार ज्योतिषियों से सलाह लेती तो ऐसा हो सकता था। अगर आयन्दा खर्च करने के लिये इस तरह से रुपया रख दिया जाता तो वह मैं उचित नहीं समझता। उसी तरह से आप अनुदान संख्या ४३ में देखेंगे कि ६३ लाख रुपया व्यय करने की मांग की गयी है जिसको कई मदों में रखा गया है। तो पहले ही से कैसे विचार कल लिया जाता कि इस रुपये की आवश्यकता पड़ेगी । इसी तरह से अनुदान संख्या ४६ में हाईकोर्ट में कुछ व्यय करने की आवश्यकता पड़ गयी है जिसके बारे में माननीय काटजू जी ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने सविस्तार विवेचना की है और बतलाया है कि उसकी क्यों आवश्यकता है। उसी अनुदान ४६ में ३० हजार रुपया चिकित्सा के संबंध में प्रयोग शाला बनाने के लिये मांगा गया है जिसकी मेडिकल कालेज लखनऊ को आवश्यकता प्रतीत होगी।

तो क्या आप समझते हैं कि उस वक्त मालूम होने से पहले ही एन्टीसिपेट करके उसको लिख दिया जाय। मैं समझता हूं कि पूरक बजट का यह तरीका नहीं होता है। जहां पर हमारा ६५ करोड़ का बजट है उसमें अगर २ करोड़ ३० लाख का पूरक बजट अगर पेश किया जाता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके ऊपर बड़ी बहस मुबाहसा करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। इसके लिये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कि गवर्नमेंट का सारा काम खराब है, पुलिस खराब है, सड़कें खराब हैं यह उचित नहीं हैं। माननीय उमाशंकर जी ने नलकूपों के बारेमें कहा कि उनकी सिंचाई पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है क्योंकि उनकी सिंचाई का रेट ज्यादा है। मैं तो अपने जिले की कहता हूं कि हमारी कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि नलकूप बनें तो सही। हमारे यहां नलकूप बन जायं तो हम भी जो रेट हो उसको देने के लिये तैयार हैं। रेट की कोई बात नहीं है। सब से बड़ी आवश्यकता तो इस बात की है कि वहां पर नलकूप बनें मैं गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूं और मंत्रिमंडल से प्रार्थना करता हूं कि हमारे यहां नलकूप बनने की बहुत जरूरत है। उमाशंकर जी को उनके रेट के बारे में शिकायत है। पहले तो बनने की जरूरत है रेट का सवाल इस समय सामने नहीं आना चाहिये। तो ऐसी-ऐसी बातें कहना मैं यह निवेदन करूंगा कि समय को बरबाद करना है। यही नहीं बल्कि आप देखेंगे कि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि बहुत सा रुपया खर्च किया गया है लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह अनुदान संख्या ११ को देखें कुछ अधिक रुपये की मांग की गई है क्योंकि विधान सभा की सिटिंग ज्यादा हुई और उसकी वजह से रूपया ज्यादा खर्च करना पड़ा। इस पर आप लोग ठंडे दिल से विचार करें और मैं इसकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस खर्च के वे ही लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि जिस काम को कुछ घंटों में किया जा सकता है उसके लिये वे लोग ४,५ दिन लगा देते हैं। हम जानते हैं कि माननीय सदस्य उस तरफ बैठने वाले विशेषकर एक विषय पर काफी बोल सकते हैं एक मामूली विषय पर कई दिन लगा सकते हैं मगर इन बातों पर भी विचार करें कि अगर उचित और मुनासिब बातों तक ही अपने को सीमित रखा जाय तो उससे काफी समय बच सकता है। विरोधी दल का जो कर्त्तव्य होता हैं उसका उनको पूरा अख्तियार है और हम उनका वेलकम करते हैं क्योंकि हरएक प्रजातान्त्रिक देश में विरोधीदल का सम्मान किया जाता है और गवर्नमेंट इस बात का स्वागत करती है कि जो भी उचित सुझाव हों उनको मानें और उनके अनुसार कार्य करें लेकिन केवल विरोध के लिये विरोध नहीं करना चाहिये और यह उचित भी नहीं मालूम होता है क्योंकि इससे मुल्क का फायदा होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि इस बजट पर जो उचित सुझाव हों वही यहां पर रखें, नहीं तो सदन का समय निरर्थक ही व्यर्थ जायगा।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंटरी बजट को सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं परन्तु मुझे आज इस भवन में मुखालिफ बेंचेज की तरफ

से भाषण सुनने के बाद २,३ बातों का ऐसा पता लगा कि जिससे सप्लीमेंटरी बजट के सपोर्ट में जो मेरा उत्साह था वह उत्साह नहीं रहा। वह बातें यही हैं कि जिनके पता लगने से यह मालूम हुआ कि हमारा जो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह लूज हो गया है। क्या किसी सोशलिस्ट पार्टी के एम०एल०ए० का यही हक है कि वह पुलिस के थानेदार से या पुलिस वालों से अपनी निजी जानकारी के लिये डाइरेक्ट इन्फार्मेशन ले सकता है? और अगर उनको यह हक है तो क्या यह हक़ कांग्रेस एम०एल०ए० को नहीं है अगर दोनों को नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि श्री मलखान सिंह जी किस तरह से अपनी जानकारी के वास्ते सीधे-सीधे पुलिस अथारिटीज के पास और खासतौर से थानेदारों से सूचनायें ले सकते हैं और ले रहे हैं जैसा कि अभी बतलाया। इससे जाहिर है कि बाबूजी को या तो पुलिस वालों के ऊपर विशेष कृपा है या सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बरान के ऊपर विशेष कृपा है क्योंकि वह अधिकार हम कांग्रेस मेम्बरान को नहीं है।

दूसरी बात श्री मलखान सिंह जी ने यह बतलायी कि अलीगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वह उनसे कहते हैं कि किस खास आदमी के हथियार जब्त कर लेने चाहिये। तब उनकी तरफ से बताया जाता है कि फलां आदमी के चाल चलन अच्छे नहीं हैं, उसके हथियार जब्त कर लेने चाहिये और वह जब्त कर लिये जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस वालों को पता लगता है तो वे जा कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहते हैं और वह लायसेंस फिर रेन्यू कर दिया जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? मेरे नजदीक इसका अर्थ यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ अपने डिसक्रीशन का फ्री इस्तेमाल करते हुये कांग्रेस गवर्नमेंट की स्कीम को कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या वजह है कि अगर उन्हें जरूरत पेश आती है किसी पब्लिक रेप्रेजेन्टेटिव से किसी खास शख्श के विषय में बात चीत करने की तो वह सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर्स से ही मशिवरा करते हैं। क्यों नहीं वह एक ही साथ पब्लिक रेप्रेजेन्टेटिव से सलाह मश्विरा कर लेते हैं। क्या वजह है कि एक के कहने से लायसेंसेज कैंसिल कर देते हैं और दूसरे के कहने से फिर रिस्टोर कर देते हैं। तो यह दो बातें जो आज श्री मलखान सिंह जी ने इस भवन के सामने रखीं उनसे यह मालूम होता है कि यह अलीगढ़ में ही नहीं होता होगा, अगर ऐसी कोई पालिसी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कि इस किस्म की कबूतर बाजी और बटेर बाजी करते रहते हैं, बल्कि तमाम जिलों में ऐसा ही होता होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में कुछ थोड़ी बहुत लूजनेस जरूर आ गयी है जिसकी तरफ गवर्नमेंट को खासतौर से तवज्जह करनी चाहिये और मैं राय दूंगा कि अलीगढ़ के कलेक्टर जो श्री मलखान सिंह जी के इशारों पर नाचा करते हैं और इस तरह से गवर्नमेंट की पालिसी को सैबोटेज किया करते हैं उनको किसी सैबोटाजिन्ग सेंटर पर भेज दिया जाय, कोई जरूरत नहीं है कि ऐसे आदमी के ऊपर एक जिले का बोझ रखा जाय और उसके अन्दर विश्वास पैदा किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में जो बातें यहां कही गयी हैं। उनमें कोई तत्व नहीं है। बातें कही गयी हैं केवल कहने के वास्ते। उन्होंने सप्लीमेंटरी बजट को बिलकुल स्टडी नहीं किया और न वह स्टडी करना जानते हैं। एक ने कहा कि हमें पता ही नहीं लगता कि इतना रुपया ज्यादा कैसे खर्च हो गया। अरे पता तो तब लगे जब पता करने की कोशिश की जाय। यह बजट बोलता है इसमें शक नहीं। लेकिन उनको सुनने वाला सुनेगा, जिसके कान नहीं वह सुन नहीं सकता, जिसके आंख नहीं वह देख नहीं सकता। तो मैं अपने भाषण को बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। जिस तरह की बातें इस सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में कही गयी हैं उनका जवाब तो बीसों मर्तबे दिया जा चुका है, अब बार बार उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है और मैं इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा और वह यह हैं कि अगर ऐसा खयाल है कि एक विशेष पार्टी के लोगों के ऊपर डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स कृपा दृष्टि रखते हैं तो अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम इतनी लूजनेस दो जरूर आ गयी है और इस लूजनेस को जरूर चेक कर देना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—मैं जब ब्रजबिहारी मिश्र जी का भाषण सुन रहा था तो यह सोच रहा था कि आज क्या सुझाव इस हुकूमत को इस बजट के ऊपर दूं जैसा कि वह चाहते हैं। मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष को बजट के समय ही ऐसा मौका मिलता है जब कि सरकार की आलोचना कर सकते हैं और यह मौका प्रश्नों से भी और कामरोको प्रस्तावों से भी हो सकता है। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि जब कामरोको प्रस्ताव आता है तो हमारे पास ३६ आदमी खड़े होने के लिये नहीं होते। लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि अगर हम कामरोको प्रस्ताव नहीं रख सकते तो हम सरकार की आलोचना न करें। आज हम चाहे थोड़े ही हैं लेकिन इन ३९० के लिये काफी हैं। और जहां तक हमारी भावनाओं का सवाल है, जहां तक हमारे विचारों का सवाल है हम इस प्रांत की जनता की आवाज इस सदन में पहुंचाते हैं। हुकूमत के कान तो बिलकुल बन्द हैं। जैसा कि रामनरेश शुक्ल जी ने कहा, वह आंख नहीं खोलते और न मेरी आंख खुली, उसी तरह से उनके कान बन्द ही रहे। माननीय ब्रजबिहारी जी ने कहा कि साहब सोशलिस्ट पार्टी के विरोध करने से ही यह चार पांच लाख रुपया अधिक खर्च हो गया है। इसकी जिम्मेदारी सोशलिस्ट पार्टी पर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जितनी मर्तबा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, हैदराबाद का अधिवेशन हुआ, उस वक्त पांच दिन से ज्यादा दिनों के लिये यह असेम्बली स्थगित की गयी ताकि सब मेम्बरों को भत्ता मिल जाय और हैदराबाद कांग्रेस जा सकें। हमें भी फायदा हुआ। हमनें छोड़ा तो नहीं। बनारस के प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन के लिये पांच दिन के लिये कांग्रेस वालों ने असेम्बली बन्द करवाई लाखों रुपया खर्च हुआ। क्योंकि ब्रज बिहारी मिश्र जी ने चर्चा की इसलिये हमें कुछ कहना पड़ा। इंदौर का अधिवेशन हुआ। उसके लिये भी असेम्बली बन्द की गयी थी। हम तो थोड़े से आदमी हैं। चालीस आदमी विरोधी हैं। लेकिन उस तरफ तो ३९० आदमी हैं उन्हीं पर ज्यादातर खर्च होता है। वह उस रुपये को न लेते। सरकार को दे देते। मैं समझता हूं कि इस प्रांत की जनता की अगर कोई सेवा कर रहा है तो वह विरोधी पक्ष है। अगर आज हम लोग यहां न होते तो मैं समझता हूं कि जरमनी के तरीके इस्तेमाल किये जाते वैसे तो यहां जो हो रहा है वह हिटलर के तरीकों से कुछ कम नहीं है लेकिन फिर भी एक प्रजातान्त्रिक ढांचा बनाया गया है। हमें भी कुछ कहने का मौका मिलता है, माननीय ब्रजबिहारी मिश्र जी ने जो अनुदान ११ के लिए कहा है उसके लिये वह अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है, विरोधी पक्ष या सरकारी पक्ष। मैं उनसे एक बात और जानना चाहता था कि आखिर वह राय दे दें कि हमें क्या करना चाहिये। बजट के आंकड़े हम बढ़ा नहीं सकते हैं, यह भी कहना बेकार है कि इसमें इतना रुपया कम कर दिया जाय। कुछ सुझाव जरूर देना चाहते हैं। मैं बजट को पढ़ रहा था तो देखा कि इसमें एक बड़ी अच्छी बात आयी है और वह यह कि सरकार उन इलाकों के लिये जहां बरसात हो जाती है वहां हाथी खरीदने को सोच रही है पांच हजार रुपये में। हमारे नेता विरोधी दल भी आज आ गये हैं यह हमारी खुशकिस्मती है। और मुझे उन से राय लेने का मौका भी मिला। उन्होंने मुझ से कहा कि डबल से डबल हाथी दो ढाई हजार में मिल सकता है।

मैं यह सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि जब हाथी खरीदने को बात की जाय तो एक कमेटी मुकर्रर की जाय और उसका नेतृत्व भी, जिस तरह से कि पब्लिक एकाउन्टस् कमेटी का चेयरमैन विरोधी दल का सदस्य होता है उसी तरह से इस कमेटी के चेयरमैन भी नेता विरोधी दल हों। और उस कमेटी के मेम्बरान की लिस्ट वैसे तो बहुत हो सकती हैं लेकिन जो ४–५ लोग मेरी दृष्टि में उपयुक्त हैं उनके नाम मैं बताना चाहता हूं। मिसेज प्रकाशवती सूद, माननीय ठाकुर पहलवान सिंह, माननीय पं० गोविन्द वल्लभ पंत, सम्पूर्णानन्द जी और ब्रजबिहारी मिश्र जी। सुझाव मांगते हैं, इसलिये उपाध्यक्ष महोदय सुझाव दे रहा हूं समझ में नहीं आता किस तरह से हुकूमत से कहूं कि वह हमारी बात सुने।

पुलिस अफसरान के सिलसिले में तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कल कहा कि उन्हें घमंड है उस व्यवस्था से जो इस प्रांत में चल रही है। ठीक बात है, जो चीज आज पुलिस में चल रही है अगर उस पर उन्हें गर्व है तो बड़ी खुशी की बात है। उनके भाषण के पर्चे हर थाने में थानेदारों के हाथ में दे दिये जायं और कहा जाय कि तुम ठीक कर रहे हो। वह भी सोचें कि जुल्म भी हमने किया और हमारे माननीय मंत्री जी ने साथ में तारीफ भी कर दी कि उनको गर्व है कि उनके एरियाज में अच्छा राज्य चल रहा है। इसके दो नतीजे हो सकते हैं। या तो वह जुल्म करना इतना जोरों से शुरू कर दें क्योंकि यह तो कह ही दिया गया कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो जिस हुकूमत के वह आदमी हैं या तो वह हुकूमत खत्म हो जायगी या फिर प्रांत की जनता आदी हो जायगी उन जुल्मों को सहने के लिये, जैसा कि वह अब तक सहती आई है। मैं समझता हूं कि कल का वह भाषण पुलिस पर बुरा प्रभाव डालने वाला है और जरूरत इस बात की है कि जो वास्तव में मंत्री जी का उद्देश्य था उसको सफाई अवश्य कर दी जाय तभी वह चीज दूर हो सकती है। वरना हमें तो कोई फिक्र नही है कि इस प्रांत की जनता हम से क्या कहेगी। हम तो विरोध करते ही हैं। हमारे इस सदन के और माननीय सदस्य कांग्रेस में हैं जो यहां पर बात नहीं कह सकते हैं। कलेक्टर के पास जाते हैं तो वह कहता है कि हुकूमत का आर्डर है कि आपकी बात न सुनूं। तो उनकी पोजीशन बड़ी खराब हो जायगी। हमारा क्या है। न हमारे पास कोई कलेक्टर आता है हाजिरी देने के लिये न हम किसी के पास उससे काम लेने के लिये जाते हैं। हम तो जो गड़बड़ी होती है उसको बताने वाले हैं इसलिये हमारी उनकी दोस्ती नहीं हो सकती और न इस किस्म का कोई नाता हो सकता है। लेकिन यह बात मैं प्रांत के सरकारी अफसरों से अवश्य कहूंगा । जिस वेल्फेयर स्टेट की बात कल माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कही है, इतना याद रखिये कि जब आप जुल्म और अत्याचार करेंगे तो अपनी कांस्टिट्यूएंसी के एम०एल०ए० और मिनिस्टरों के पास जरूर मिलने जाना और उनको मिलाये रखना वरना अगर ये नाराज हुये तो आपका टिकना मुश्किल हो जायगा। मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी की बड़ी इज्जत करता हूं और मैं जानता हूं कि अच्छे बुरे अफसर सब जगह होते हैं। आज अच्छे अफसरों की कद्र नहीं की जाती है। आज वही अफसर कामयाब होते हैं जो मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के आने पर सफाई करवा दें और उनके आने पर ड्यूटी में खड़े रहें। मैं तो अपने यहां देखता हूं कि बंगले बने हुये हैं और सफाई हो रही है। जनता से सम्पर्क का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस जनता को तकलीफ हो तो उसको तो वहां पहुंचने ही नहीं दिया जाता। फिर उपाध्यक्ष महोदय, बाज तो बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं लेकिन हमारे जो डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब हैं इन बेचारों को तो दूकानें और रेस्टोरेंट खोलने से फुरसत नहीं होती है।

आज हम बड़ी आशा करते थे कि जब हमारे जिले में अफसरान और मंत्री जायं तो हम अपनी तकलीफों को उनसे कहें

लेकिन हमारे यहां के कलेक्टर, हमारे यहां के एम०एल०ए० हैं, हमें कभी इसकी इत्तिला तक नहीं देते कि हमारे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं हमारे यहां। हम खुद पता लगाते हैं लेकिन हम खुद पता लगाने की कोशिश करते हैं वह कभी हमें इत्तिला तक नहीं देते । मैंने अभी परसों भी कहा था कि मैं अपने यहां की प्लानिंग कमेटी का मेम्बर हूं, सरकार ने मुकर्रर किया है बहैसियत एम०एल०ए० होने के लेकिन वहां के प्लानिंग आफिसर ने ६-६ कमेटी की मीटिंग्स हो गईं लेकिन मुझे बुलाया नहीं अभी तक। (एक आवाज, शायद आपके बंगले पर चिट्ठी पहुंच गई हो।) खैर अगर मेरे बंगले पर हो तो ठीक है। सुबह का भूला अगर शाम तक भी घर आ जाय तो भूला नहीं कहा जाता । आगे से ही आजाय तो भी ठीक है। तो यह हालत है आपके अफसरों की। मैंने आपसे कहा और मैं अपने माननीय सम्पूर्णानन्द जी से कहूंगा, साफ शब्दों में कहूंगा, नहीं तो उसका बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। हमारे यहां रामनगर में हमारी पार्टी के सेक्रेटरी थे। उनके यहां रात को हमला हुआ। तो जब वह थाने में शिकायत करने के लिये और रिपोर्ट लिखाने के लिये गये तो थानेदार ने उन्हें ही पहले बन्द कर दिया। फिर उसके बाद जब उनके पिता वगैरह को मालूम

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

हुआ कि उनका लड़का जो रिपोर्ट लिखाने गया था उसे थानेदार ने गिरफ्तार कर लिया तो वह लोग थाने में पहुंचे कि उसकी जमानत करें तो जवाब दिया कि यहां आपके लड़के की जमानत नहीं होगी । आप काशीपुर जाइये। वे लोग जब वहां से स्टेशन गये और काशीपुर का टिकट भी खरीद लिया था कि कुछ सिपाही आये और कहा कि आप लोगों को जरा दरोगा जी बुला रहे हैं। जब वे लोग थाने में पहुंचे तो उन्हें भी बन्द कर दिया। जो रिपोर्ट लिखाने गया उसको गिरफ्तार कर लिया और फिर जो जमानत करने गये उनको गिरफ्तार कर लिया। रात को थाने में रख कर और फिर दूसरे दिन उन सब लोगों को काशीपुर की अदालत में ले जाया गया । वहां पहले दिन शाम को कुछ देर हो गई दूसरे दिन उनको जमानत पर छोड़ दिया गया। तो यह तरीका है काम करने का। मैंने इसकी शिकायत माननीय गृहमंत्री जी को भेजी, यहां इसी सदन में भेजी लेकिन अब तक मुझे पता नहीं कि उस पर क्या हुआ और उसकी जांच हुई या नहीं हुई। वहां के दरोगा ने यह तरीका बना लिया है कि जो रिपोर्ट करने आयेगा उसी को पकड़ लिया जायगा और फिर जमानत करने वाले को जो सोशलिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी था उसी को पकड़ लिया। इस तरह से क्यों पकड़ा, कैसे पकड़ा ? मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता क्योंकि यह तो अदालती मामला है लेकिन जिस तरह से पुलिस चल रही है उसे जरूर आपके सामने रखता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी पुलिस वाले खराब हैं। ऐसा नहीं है। अच्छे भी हैं। हर डिपार्टमेंट में बुरे भले सब तरह के लोग होते ही हैं लेकिन इस तरह का एक सार्टिफिकेट दे देना कि इस प्रांत के अन्दर जो शासन प्रबंध चल रहा है वह बहुत अच्छा चल रहा है इससे मैं समझता हूं कि हमारे प्रांत की व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है।

हमारे माननीय नौरंग लाल जी ने कुछ कहा कि नेपोलियन जैसे कमान्डर इन चीफ पैदा हो सकते हैं लेकिन फाइनेन्सर यह तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमारी इस सरकार के लिये तो बड़ी खुशी की बात है कि यहां नौरंग लाल जी और शिवनारायण जी मौजूद हैं।

एक आवाज—आप भी तो हैं ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं तो फाइनेंस के बारे में कुछ जानता ही नहीं। मैं तो यह कहता हूं कि यह चीज अपने यहां काफी रफा हो गई है। सुझाव के बारे में कहा जाता है । सुझाव मांगा जाता है। मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं कि साल भर में जितना रुपया होता है वह सब खर्च करें, यह तो केवल वेलफेयर स्टेट है। इसमें तो सब रुपया भलाई के लिये ही खर्च किया जाता है। जितना भी काम हो रहा है सब भलाई का ही हो रहा है। तो मेरा सुझाव है कि जितना चाहें रुपया साल भर खर्च करें और आखिर में ३० मार्च को या अगर २९ को एक दिन पहले ही हो तो और ही अच्छा है बजट साफ करके लाया जाय और साथ ही एक गिलोटीन का प्रस्ताव भी रख दिया जाय ताकि कोई बोलने भी न पाये और बजट पास हो जाय। सब वेल्फेयर स्टेट में आ जाता है।

माननीय काटजू जी को हमारी फिक्र नहीं हुई लेकिन पिंजरे में जो शेर बैठा है जिसे ७ सेर चावल मिल रहा है आप उसके लिये कहते हैं कि १० सेर दो। जहां तक हाई कोर्ट का सवाल है, वह तो हमारी इज्जत की बात है। उसकी इमारत जरूर बननी चाहिये। हम रोज कहते आये हैं कि हम किसी काम में आपसे पीछे नहीं रहेंगे। इस पंचवर्षीय योजना में भी हम आपका विरोध करते हुये आपके साथ हैं। काम करेंगे और बनावेंगे। हमारे यहां एक सड़क रानीखेत से बनने का सवाल था। उसके सवाल भी यहां हुये और सन् ४६ से वह बन रही है। इस साल १ लाख रुपया मंजूर हुआ मगर अभी तक वहां खुदाई भी शुरू नहीं हुई है। मैंने हाफ़िज जी से पूछा तो उत्तर मिला कि उपाध्याय जी, अभी तो आप जानते ही हैं कि मार्च में टेंडर मांगे जाते हैं। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब भी वहां गये लेकिन आज तक वहां फड़वा नहीं लगा है चाहे

कहने के लिए वह सन् ४६ से बन रही है। इस सड़क पर पथरीली जगह है जिसके लिये उड़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब तक यह सड़क न बन जाये हम कैसे आगे की सड़क बना सकते हैं ? यदि यह सड़क आप बनवा देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी कंस्टीटयूएंसी में एक-एक सड़क बनवा दूंगा। अभी हमारे यहाँ के विद्यार्थियों की २, ३ महीने की फुरसत होने वाली है। मैं सरकार से एक पैसा भी नहीं लूंगा। हां, औजार अवश्य लूंगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जो यहाँ बैठे हुए हैं यह प्रार्थना करूंगा कि चूंकि बरसात के पहले हम लोग काफी काम कर सकते हैं इसलिये यह सड़क तुरन्त बनानी शुरू कर दी जाय। जब सरकार अपना काम करे तभी उसे जनता से आशा करनी चाहिये। प्रान्त के सभी लोग काम करने के लिये तैयार हैं और अगर इस सप्ताह में २० लाख आदमियों ने काम किया तो अगली दफा १ करोड़ आदमी काम करेंगे। लेकिन अगर सरकार ने किसी तरह से प्रोत्साहन नहीं दिया तो कोई लाभ नहीं होगा। यहां सम्बल की बहुत जरूरत होती है और ऐसा आसान नहीं है कि जैसे सुल्तानपुर में २, ४ फर्लांग सड़क बना ली। इसलिये जिन औजारों की जरूरत है वे हमें दिये जावें ताकि हमारा काम आगे चले।

टेस्ट वर्क्स की बात कही गई। जुलाई में मेरे सवाल के उत्तर में सरकार ने कहा था कि वहां टेस्ट वर्क्स शुरू हो गये हैं मगर मैं आप को बताना चाहता हूं कि आज तक वहां कोई टेस्टवर्क्स शुरू भी नहीं हुआ है। हमारे मिश्र जी कहते हैं कि बजट के आंकड़ों पर बोलो। क्या करें हम आँकड़ों पर बोलकर ? हम तो जनता की मांग आपके सामने रखने आये हैं। सामूहिक योजना के बारे में मैं उसके आइटम्स आने पर कुछ समय लूंगा। जो मैं इस समय कहना चाहता हूं वह यह है कि जो इस तरह से हर समय सप्लीमेंटरी बजट आ जाया करते हैं जिनमें काफी समय नष्ट होता है और आपको भी बराबर शिकायतें सुननी पड़ती हैं वह सब बन्द हो जायेंगी। अगर हमारा फाइनेंस विभाग और दूसरे विभाग हैं वह सब बजट को ठीक तरह से रख दें तो यह तीन तीन और चार चार मरतबे सप्लीमेंटरी लाने की आवश्यकता ही न पड़े। मैं चाहता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और बताना चाहता हूं कि पारसाल जब हम लोग आये थे तो उस वक्त एक पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी बनी थी। हमारा काम है उसके हिसाब किताब को देखना और हम देखेंगे लेकिन बदकिस्मती है कि न हमारे पास आडिट रिपोर्ट्स आई हैं और डिपार्टमेन्टल हेड्स से और कोई कागज-पत्र आये हैं। क्या गवर्नमेंट इस तरह से चल सकती है ? क्या यही डेमोक्रेसी है ? डेमोक्रेसी के लिये यह सब से बड़ा चेक है जो पब्लिक एकाउंटस कमेटी है और उसमें हम आप सब इंटरेस्टेड हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारे सरकारी अधिकारियों ने रुपए का ठीक तरह से खर्च किया है या नहीं। उसमें हम सबको दिलचस्पी है। और इसीलिये विरोधी दल के नेता उसके चेयरमैन होते हैं। लेकिन आज तक उसकी कोई चीज हमारे सामने नहीं है। फिर क्या होगा। अब तो बजट सेशन चल रहा है। जब हम इधर मशगूल रहेंगे तो शायद चीजें आवें और उस वक्त हम जल्दी-जल्दी विचार करते चले जायें यह मतलब है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कमेटी सदन ने बैठाई थी और इसलिये मैं इस सदन को सूचना देना चाहता हूं कि अभी तक एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स नहीं आये हैं और अगर एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स आये तो जो हिसाब किताब होंगे उसको हम देखेंगे लेकिन वह बजट सेशन के बाद होगा और उसमें कोई देर नहीं होगी उसको हम देखेंगे लेकिन वह सेशन के बाद होगा और उसमें कोई देर होगी तो उसके लिये हम जिम्मेदार नहीं हैं। रही विरोध की बात तो हम इसलिये विरोध नहीं करते हैं कि विरोधी पार्टी में हैं बल्कि इसलिये कि हम सरकार के कानों को खोलना चाहते हैं कि वह यह न समझे हम ३९१ हैं और जो चाहेंगे पास कर लेंगे बाहर की जनता का ख्याल करें। और बाहर की जनता क्या

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

चाहती है वह ठाकुर मलखान सिंह जी के अलीगढ़ के चुनाव से पता चल गया होगा। अभी माननीय हुकुम सिंह जी का भी चुनाव लड़ा जायगा। मुझे विश्वास है वहां पर सरकार की ओर से पूरी ताकत लगाई जायगी। उनको जिताने के लिये लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि अगर सरकार का काम अच्छा होता तो विरोध की आवश्यकता ही न होती और हम लोगों को सुनने के लिये इतने ज्यादा आदमी इकट्ठा न होते। आप मानें न मानें आपका फर्ज है लेकिन हमारा फर्ज था हमने आपको बता दिया। आपको जागृत करने के लिये ही हम यहां आये हैं। आप कहते हैं कि हड़तालों में भी हमारा हाथ है। लेकिन भंगियों की हड़ताल हमने नहीं कराई। उसको भगवानदीन जी ने कराया। पटवारियों की हड़ताल हमने नहीं कराई। कुछ लोगों ने कहा कि एक हड़ताल में राजाराम शास्त्री जी का हाथ था। कल मैंने माननीय राजाराम शास्त्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बातें तक नहीं हुईं लेकिन फिर भी कह दिया जाता है कि हमने उनको भड़का दिया। लेकिन खैर, जहां तक भंगियों की हड़ताल का सम्बन्ध है वह हमने नहीं करायी, लेकिन हम कहते हैं भंगियों की मांग बहुत ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसमें नहीं गये इसलिये कि कल कहीं भगवानदीन जी ने कह दिया कि हड़ताल वापस ले लो तो हम तो वहीं के वहीं रहे। मैं स्वयं अपने वहां की भंगी यूनियन का प्रेसीडेंट हूं लेकिन मेरे यहां नहीं हुई। मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारे यहां चलिये और देखिये कि हमारे जब दूसरी जगह ६ और ७ रुपये की वर्दी बनी तो हमने अपने वहां भंगियों के लिये १५ रुपये गज का गरम कपड़ा बनवा रखा है। टोपी हैं, कपड़े हैं और सब अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं और शायद यहां हमारे बहुत से भाई नहीं जानते हैं इसलिये उनको हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन म्युनिसिपैलिटी अल्मोड़ा और हल्द्वानी ने लिखा कि अपने यहां के भंगियों को हमारे यहां काम करने के लिये भेज दीजिये तो मैंने कह दिया कि यह ग़लत बात है। हम जहां के प्रेसीडेंट हैं तो वहां के भाइयों को दूसरी जगह के ग़रीब भाइयों के खिलाफ काम करने के लिये नहीं जाने देंगे और एक भी आदमी नहीं गया। जहां तक हड़ताल का सवाल है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी मांगें बहुत ही अच्छी हैं।

आज तो यह हड़ताल शहरों की सफाई के लिये हुई है, प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं पहुंची नहीं तो मुश्किल हो जाती। दूसरे जाड़े के दिन थे और स्वतंत्रता दिवस चला गया था लेकिन कहीं यह चीज गर्मी के दिनों में हो जाती और प्राइवेट सैक्टर्स में चली जाती तो प्रान्त के लिये संभालना मुश्किल हो जाता। मैं अब भी कहता हूं कि यह श्रेय भगवानदीन जी को दे दीजिये लेकिन उनके लिये कुछ कीजिये, अगर उनकी कुछ भलाई हो जायगी तो हम उसी से संतुष्ट हो जायंगे।

इतना कह कर अब मैं आशा करता हूं कि हुकूमत मुझे ग़लत नहीं समझेगी और ठीक समझे कि मैं इसलिये यह कर रहा हूं कि आप और हम सब मिल कर देश का उत्थान कर सकें। लेकिन अगर ऐसे रद्दी काम किये कि हरिद्वार में एक औरत को पिटवा दिया, मेहतरों को पिटवा दिया, उनके डंडे लगवा दिये। नारायणदत्त जी तिवारी ने अस्पताल में जाकर उनकी मरहमपट्टी करवाई। इतना काम उन्होंने किया। मैं यह नहीं चाहता हूं कि आप लोग यह समझें कि हम विरोध के लिये कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस लिये विरोध कर रहे हैं कि इस देश की हालत सुधरे, हमारा प्रान्त आगे बढ़े यह हमारी इच्छा हो और अगर आपने इस चीज को अपने दिल में रखा तब तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और नहीं तो देश बरबाद हो जायगा।

श्री भूपाल सिंह खाती (ज़िला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, आज दिन भर इस अनुपूरक बजट पर विरोधी दल की ओर से जो बहस की गई है उसके सुनने का सौभाग्य

मुझे प्राप्त हुआ। मैं यह चाहता था कि जिम्मेदार विरोधी दल के नेता और उनके माननीय सदस्यों द्वारा ऐसी बातें रखी जायगी जो वास्तव में हम लोगों के विचार करने योग्य तथा अध्ययन करने के योग्य होतीं, मैं मानता हूं कि विरोधी दल से प्रजातंत्र के युग में हमेशा ही ऐसे सुझाव आते रहते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय को मजाक, हंसी तथा खिलवाड़ की चीज बनाया गया है। बहुत सी ऐसी बातें कही गई जिससे न तो सदन की ही इज्जत बढ़ती है और न विरोधी दल के किसी सदस्य की इज्जत बढ़ती है।

मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जब कभी वह अपने विचार प्रकट करें तो वे कम से कम यह तो ख्याल करें कि वे केवल अपनी ही इच्छा पूरी नहीं करते हैं बल्कि उसके पूरा करने में इस प्रदेश की जनता का कुछ न कुछ धन भी व्यय होता ही है। इसलिये इस धन का सदुपयोग रहे और ऐसी बात करें कहें जिससे उनका लाभ हो, उनके दल की इज्जत बढ़े और साथ ही साथ हमको भी लाभ हो और प्रदेश की जनता को भी लाभ हो लेकिन ऐसी कोई बात उनकी तरफ से अभी तक नहीं की गयी अधिकतर सदस्यों ने मनगढ़ंत बातें कहीं या ऐसी बातें कहीं जिनका कोई आधार नहीं है। अभी मदनमोहन जी ने कहा कि सरकार ने इस सदन में कहा था कि जिला अल्मोड़ा में कुछ टेस्ट वर्क्स होंगे लेकिन हुए नहीं। मुझे दुख है कि उनको अपने जिले की बाबत इतनी अनभिज्ञता है। उनकी जानकारी के लिये मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमारे यहां दानपुर, नाकुरी और मुगरांव पट्टियों में ओले पड़े जिसके फलस्वरूप ४५ हजार रुपये टेस्ट वर्क्स पर खर्च किये गये और वहां पर धर्मघरथल और धर्मघर सनेती सड़कें बनाई गईं। अगर उन्हें यकीन नहीं है तो वे सड़कों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। वह रानीखेत से हटने की चेष्टा करें तो इन सड़कों को आंखों से देख सकते हैं। ऐसी बातें कहना जिनकी जानकारी उन्होंने प्राप्त करने की कोशिश नहीं की और बड़ी जिम्मेदारी का पहनावा उनको पहनाना यह कहां तक उचित है। मैं समझता हूं कि यह न उनको शोभा देता है और न इस भवन को शोभा देता है। साथ ही कुछ सड़कों का जिक्र करते हुए आपने कहा कि सरकार की ओर से रुकावट हो रही है, अगर सरकार कुछ चट्टानों को काट देती तो वह इस दुनिया में एक नई चीज पैदा कर देते। मैं अपने काबिल दोस्त से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा विनम्र निवेदन करूंगा, यह ठीक है कि सरकारी काम में जो काम करने का तरीका उससे कभी काम में देर हो जाती है लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि जहां तक जनसंघटन का सम्बन्ध है, वह तो उपाध्याय जी हर समय कर ही सकते हैं मैं यह मानता हूं कि कहीं २ फर्लांग और कहीं ४ फर्लांग चट्टान पड़ती होगी जिसका काटना आवश्यक है, जिसको जनता नहीं काट सकती है लेकिन जहां चट्टान नहीं है उसको काटने में कौन सी रुकावट आती है, वहां तो वे सड़क बनवा देते, मेरा ऐसा ख्याल है कि वह अगर बागेश्वर की तरफ तशरीफ ले गये होंगे तो वहां जो दानपुर सड़क बन रही है वहां भी चट्टान नहीं काटे हैं लेकिन जहां चट्टान नहीं थे वहां सड़क बना दी गयी, यह काम दानपुर के कांग्रेस वालों ने ही किया है। विरोधीदल का काम, काम करने का नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट पर कीचड़ उछालने का और बात बनाने का है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जब कभी वे ऐसी बात कहते हैं तो उसे सचाई का जामा पहनाने की चेष्टा न करें। मैं समझता हूं कि कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, उपाध्यक्ष जी को बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। वे काम करने का सबक अपने जिले से सीख सकते हैं और जो काम दानपुर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हुआ है, उससे वह सबक सीख सकते हैं। अगर वह वाकई सेवा करना चाहते हैं तो वह मिसाल ले सकते हैं। अगर वह काम करने

[श्री भूपाल सिंह खाती]

लगेंगे तो मैं समझता हूं कि मनगढ़न्त बातें करना वे भूल जायेंगे। काम करने से उनको अनुभव होगा और उनमें ज्यादा जिम्मेदारी भी आ जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ पूरक बजट के सम्बन्ध में यहां पर विरोधी दल की ओर से कहा गया। वे बातें बजट से कोई सम्बन्ध नहीं रखतीं। मैं तो यह समझता हूं कि शायद जो मांगें सरकार की ओर से इस सदन में रखी गई हैं अगर उनके सम्बन्ध में उनकी उपयोगिता, औचित्य और अनौचित्य पर विचार किया जायगा और परामर्श किया जायगा तो कोई दो राय नहीं हो सकतीं। लेकिन मुझे अफसोस है कि उनका जिक्र तक नहीं किया गया। कुछ सैद्धान्तिक बातें कही गईं और कहा गया कि यह सिद्धान्त के प्रतिकूल है। बार-बार पूरक बजट का आना अनुचित है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन उसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि कोई भी आर्थिक सिद्धान्त किन्हीं मौलिक आधारों को लेकर बनता है और जहां वह मौलिक आधार बदल जाते हैं तो उस आर्थिक सिद्धान्त को हम आगे नहीं चला सकते हैं। हमें अपने प्रदेश की स्थिति को देखना चाहिये। हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पर हमें बहुत जल्दी अपनी जनता को आगे बढ़ाना है। उनकी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति करनी है। जब हमारे पास साधन बहुत कम हैं और हम ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सकते कि साल भर में हमारे पास कितने साधन उपलब्ध हो जायंगे और कभी-कभी तो माननीय सदन को स्मरण होगा ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनका हमें पहले से कुछ भी आभास नहीं होता और उनके लिये हमें रुपया खर्च करना पड़ता है। कुछ सहायता हमारे इस प्रान्त को बाहर से मिलती है जो विदेशों से आती है। जो अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समितियां हैं उनके द्वारा वह सहायता हमको मिलती है और हमसे यह मांग की जाती है कि इतना योग आप दें तो आपके यहां यह काम होना चाहिये। ऐसी स्थिति में शुरू साल में हमें पूरे साधनों का ज्ञान नहीं हो सकता और अगर समय-समय पर इस सदन के सामने कुछ पूरक मांगें सरकार को रखनी पड़े, तो इसमें मैं समझता हूं कि आर्थिक सिद्धान्त का कोई उल्लंघन नहीं होता।

(इस समय ३ बज कर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आज हम विकास के युग में से गुजर रहे हैं। हम यह अनुमान नहीं कर सकते कि जनता हमें कितना सहयोग देगी। आज से ६ महीने पूर्व हम यह नहीं कह सकते थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी सड़कें, कुएं और दूसरी चीजों के विकास का निर्माण श्रमधन द्वारा हो सकेगा। जनता ने जहां हमको श्रमधन दिया वहां सरकार को भी इसकी आवश्यकता पड़ी कि वह उन चीजों को बरबाद न होने दे, उनको एक स्थायित्व दिया जाय और उनको ऐसे स्तर पर पहुंचाया जाय ताकि उनसे जनता को लाभ पहुंचे। पूरक मांगों में सब से ज्यादा मांगें (प्लानिंग) नियोजन के लिये ही मांगी गई हैं। ३४ लाख रुपये हमने नियोजन के काम में मांगा है। अगर उनमें कुछ कमोवेशी हुई तो इसके लिये सरकार के ऊपर कोई दोष देना एक तरह से वास्तविकता को छिपाना है।

इसी तरह से क्रिमिनल ट्राइब्स सेटिलमेंट के सिलसिले में आप देखेंगे कि कुछ महीने पूर्व हमने एक विधेयक पास किया। उसके अनुसार यह आदेश था कि उन लोगों को बस्तियों में बसाया जाय। जो अधिनियम इस सदन से पास किया जाता है, अगर उसके अनुसार कार्य नहीं किया जाता तब तो आप यह कहेंगे कि सरकार अधिनियमों का पालन नहीं कर रही है और जहां पालन करती है वहां यह कहना कि पूरी मांगें आती हैं यह एक असंगत बात है। मैं तो समझता हूं कि कोई जिम्मेदार आदमी इस बात को नहीं कहेगा।

इसी तरह से इस सदन में कहा गया कि जमींदारों को मुआविजा नहीं मिल रहा है। १२ लाख रुपये मुआविजे के लिये मांगे गये तो इसमें क्या आक्षेप की बात है जब कि

यह मंशा है कि जिनको मुआविजा देना है उनको जल्दी से जल्दी मुआविजा दे दिया जाय। अगर ऐसी मांग को पूरक बजट में रख दिया गया तो कोई अनुचित बात नहीं की गई।

एक बड़ी रकम फैमिन रिलीफ के लिये रक्खी गई। रोजमर्रा के प्रश्नों में समय-समय पर या आम बहस में पूर्वी जिलों और पहाड़ी इलाकों के बारे में कहा जाता है कि वहां भुखमरी फैल रही है, गल्ला कम है, खाना नहीं पहुंच रहा है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। यहां इस मद में रुपये की आवश्यकता होगी। अगर इसके ठीक ठीक आंकड़े नहीं जाने गये तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ग़लती की बात नहीं है। यह तो मानव स्वभाव है और साधारण सी ग़लती है। इस बात को कोई भी लौकिक व्यवहार से बाहर की बात नहीं कहेगा, लेकिन इसी बात पर इतना ऐतराज किया गया और इसी को आधार बना कर मनगढंत बातें कह डाली गयीं। ऐसी बातें दूसरी जगह नहीं कही जा सकतीं जैसी कि इस सदन में कही गयीं और जिनका कि इस पूरक बजट से कोई सम्बन्ध ही न था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब हम साल भर के आय-व्ययक पर विचार करें तो इस बात का ध्यान रखें और हमारे सुझाव और हमारी बातें ऐसी हों जिनसे राजनैतिक पार्टियों का भी मान बढ़े और साथ ही साथ हम जैसे साधारण सदस्यों का ज्ञान भी बढ़े और कुछ लाभ प्राप्त हो।

श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे जिले के ठाकुर मलखान सिंह जी ने बजट पर बोलते हुए बड़ी जोर के साथ यह फरमाया कि पहिले खर्चा कर लिया जाता है और उसको पास पीछे कराया जाता है। मैं बचपन से ही ठाकुर साहब के साथ रहा हूं, वे हमारे जिले के बड़े नेता रहे हैं। कांग्रेस के प्रेसीडेंट रहे हैं और मुझे भी उनके जमाने में सेक्रेटरी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब कि कोई जरूरी काम होता तो उसके लिये पहिले ही रुपया खर्च कर लिया जाता था जब कि उसकी मंजूरी बात को ली जाती थी। जब कोई बात जरूरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी वही समझ सकता है जो उस काम को करता है। आज कांग्रेस की सरकार है और वह सरकार ही ठीक तरह से समझ सकती है कि कौन सा रुपया कहां और कैसे खर्च किया जाना चाहिये। उन्होंने कोड़ियागंज के वाकये का हवाला दिया। वह मेरे पास का है और मैं उस क्षेत्र से यहां असेम्बली में चुन कर आया हूं। उसके बारे में मेरा ठाकुर साहब को चैलेंज है। इसके बाद ठाकुर साहब ने कहा कि इस गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क हो जायगा। भला जिस सरकार को स्थापित करने के लिये ठाकुर साहब ने बचपन से लेकर अब तक बहुत से खतरे मोल लिये और हम जैसे सेवकों को अपने साथ लगा कर अपने देश की प्रतिष्ठा को रक्खा उस सरकार के बारे में कैसे कोई भला आदमी यह कह सकता है कि उस सरकार का बेड़ा गर्क हो जायगा। अगर प्रदेश की सरकार गर्क हो जायगी तो वे और हम कहां जायेंगे। इसलिये मैं कोड़ियागंज के वाकये को आप लोगों के सामने पेश करना अपना फर्ज समझता हूं। जो आदमी वहां कत्ल किया गया है वह एक बड़ा भारी डकैत था और जनवरी और दिसम्बर में जो जनरल इलेक्शन्स हुए थे उस समय वह डकैत साहब लाल टोपी पहन कर जीप में बैठ-बैठ कर सारे हल्के में घूमा करते थे और हर तरह से लोगों को वहां डराने की कोशिश की और वोट हासिल किये। ठाकुर साहब सरीखे आदमी को ऐसे आदमी के बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन अगर वे कहते हैं तो मैं भी अपना फर्ज समझता हूं उसके बारे में कुछ कहूं। मेरा दावा है कि बात उनकी बिल्कुल ग़लत है। यद्यपि मैं ठाकुर साहब की शान के खिलाफ कुछ भी कहना अच्छा नहीं समझता लेकिन फिर भी ऐसी बात कहना मनुष्य की मनुष्यता से बाहर जाना है। आज जो क़त्ल हुआ है उस हल्के में जाकर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां

[श्री नेत्रपाल सिंह]

कितना आतंक छाया हुआ है। एलेक्शन के जमाने में मैंने देखा और बाद में भी मैं वहां आता जाता रहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां जुए का अड्डा है, जहां सुबह से शाम तक शराब का दौर चलता रहता है और जुए खेले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य बहुत डिटेल में न जायं।

श्री नेत्रपाल सिंह---मैं तो सिर्फ अलीगढ़ की बात कह रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कभी नहीं चाहता कि खामख्वाह सदन का समय नष्ट किया जाय लेकिन मैं क्या करूं, मुझ से नहीं रहा गया जब कि एक ग़लत बात कह कर, सोलह आने ग़लत बात कह कर, हमारी सरकार को कोसा जाता है। यह मैं नहीं कह सकता कि सरकार से कोई ग़लती नहीं हो सकती। मैं तो हमेशा इस प्रकार का व्यक्ति रहा हूं और आज भी इस सदन के सामने हिम्मत के साथ और गौरव के साथ यह कहने के लिये तैयार हूं कि हर सरकार हर व्यक्ति को खुश नहीं रख सकती। मैं मान सकता हूं कि हमारी सरकार ने ग़लती की होगी हमारे लोगों में कमजोरियां हैं लेकिन जनाबवाला, गुलामी में रहते रहते हमारा मोरेल गिर गया है और मेरा दावा है कि हम निर्माण कार्य में लग जायं तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अधिक न कह कर जो सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सन् १६५२-५३ के बजट के वस्त्राडंबर में हमारी सरकार ने यह तीसरा पेवन्द लगाया है। आमतौर पर बजट बनाने के जो तरीके होते हैं उसमें दो सिद्धांत माने गये हैं। न तो व्यय वृद्धि होनी चाहिये और न बचत ही होनी चाहिये। लेकिन हमारी सरकार की सन् ४५,४६ से लेकर आज तक लगातार यह पराम्परा रही है कि वह पूरक अनुदानों के द्वारा अपने बजट में पेवन्द लगाती रही है। यह इस साल के बजट का तीसरा पेबन्द है इससे पेबन्द हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ लेकिन पुराने पूरक अनुदानों का हमारी सरकार को जैसा तजुर्बा रहा, उससे उसने कुछ लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। मैं भी पूरक अनुदान को मंजूर कर लेता लेकिन यह तो आप देखें कि पहले से पूरक अनुदानों से हमारी सरकार ने कितना फायदा उठाया है। इस संबंधमें एकाउन्टेन्ट जनरल ने समय पर पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की रिपोर्ट के जरिये बार-बार सरकार को सुझाव दिये हैं, चेतावनी दी है। यू०पी० के एकाउन्टेन्ट जनलरल ने कहा है, उदाहरणार्थ "मूल व्यवस्था ६० करोड़ से अधिक की न थी, कुल अंतिम व्यवस्था ६५ करोड़से अधिक की थी, कुल व्यय ६१ करोड़ से अधिक का था और नतीजा यह है कि ३ करोड़ से अधिक की बचत हुई है।" इसके बाद कंट्रोलिंग अथारिटीज के बारेमें एकाउन्टेंट जनरल का कहना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अलग-अलग एकाउन्ट भेजते हैं। उनका कहना है "कि विभागाध्यक्ष ऐसा रुख अख्तियार करते हैं मानो लेखा संबंधी विषय से उनका कोई मतलब ही नहीं है।"

मैं यहां पर बतला देना चाहता हूं कि ३८ मदें हैं जिनमें १४ तो प्रतीक मदें हैं, जो हमारा पुराना बजट रखा गया है और जिसको हम मंजूर कर चुके हैं। तो १४ मदें ऐसी हैं कि जो हमारे इसी वर्ष के बजट की बचत से नये काम में लगाई जांयगी। इससे साबित होता है कि एकाउन्टेन्ट जनरल की सलाह से कोई फायदा नहीं उठाया गया। जो पूरक बजट बनाये गये हैं उनके संबंध में ५ साल की रिपोर्ट मेरे पास है। कितनी ही बार पूरक अनुदान की मांग यहां पर आई है जब कि कितनी बार उन पूरक अनुदानों की आवश्यकता साबित नहीं हुई। यह एप्रोप्रियेशन कमेटी की रिपोर्ट पिछले पांच वर्षों की मेरे पास है उसमें से मैं कुछ सदन के सामने रखना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट की आवश्यकता नहीं थी लेकिन उनको लाया गया। पिछले सालों का जो अनुभव था उससे सरकार ने कोई फायदा नहीं उठाया। सन् १६४५-४६ में ऐसी ६ मदें थीं जिनके लिये बजट की

आवश्यकता नहीं थी। ४६-४७ में ५ मदें ऐसी थीं कि जिनके लिये आवश्यकता नहीं थी। ४७-४८ में ५ मदें थीं। ४८-४९ में ५ मदें थीं और ४९-५० में भी ५ मदें थीं और उनमें मुख्य यही ४९–५० की मदें हैं कि जिनमें सब से ज्यादा बचत हुई। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ७६ लाख रुपया मांगा गया था लेकिन ५२ लाख रुपया बेकार साबित हुआ क्योंकि उसका प्रयोग नहीं हुआ। जस्टिस के ऐडमिनिस्ट्रेशन में ८ लाख मांगा गया था लेकिन उसमें से पांच लाख बिलकुल बेकार रहा। इसी प्रकार से कुल मिलाकर ४९-५० के बजट में १२ मदें ऐसी थीं जिनकी बिलकुल आवश्यकता अन्ततो साबित नहीं हुई। उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी और सप्लीमेंटरी बजट में उनके रखने की आवश्यकता नहीं थी। अगर इस पुराने अनुभव से सरकार कुछ फायदा उठाती तो कम से कम ये मांगे हमारे सामने इस बजट में न आतीं जो कि आज पेश की गई हैं इसके अलावा और मैं आपसे क्या कहूं कि यह बजट जो रखा गया है उसमें कुल मिलाकर ३ करोड़ २५ लाख रूपये की मांग वार्षिक बजट से ज्यादा हैं। लेकिन फाइनेंस अकाउन्ट को देखते हैं तो जो हमारी पहली बचत है सालाना बजट को देखते हुये यह आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी बचत के होते हुये भी सरकार को इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि वह पूरक बजट हमारे सामने लाये। मिसाल के तौर पर कुल मिलाकर सवा तीन करोड़ की मांग इस पूरक बजट में की जाती है लेकिन वास्तविकता क्या है, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिये। सन् १९४६-४७ में अन्ततो सरकार को १६,९४,९८,००० रूपये की बचत हुई है, सन् १९४७-४८ में ३२, २७ लाख की और ४८-४९ में १० करोड़ ९५ लाख की बचत हुई और ४९-५० में में १० करोड़ ३२ लाख की बचत हुई है। इन पिछले चार सालों में लगातार सरकार के अकाउन्ट में देखने से यह मालूम होता है कि १० करोड़ से कम की बचत किसी साल नहीं हुई है। अगर सरकार घाटे का दावा करती या एक्सेस का दावा करती तब तो बात दूसरी थी लेकिन जब सरकारी आंकड़ों से यह मालूम होता है और एकाउन्टेन्ट जनरल की रिपोर्ट से मालूम होता है कि सरकार को कभी इस बात की आवश्यक्ता नहीं थी केवल लेखा जोखे की गलती थी या फाइनेंस डिपार्डमेंट की गलती थी तो उससे काम चल सकता था। इसके बाद यह गलती और ज्यादा साबित होती है। मेरे पास और उदाहरण मौजूद हैं। जब से हमारी कांग्रेस मिनिस्ट्री यहां पर आई है फाइनेंन्स डिपार्टमेंट की हालत बहुत खराब हो गई है। अकाउन्टेंट जनरल ने जो आब्जेक्शन उठाये हैं उन सब मदों की एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है। जहां अकाउन्टेंट जनरल के आब्जेक्शन्स १९४२-४३ में ५ थे वहां पर १९४९-५० में उनके आब्जेक्शंस ३० हजार गुना गये हैं। उन ५ आबजेक्शन्स का कुल टोटल ४,४२४ रुपये था और सन् १९४९-५० में १९६४१ मदें ऐसी हैं जिनमें आब्जेक्शन्स उठायें गये हैं। और अभी तक उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। और ये १९६४१ जो आब्जेक्शंस हैं ये इनवाल्व करते हैं १४,०३,११,४५३ रुपया। तो श्रीमन्, कहां पांच आउटस्टैन्डिग आब्जेक्शंस और कहां १९६४१ ? कहां ४,४२४ रुपया और कहां १४,०३,११,४५३ रुपया? तो इससे मालूम होता है कि हमारा वित्त विभाग सप्लीमेंटरी या पूरक या कोई बजट पेश करते समय कितनी होशियारी बरतता है और हमारा मंत्रिमंडल कितनी होशियारी बरतता है। अगर इस बात से हमारे वित्त मंत्री जी कुछ सबक लें तो शायद पूरक बजट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

इसके बाद, श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस पूरक बजट की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मिसाल के लिये मैं अनुदान संख्या १० की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। इसमें जल–विद्युत स्थापना के लिये व्यवस्था लिखी है। इसके पहले पैराग्राफ में लिखा है १९५१-५२ के बिल्कुल अन्त में सारदा बिजली घर में स्थिर यंत्र और मशीन लगाने के लिये एक विद्युत–उत्पादन डिवीज़न और ४४० नल कूपों की योजना के संबंध में एक ग्रामीण साइन्स डिवीजन बनाया गया। तो श्रीमन् १९५१–५२ में तो डिवीज़न बनाया गया और मंजूरी उसकी आज ली जा रही है। कोई कारण नहीं दिखता कि वह मार्च, सन १९५२

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

में बजट में क्यों न आया या जुलाई में जो बजट पेश किया गया उसमें क्यों नहीं आया या अक्तूबर या सितम्बर में जो सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया उसमें क्यों नहीं आया। आज हमारी सरकार को मालूम होता है कि सन् १६५१-५२ के अन्त में एक सारदा डिवीजन बना था और उसका खर्चा आज मांगा जा रहा है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके बारे में उनकी क्या राय है। क्या इसका आइडेंटीफिकेशन पहले नहीं हो सकता था। इसके साथ ही साथ मैं अनुदान संख्या १५ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सम्पूर्णानन्द शिविर के संबंध में उसमें लिखा हुआ है, (ड) में लिखा हुआ है— "जनोपयोगी योजनाओं में कैदियों को काम में लगा कर उन्हें फिर से बसाना"। मूल बजट में केवल २ लाख रुपये की इकट्ठी धनराशि की व्यवस्था उस समय की गई थी जब कि सम्पूर्णानन्द कैम्प के खोलने पर होने वाले व्यय के ब्योरेवार तखमीने उपलब्ध नहीं थे। अब यह आशा की जाती है कि वास्तविक व्यय बजट धनराशि से ३,२१,६०० रुपया अधिक होगा जिसके लिये पूरक मांग प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। तो इसमें श्रीमन् स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यय का ब्योरेवार तखमीना उपलब्ध नहीं है। श्रीमन् आप जानते हैं कि बजट का यह फंडामेंटल प्रिन्सिपिल है कि तब तक किसी मंजूरी के लिये बजट में अनुदान नहीं मांगना चाहिये जब तक एस्टीमेट्स ऐप्रूव न हो जायं। लेकिन इस मेमोरेन्डम के अन्दर हम देखते हैं कि एस्टीमेट्स का तखमीना तैयार नहीं हुआ और दो लाख रुपये की मांग सम्पूर्णानन्द कैम्प के लिये मांग लिया गया। इस इर्रेगुलरिटी का कोई जवाब माननीय वित्त मंत्री के पास है। इसके बाद श्रीमन् मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं अनुदान संख्या ३६ की तरफ जो शीरे के बारे में है। हमारा वित्त विभाग अच्छी तरह से जानता था कि यू० पी० की चीनी मिलों को सेस देना बाकी है। देवरिया के जिला मैजिस्ट्रेट ने एक पडरौना की चीनी मिल की सारी चीनी का स्टाक जब्त कर लिया कि चीनी के सेस का रुपया सरकार को नहीं मिला। लेकिन हमारी सरकार बजाय सेस में उसको डेबिट करने के उसको रेसीट में दिखलाती है और कहती है कि ६ लाख ६५ हजार रुपया जो सेस का है उसमें काट लेंगे।

हमारा वित्तीय विभाग इतना होशियार है कि बजाय उनसे रूपया मांगने के और रूपया देता है। अगर इसमें यह लिखा जाता कि यह शीरे का रूपया आप को हम देते हैं लेकिन आपके सेस के एकाउन्ट में जमा कर लेते हैं तो कुछ समझ में आ सकता था।

इसके साथ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं अनुदान नं० ४० की ओर जो और भी आश्चर्यजनक है। अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान "घ" कल्याण पुर, जिला कानपुर में स्थित अपराधशील जन जातियों की बस्ती में कपड़ा सिलने का एक कारखाना है। यहां पुलिस विभाग के लिये वर्दियां तैयार की जाती हैं। कल्याणपुर स्थित अपराधशील जन जातियों की बस्ती के लिये शीर्षक "वाणिज्य क्रियाओं" के अन्तर्गत मूल तखमीने में तीन लाख रूपये की व्यवस्था की गयी थी। अभी हाल में एकाउन्टेन्ट जनरल के अभिलेखों से उक्त बस्ती के लेखों का सत्यापन किया गया था। इस सत्यापन के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि १६४८-४६ के कुल सामानों को खरीदने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में कल्याण पुर बस्ती के नाम में २,४४,०८८ रु० १२ आना की धनराशि स्वीकृति की गई थी, जो अभी तक समायोजित नहीं की जा सकती।"

सन् १६४८-४६ का रूपया है जिसका कल्याणपुर बस्ती के लिये सामान खरीदा गया। वह १६५२-५३ के बजट ऐडजस्ट किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी के इस मेमोरेंडम में इसकी सफाई नहीं है कि यह ४६-५० के ५०-५१ और, ५१-५२के बजट में और इतने सप्लीमेंटरी निकले हैं उसमें क्यों नहीं ऐडजस्ट किया गया,। इस प्रकार की भयंकर असावधानी और भूल हम इस संबंध में देखते हैं। इसके अलावा अब मैं आप का ध्यान अनुदान

संख्या ४४ की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, यह ब्योरे का प्रश्न नहीं है सिद्धांत का प्रश्न है। इस प्रकार के छोटे बजट में इतनी वित्तीय अनियमिततायें हैं। और इसको तो वित्तीय मंत्री को समझाना ही पड़ेगा कि इसमें कैसे इतनी बड़ी खामी है।

पुन: एक अनुदान में लिखा हुआ है "कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत" यह धनराशि बजट में व्यवस्थि एक करोड़ रूपये की धनराशि से ४८,७३,००० रू० अधिक है। आगे लिखा है कि "बीज की खरीद और विभिन्न योजनाओं के लिये औजारों की खरीद के संबंध में व्यय के दोहराये तखमीने की धनराशि ६८,५०,००० रु० है। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में बीज औजार और उर्वरकों 'फर्टीलाइजरों' की खरीद पर कुल मिला कर १,४८,७३,००० रू० ६८,५०,००० रू० अर्थात् २,१७,२३,००० रू० व्यय होने का अनुमान है जब कि बजट में केवल १,८२,००,००० रु० की व्यवस्था की गयी थी।

श्रीमन्, यहां पर आप देखेंगे कि दो बजटों का जिक्र है। एक में तो लिखा है कि बजट में १ करोड़ की व्यवस्था थी। और दूसरे में लिखा है कि एक करोड़ ८२ लाख की व्यवस्था थी। कैसे हम इनको मंजूर करें? या तो कहीं जोड़ने में गलती है, या अकाउन्टिग में गलती है या इस अनुदान के बनाने में गलती है। इसी प्रकार आगे चलकर हम यह देखते हैं कि ग्रांट नम्बर ३८ में लेखन सामग्री और छपाई है। "घ--(१)" इसमें १९५१-५२ में प्राप्त सप्लाइयों के संबंध में ६,४४,२६४ रू० का व्यय सम्मिलित है जिसके नाम लिखे जाने वाले वाउचर १९५१-५२ में एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश और डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल नयी दिल्ली, से मिलने वालें थे, लेकिन वे मार्च, १९५२ ई० तक नहीं प्राप्त हो सके और इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष में एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश द्वारा उनका समायोजन कर दिया गया।

तो मार्च, १९५२ में जो वाउचर मिले थे यह समझ में नही आता कि जुलाई वाला जो मूल वजट था उसमें क्यों नहीं लिख दिया गया। जो सितम्बर, अक्तूबर में बजट आया उसमें भी समावेश नहीं किया गया। यह वित्त विभाग के प्रबंध के बारे में एक और उदाहरण मिलता है। श्रीमन्, मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं। एक स्पष्ट और उदाहरण देना चाहता हूं। जहां पर कांटिजेंसी फंड से ऐडवांस लेने का सवाल है, यह बड़े सिद्धांत का प्रश्न है कि किस प्रकार हम कांटिजेंसी फंड से ऐडवांस ले लें और उसको जमा न करें? नम्बर ४२ से संबंध रखता है। मैं इस संबंध में एक प्रश्न माननीय वित्त मंत्री से पूंछूगा कि जब एक बार हम कांटिजेंसी फंड से कोई ऐडवांस ले लेते हैं तो बिना इस बजट में उस धनराशि को रखे हुये कैसे उसे वापस कर सकते हैं? मैं अनुदान संख्या ४२ का छठा पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं--

"यह उचित समझा गया है कि राष्ट्र निर्माण का यह महत्वपूर्ण कार्य इस वर्ष २ अक्तूबर को जो महात्मा गांधी की जन्म तिथि है, प्रारम्भ किया जाय। उस समय चालू वित्तीय वर्ष के लिये इस अनुदान के अन्तर्गत होने वाले अपेक्षित व्यय का तखमीना ५२,९६,००० रुपया लगाया गया था और उस समय इसके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं थी और इसकी आवश्यकता के विचार में अग्रऋण के रूप में उक्त धनराशि आकस्मिक निधि से ले ली गयी थी। फिर भी वास्तव में पूरे जोर शोर से योजना के आरम्भ होने में कुछ समय लगा और अब यह आशा की जाती है कि १९५२-५३ में कुल व्यय ३१,७३,९०० रु० से अधिक नहीं होगा।"

अन्त में जाकर यह कहा गया है कि "इसलिये पूरक तखमीने में लेखे के इस बड़े शीर्षक के अन्तर्गत ३१,७३,९०० रु० की धनराशि सम्मिलित कर ली गयी है। विधान मंडल द्वारा इस मांग के स्वीकृत हो जाने पर ५२,९६,००० रु० की धनराशि आकस्मिकता निधि में जमा कर दी जायगी।"

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो प्रश्न उठता है कि जब हम एक बार ५२ लाख रुपया ड्रा कर चुके हैं कांटिंजेंसी फंड से और ग्रांट वह ३१,७३,००० की मांगते हैं तो किस प्रकार से यह आर्थिक दृष्टिकोण से नियमित कहा जा सकता है। हमको चाहिये तो यह था कि वित्त मंत्री जी और वित्त विभाग इस अनुदान के अन्दर ५२,९६,००० रुपया पैरा रखते तब यह अधिकार मिलता कि वह सारा का सारा रुपया कांटिंजेंसी फंड में जमा करें। तो मेरा कहना यह है कि अगर यह अनुदान मंजूर होती है तो फिर वित्त विभाग को अधिकार नहीं है कि ५२ लाख रुपया कांटिंजेंसी फंड में जमा करे। ३१,७३,००० रुपया ही कांटिंजेंसी फंड में रिफंड हो सकता है।

तो मैंने आपकी आज्ञा से वित्तीय अनियमितताओं के उदाहरण दिये। और भी ४,५ हैं लेकिन समय की कमी के कारण प्रस्तुत करना नहीं चाहता। मैं तो अन्त में आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री से और अपनी सरकार से यह निवेदन करना कर्त्तव्य समझूंगा कि हमें कोई भी इस बात की आपत्ति नहीं कि आप अनुपूरक बजट लायें। बार बार महीने महीने आप लायें, अगर आप आवश्यकता देखते हैं। लेकिन बजट के सिद्धांतों के अनुसार यह आवश्यक है कि वितीय अनियमिततायें न हों और इस प्रकार से वितीय अराजकता, फ़ाइनेंश्यल अनार्की पैदा नहो। अगर इसी प्रकार अनुपूरक बजट आते रहे तो हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति सुधर नहीं पायेगी। इसकी मिसाल भी मौजूद है। मान लीजिये हमारे डिपार्टमेन्ट्स ने ठीक तरह से एस्टीमेट्स नहीं लिये और हमने विभागों में वृद्धियां कर लीं, नतीजा यह होगा कि हमारा बजट ठीक नहीं होगा कभी घाटे होंगे, कभी बचतें होंगी और मैं कहूंगा कि कभी कभी जनता पर बेकार के टैक्स पड़ने लगेंगे जब कि बजट में उसकी आवश्यकता नहीं है तब भी टैक्स लगाने की मनोवृत्ति होगी।

इसलिये जनता के ऊपर पड़ते हुये वित्तीय भार को देखते हुये इस बात की आवश्यकता है कि हमारा वित्तीय विभाग अपने प्रबंध को ठीक करे, समुचित करे और इस प्रकार की वित्तीय अनियमिततायें इस तरह से बजट में आती हैं वह न हों।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि कल मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण के सिलसिले में जो शब्द कहे थे उनमें से कुछ वाक्यों के कारण कुछ मित्रों के मन में क्षोभ हुआ है। मैं जो सुझाव दूसरों को देता हूं उस पर स्वयं भी अमल करने की कोशिश करता हूं। जब मैंने कल यह कहा था कि अतिशयोक्ति से काम नहीं लेना चाहिये तो यद्यपि वह सलाह औरों को दी गई थी लेकिन मैं स्वयं अपने वास्ते उस सलाह को अपने सामने रखता हूं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि हमने उत्तर प्रदेश को किसी भी दृष्टि से स्वर्ग बना दिया है लेकिन यह मैंने जरूर कहा है कि इस बात को किसी दृष्टि से स्वीकार नहीं करता कि उत्तर प्रदेश नरक हो गया या हमने नरक बना दिया। उत्तर प्रदेश में गलतियां हैं कमियां हैं। शासन में बहुत सी कमियां हैं, हर मुहकमें में है, पुलिस में हैं, हर जगह हैं लेकिन साथ ही इसके मैंने यह कहा था और आज भी कहता हूं कि इन सब कमियों के होते हुये भी हमारा शासन ऐसा है कि जिसके ऊपर सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये हम गर्व कर सकते हैं। मैं उन सब कमियों को जानता हूं, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं और अगर नहीं जानता हूं तो जो माननीय सदस्य कहते हैं उनके कथन को ध्यान से सुनता हूं और मेरे ज्ञान में बराबर वृद्धि होती रहती है। माननीय सदस्यों के मुंह से जो बातें निकलती हैं वह निराधार होती हैं और गलत होती हैं, सब की सब गवर्नमेंट की आलोचना करने के लिये कही जाती हैं ऐसा मैंने कभी नहीं माना। मैं जानता हूं और ऐसा समझता हूं कि जितनी उत्तर प्रदेश की भलाई मैं चाहता हूं, जितनी इधर के बैठने वाले सदस्य चाहते हैं उतनी ही वह लोग भी जो उधर बैठने वाले हैं, चाहते हैं। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं। जो वह आलोचना करते हैं उत्तर प्रदेश की उस में बराबर इस बात

की कोशिश करता हूं कि उसकी आलोचनाओं में से तथ्य निकालूं और उस तथ्य से फायदा उठाऊं। कुछ तो इस तरह से अपने ज्ञान से और कुछ जो इस प्रकार ज्ञान का संग्रह होता है, उसके आधार पर गलती समझ में आती है उनको सुधारने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि बावजूद इन सब बातों के हमको उन लोगों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिये जो कि आज हमारे और आपके बल पर इस प्रदेश के शासन का काम चला रहे हैं। जो सरकारी अहलकार कहलाते हैं। हमको उनको न्याय भी देना चाहिये और जैसा कि अंग्रेजी में कहा गया है कि "Give the Devil even his due" जो मुहकमें हैं चाहे पुलिस हो, कोई मुकहमा हो, वह अगर अच्छा काम करता है तो उनको अच्छे काम के लिये श्रेय देना चाहिये। और मैं फिर कहता हूं कि हमारा काम इस तरह का है कि जिस पर हम सब अभिमान और गर्व कर सकते हैं।

जहां तक कि अनुपूरक बजट की बात है मेरा ख्याल शायद कुछ गलत होगा लेकिन हमेशा कुछ मेरा ऐसा ख्याल रहा है कि अनुपूरक बजट के सिलसिले में जहां तक हो सके, बहुत बड़े सिद्धांतों को नहीं उठाना चाहिये। उनके उठाने का समय या तो राज्यपाल के भाषण के सिलसिले में होता है या उस बजट के सिलसिले में होता है जो कि आज दो दिन के बाद हमारे सामने पेश होने वाला है। वही उसका मौका है। कभी कभी ऐसी बात है कि अनुपूरक बजट में भी ऐसी बात हो सकती है कि जिस किस्म की चीज मूल बजट में न आयी हो तो वहां पर सिद्धांत का प्रश्न पैदा होता ही है। परन्तु प्रायः ऐसा हो होता है कि अनुपूरक बजट में नयी नयी रकमें आती हैं लेकिन वैसी ही आती हैं जैसी कि मूल बजट में होती हैं। सिद्धान्तों की चर्चा तो प्रायः पहले हो चुकी है और मैं सिद्धान्त की बातों में नहीं जाऊंगा जिनकी चर्चा यहां की गई है। शासन के बारे में कुछ बातें कही गईं और उनके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो दूसरे मंत्रिगण हैं उनके पास भी बहस की रिपोर्ट जायगी और जो कुछ कमियां होंगी वे उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मैं सभी लोगों का जिक्र तो नहीं करता लेकिन मेरे पुराने साथी ठाकुर मलखान सिंह जी की चर्चा करना आवश्यक समझता हूं जो मेरे मित्र भी हैं। वे जो कुछ भी कहें, किधर भी बैठें और किसी रंग के भी कपड़े पहनें, मगर उनके लिये मेरे दिल में आदर है और मेरी तरफ से उन्हें खून भी माफ़ हैं। यह मैं जानता हूं कि उनका प्रभाव लोगों पर बहुत जबरदस्त पड़ता है चाहे वह ग़लत भी कहें। आज से ३ या ४ साल पहले की बात है पूर्वी प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से एलेक्शन था और हमारी ओर से श्री जगन्नाथ सिंह खड़े थे। वहां आजमगढ़ बलिया में ठाकुर साहेब कांग्रेस की ओर से काम करने के लिये गये और उनके पीछे पीछे मैं भी अर्दली के तौर से था। वहां एक इलाक़ा था जहां ठाकुरों की बस्ती थी। वहां ठाकुर साहब की जो स्पीच हुई वह मेरे दिल पर अंकित है। उन्होंने राजपूतों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस समय रानी लक्ष्मीबाई के एक हाथ में कटा हुआ सिर, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में लोहे का खप्पड़ और एक हाथ में भाला था तो दुश्मन हमारे सामने नहीं बढ़ सकता है। इस स्पीच का यह प्रभाव हुआ कि गिन गिन कर कांग्रेस को वोट मिले। किसी ने यह नहीं पूछा कि रानी लक्ष्मीबाई के ४ हाथ हो कैसे गये। लेकिन बावजूद इसके जब वह कहते कि अलीगढ़ के २४ थानों में हर थाने में बेईमानी और धोखेबाजी हो रही है तो इसे विश्वास करने में मुझे जरा दिक्कत होती है कि हमारे ठाकुर साहेब का व्यक्तित्व इतना जबरदस्त है कि जहां उनका साया पड़ जाता है वहां हर सरकारी अहलकार बेईमानी करता है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि कांग्रेसी या कांग्रेस के एम० एल० ए० की कोशिश से बात बात में सब इन्सपेक्टर्स और इंसपेक्टर्स के ट्रांसफर हो जाया करते हैं, अगर स्थानीय पुलिस वालों से काम नहीं चले तो आई० जी०, और मिनिस्टर तक के जरिये से बदल जाया करते हैं। मैं इधर कई महीनों से पुलिस का मिनिस्टर रहा हूं। अगर इस दौरान में उनके पास सबूत है कि मैंने किसी को ट्रांसफर कराया हो तो मैं पद छोड़ने के लिये तैयार हूं। और अगर वे सिद्ध नहीं कर सकते तो वे क्या करें यह मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं।

[डा० सम्पूर्णानन्द]

श्री नारायणदत्त जी ने कुछ आंकड़ों के लिये कहा। मैं बिल्कुल सद्भाव से कहता हूं कि नारायण दत्त जी का यह अयध्न करने का शौक़ बहुत अच्छा है। चाहे वे किसी पार्टी में हों, मुझे यह देख कर खुशी होती है क्योंकि हमारे यहां ऐसे लोगों की सचमुच कमी है जो कि गम्भीर रूप से अध्ययन करने के आदी हों। लेकिन मैं उनसे चाहे बड़ा हूं उम्र में इस नाते या किसी नाते समझें सलाह देता हूं कि वह जब अध्ययन करें तो केवल इसलिये न करें कि असेम्बली में खड़े होकर दो एक बातें कह दें जो सुनने में आलोचना के अच्छे वाक्य हों बल्कि और गहरा अध्ययन करें और इससे वे सचमुच अपना फायदा करेंगे चाहे किसी भी पार्टी में हों और उत्तर प्रदेश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सब चीजों को जानें समझें और बूझें। उन्होंने कहा कि पिछले तीन चार वर्षों में गवर्नमेंट को १० करोड़ का फायदा हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—फायदा नहीं बचत हुई।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बचत ही सही तो भी कहीं न कहीं तो खर्च के लिये अवेलेबिल हुआ होगा। किसी ने कहा है कि तीन प्रकार की गलत चीजें होती हैं — "लाइज, डैम लाइज ऐंड स्टैटिस्टिक्स"। यानी स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज है कि उन पर अगर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार न किया जाय तो जाने क्या उलटा सीधा अर्थ निकल सकता है। और डेलीबेरेटली कोई झूठ बोलना चाहें मैं नारायणदत्त जी के लिये नहीं कहना चाहता अपने लिये कहता हूं कि अगर इन स्टैटिस्टिक्स का गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण न करें तो जाने क्या अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यह बहुत ही सोचने की बात है। मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि गम्भीरता के साथ अध्ययन न करें और खाली इस रिपोर्ट से कुछ और बाकी उस रिपोर्ट से कुछ दे दें तो काम नहीं चलेगा। फीगर्स आपके सामने हैं यह तो है नहीं पुराने जमाने की तरह कि रुपया जमीन में गड़ा हुआ है और एक सांप रखा हुआ है उसको पहरा देने के लिये। वह तो खुली हुई चीज है लेकिन जिसको वह समझते हैं बचत, उसका पता नहीं लगेगा। हो सकता है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने कोई ग़लती की हो और रुपया कहीं ज्यादा खर्च कर दिया हो लेकिन इस वक्त यह मौका नहीं है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि १० करोड़ रुपया बचत जो उन्होंने कही है उसका कहीं पता भी न लगेगा। और अगर होता तो बहुत से गलत काम उनके ही शब्दों में गवर्नमेंट ने किये, उन गलत कामों में ही जाने कब का वह रुपया खर्च कर चुकी होती। खैर, उन्होंने दो तीन बातों का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि वह बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। ५२ लाख ९६ हजार रुपया कांटिन्जेंसी फंड में आया और ३१ लाख रुपये उसमें खर्च हुआ तो क्या बात हुई। ५२ लाख था ३१ लाख खर्च हुआ तो यह जो २१ लाख बचा वह सेविंग्ज में चला गया। उसमें से रुपया कहीं नहीं गया। कांटिंजेंसी फंड के क्या माने होते हैं। मूल बजट जब पास हुआ तो उसमें हाउस से एक करोड़ रुपया मंजूर कराया गया और साल के बजट में देखा गया कि १ करोड़ के बजाय ६० लाख रुपया खर्च हुआ तो ४० लाख रुपये की बचत हुई जो सेविंग्ज में गई। अब प्लानिंग में यह सोचा गया मान लीजिये कि ५२ लाख रुपया खर्च होगा और ३१ लाख रुपये ही उसमें से खर्च हुये तो २१ लाख रुपये सेविंग्ज में चले जायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जो ५२ लाख का ऐडवांस लिया गया था उसके लिये लेजिस्लेचर ने कोई मंजूरी दी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर मैं भूलता नहीं हूं तो ४ करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है। उसमें था कि गवर्नमेंट को अगर जरूरत होगी तो ४ करोड़ रुपये

तक निकल सकते हैं। जिस वक्त कंटिजेंसी फंड की जरूरत होगी उस वक्त लिया जा सकता है यह लेजिस्लेचर की मंजूरी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—बिना मंजूर वापस कैसे हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसी तरीके से कि ५२ लाख रुपये निकाले गये उस लेजिस्लेचर की मंजूरी के मुताबिक और ३१ लाख खर्च हो गये तो २१ लाख रुपये आटोमेटिकली सेविंग्ज में चले गये। उसमें हर मरतबे लेजिस्लेचर से पूछने की जरूरत नहीं है कि अब रुपया वापिस करें। वह कानून इसी हाउस का पास किया हुआ है कि जो रुपया खर्च हो जायगा उसके बाद जो बचेगा वह आटोमेटिकली वापिस हो जायेगा कोई पूछने की जरूरत नहीं है।

इसके बाद इस बात का भी जिक्र हुआ कि पीछे कई बार सप्लीमेंटरी बजट पेश किये गये। उनमें जो रकम मंजूर कराई गई वह खर्च नहीं हुई। तो यह तो इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट कितनी जागरूक रहती है। जिस वक्त सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया समझा गया कि इतना रुपया खर्च करेंगे लेकिन बाद को खर्च करते वक्त देखा गया कि इतने रुपये की एकोनामी हो सकती है तो उस रुपये को बचावें। इसमें कोई शिकायत की बात तो नहीं होनी चाहिये। उस वक्त तो शिकायत की बात हो सकती है जब कि जितना रुपया मांग लिया जाय उससे ज्यादा खर्च कर दिया जाय लेकिन जब कम खर्च किया जाय या बिलकुल खर्च ही न किया जाय तब तो बड़ी खुशी की बात है। बजाय क्रिटिसाइज करने के हमें धन्यवाद मिलना चाहिये। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

अब मैं एक दो बजट की सैद्धान्तिक बातों का जिक्र करूंगा। मालूम नहीं किस किताब के आधार पर बार बार जिक्र किया गया कि बजट के नियम, कानून तथा कायदों के खिलाफ यह बात हो रही है। मालूम नहीं किस पुरानी पोथी में यह बात लिखी हुई है। अगर किसी किताब में लिखी भी है तो वह बहुत ही पुरानी पोथी होगी और उसका इस बदलते हुये जमाने में कोई ख्याल नहीं किया जा सकता है। आज के बदलते हुये जमाने का ख्याल रखना चाहिये।

एक बात का अवश्य ख्याल रखा जाय कि ला तथा कानून स्टैटिक होते हैं और ह्यूमेन आफेयर्स हमेशा डाइनेमिक होते हैं यानी कानून से ह्यूमेन अफेयर्स हमेशा आगे रहते हैं और जो जीवित समाज होता है वह बदलते हुये जमाने में आगे बढ़ जाता है। इस वास्ते मुर्दा पुराने बजट को देखने से काम नहीं चल सकता है जीवित समाज को देखना चाहिये कि अगर समाज की स्टैटिक हालत है, कोई परिवर्तन की बात नहीं है, कोई चेंजेज नहीं हो रहे हैं, कोई सोशल तथा पोलिटिकल चेंजेज नहीं हो रहे हैं तब तो वही पुराना आरथोडोक्स बजटिंग सिस्टम बरता जा सकता है और कोशिश यह की जाती है कि आमदनी और खर्चे के हिसाब को दिखाने के बाद बजट में कुछ बचत रहे तो वह बहुत अच्छा बजट हुआ, सरप्लस बजट हुआ और खूब सोच विचार कर बजट बनाया गया और किसी चीज के बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दैवी प्रकोप हो गया तो बात दूसरी है, अन्यथा बदलने की जरूरत नहीं है।

अब वह पुराना जमाना नहीं रहा। इस बदलते हुये जमाने में यह पुराना आरथोडोक्स बजटिंग सिस्टम खत्म हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि और भी तरीके काम में लाये जाते हैं। जर्मनी का किस तरह से सुधार हुआ। रूस का किस तरह से सुधार हुआ। हमें ताज्जुब नहीं होगा अगर हमारे यहां हिन्दुतान में भी हैज्थोडोक्स बजटिंग से काम लेना। इसकी जरूरत पड़ सकती है। यह एक नये जमाने की चीज होती है। इसी सिलसिले में सप्लीमेंटरी बजट का जिक्र आता है। जब एक सी हालत है तो वह चीज वैसे ही रह सकती है

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

और उसमें किसी चीज के बदलने की जरूरत नहीं पड़ सकती है लेकिन जब हालत बदलती रहती है तो एक बार नहीं कई कई बार सप्लीमेंटरी बजट पेश करने की जरूरत हो सकती है। अगर गवर्नमेंट साल में केवल एक ही बार सप्लीमेंटरी बजट पेश करे तो इसके माने यह हुये कि गवर्नमेंट बैठी रहे और साल भर में सिर्फ एक बार सप्लीमेंटरी बजट पेश कर दे। यह किसी कानून के खिलाफ न हो लेकिन लेजिस्लेचर के लिये यह बात अनुचित होगी गवर्नमेंट को चाहिये कि लेजिस्लेचर के सामने दो तीन बार सप्लीमेंटरी बजट ले आये ताकि लेजिस्लेचर को पता लगता रहे कि पिछले तीन चार महीनों में क्या क्या बातें हुईं जब कि हमने पिछले बजट पर बहस की थी। उसके बाद से अब नई बात क्या हुई है ताकि गवर्नमेंट को रास्ता बतलावें कि यह एक विधि होती है, एक अवसर पर होता है। इसलिये यह जरूरी बात होती है कि सप्लीमेंटरी बजट एक बार ही नहीं बल्कि २,३ बार लेजिस्लेचर के सामने पेश किया जाय और इसकी जरूरत पड़ जाती है। मस्लन अभी एक मित्र ने जिक्र किया कि दैवी प्रकोप के ऊपर किसी का वश नहीं है। किसी जिले में फसल खराब हो गई कोई पहले से जानता नहीं है कि फसल कहां खराब होगी। इसको कोई फोरसी नहीं कर सकता है। इसके प्रबन्ध करने के यह माने नहीं हैं कि लेजिस्लेचर को बिठाया जाय और तब रुपया खर्च किया जाय, इसी तरह से किसी दैवी बीमारी का प्रकोप हो जाता है या कोई एपीडेमिक फैल जाती है तो ऐसे मौके पर रुपया खर्च करना होगा। बहुत से अस्पताल हैं जो एक साल के बीच में यकायक ग्रांट के लिये दरख्वास्त देते हैं। अब क्या किया जाय। क्या उनसे यह कहा जाय कि आपने शुरू साल में दरख्वास्त नहीं दी, अब चाहे अस्पताल में मरीज मर जायं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं किया जायगा। अगर साल के बीच में कोई दरख्वास्त आती है तो गवर्नमेंट को उसे इन्टरटेन करना पड़ता है चाहे झक मार कर उसे सप्लीमेंटरी डिमांड क्यों न पेश करना पड़े। बहुत से स्कूलों और अस्पतालों को जमींदार लोग पैसा दिया करते थे। यह मालूम नहीं था कि कितना पैसा देते थे। साल के बीच में अन्दाजा लगाया गया। जमींदारी खत्म हो गयी, मुआविजा बाद को मिलेगा, लेकिन स्कूल और अस्पताल तो आज ही बन्द हुये जाते हैं और इन्हीं कामों के लिये सप्लीमेंटरी बजट पेश करने की जरूरत होती है।

कई स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया से लिखा पढ़ी होती रहती है और साल के बीच में गवर्नमेंट आफ इंडिया कोई बात तय करती है। इसमें एक ऐसी ही रकम ६३ लाख रुपये की है जो कि बहुत बड़ी मालूम होती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया से बातचीत हुई, उनकी फर्म से बातचीत हुई फिर कहीं रुपये की जरूरत हुई। असल में यह रुपया तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से आने वाला है लेकिन चूंकि इसकी आपसे मंजूरी लेनी है इसलिये इसके खर्च में दिखाना पड़ा।

एक रकम ऐसी है जो हर साल आती और हर साल इसी तरह से आती रहेगी, वह मोटर विहीकिल्स टैक्सेशन की है जो हमेशा रोड़ फंड में शामिल होती है और क्योंकि उसको रोड फंड में शामिल करना चाहिये इसलिये उसकी मंजूरी सदन से लेनी होती है क्योंकि वह रकम खर्च में डाली जाती है। अब चूंकि उस रकम का हिसाब आखिर में लगता है तब ही उसका खर्चा दिखाया जाना भी मुमकिन हो पाता है। इसी तरह से और भी रकमें हुआ करती हैं।

बाज वक्त ऐसा होता है कि साल के शुरू में किसी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। हमें नहीं मालूम होता कि फलां बिल्डिंग या सड़क के लिये इतना रुपया चाहिये। अगर हम उसका रुपया पहले से ले लेते हैं और उस साल के अन्दर प्लान तैयार नहीं हुआ तो कहा जायगा कि रुपया ख्वामख्वाह लें लिया लेकिन अगर साल के बीच में

प्लान तैयार हो जाता है तो उसके लिये हम वह रुपया सप्लीमेंटरी डिमांड के जरिये से रख देते हैं। बाज वक्त कोई काम ध्यान में होता है तो उसके लिये टोकेन ग्रांट रख दी जाती है मसलन १०० रुपये में की रकम रख दी जाती है जिससे कि उस पर डिस्कशन हो जाय कि वह खर्चा किया जाय । इन्हीं कारणों से सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। इसलिये उसको कई किस्तों में पेश करना होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और मानते हुये कि उत्तर प्रदेश की भलाई में सबकी दिलचस्पी है, मैं आशा करता हूं कि आप इसको स्वीकार करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जिन अनुदानों के सम्बन्ध में मैंने आपत्ति की थी उनके सम्बन्ध में मुझे कोई जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---जो जवाब उन्हें देना था वह दे चुके।

विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---मैं दो तीन चीजों की सूचना दे देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि विशेषाधिकार समिति की म्याद समाप्त हो चुकी है अतः फिर से मैं पहिले ही सदस्यों को जिनकी कि संख्या १० थी, नामजद करता हूं। उनके नाम इस प्रकार हैं---

१---श्री हरगोविन्द पन्त, (उपाध्यक्ष), सभापति
२---श्री चरण सिंह सदस्य
३---श्री फूल सिंह ,,
४---श्री जुगुल किशोर ,,
५---श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ,,
६---श्री राधामोहन सिंह ,,
७---श्री अब्दुल मुईज खां ,,
८---श्री गेंदा सिंह ,,
९---श्री महाराजकुमार बालेन्दुशाह ,,
१०---श्री लोलाधर अष्ठाना ,,

याचिका समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---याचिका समिति के लिये भी मैं निम्नलिखित सदस्यों को नामजद करता हूं---

१---श्री हर गोविन्द पन्त
२---श्री विष्णु शरण दुब्लिश
३---श्री बाबूराम गुप्त
४---श्री इर्तिजा हुसैन
५---श्री नारायणदत्त तिवारी।

अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अधिष्ठाता मंडल के लिये मैं निम्नलिखित सदस्यों को नामजद करता हूं—

१—श्री बेचन राम गुप्त
२—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)
३—श्री कैलाश प्रकाश
४—श्री जयपाल सिंह
५—श्रीमती प्रकाशवती सूद
६—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल
७—श्री सुल्तान आलम खां
८—श्री सुरेश प्रकाश सिंह
९—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी
१०—श्री मलखान सिंह

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५४ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
१९ फरवरी, १९५३

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

	लम्बाई मील जरीब	रुपया जो खर्च हुआ है रु० आ० पा०
फरेंदा रेन्ज—		
१—फरेंदा से मोहनापुर रेलवे ढाला तक	१३ —	
२—गाड़ी सड़क उपरोक्त सड़क के समानान्तर	६ —	
३—सरहदी जन मार्ग वेस्ट लेंहरा ब्लाक	६ ४०	
४—जनमार्ग सरहदी तुन्दा १० से १६८ तक	२ —	
५—जनमार्ग गिरधरपुर गांव की सरहद से अदरौना गांव की सरहद तक	१ ६०	३३,००० — —
६—जंगल कम्पार्टमेंट ८ (बी) के कूप की सड़क	२ —	
७—परगापुर गांव से उदितपुर गांव की सड़क	५ —	
८—छितही ब्लाक की सरहदी सड़क	२ —	
९—भारी बैसी ब्लाक में तुन्दा २५ से क्लान नाला की सड़क	१ ४०	
१०—तुन्दा १५ से २५ की भारी बेसी ब्लाक की सड़क	१ ४०	
११—कैम्पियरगंज थाने से क्लान नाले की सड़क	१ ६०	
कुल मील	४३	
लक्ष्मीपुर रेन्ज—		
१—गाड़ी सड़क कुलवा-ढाला से मोहनापुर ढाला	६ —	११,७८८ १२ —
२—गाड़ी सड़क कुलवा-ढाला से बन्दोह नाला	३ —	
३—गाड़ी सड़क केवलापुर ढाला से चमैनिया साईनिंग	३ —	
४—रेन्ज कम्पाउन्ड और फारेस्ट गार्ड चौकी अचलगढ़ (ठीका पर)	— —	
कुल मील	१२ —	
कुल मील और व्यय	५५ —	४४,७८८ १२ —

नत्थी 'ख

(देखिए अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६५ पर)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

INDUSTRIES DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

February 20, 1952

No. 4200(S)XVIII—287(S)-48 —The Uttar Pradesh Technical Education Loans Rules published with Government notification no. **124(S)XVIII-287(S)-48**, dated November 16, 1950, have been revised and are herewith published for general information.

By order,
A. D. PANDE,
Secretary.

Uttar Pradesh Technical Education Loans Rules

1. These rules may be called "The Uttar Pradesh Technical Education Loans ."

2. These rules come into force at once,

3. A loan under these rules shall be ordinarily granted for technical and scientific education both in India and abroad, to a student of more than average ability having aptitude for such education, but with no adequate means to pursue the same, and enrolled in an institution or college which has been recognised by the State Government, provided he is a domiciled resident of Uttar Pradesh or a registered refugee not less than 18 years of age.

4. An application (*vide* Appendix A) for the grant of loan shall be made in the prescribed form to Secretary to Government in the Industries Department through the Head of the Institution in which the applicant is enrolled and the Director of Cottage Industries and such application shall be accompanied with certificates as regards character, age, domicile, physical fitness and antecedents of the applicant and the solvency of the persons named as sureties in the application, from the District Magistrate of the district in which the applicant or the sureties , as the case may be, reside.

5. Applications made under rule 4 shall be placed before a Selection Committee consisting of the Industries Secretary, the Finance Secretary, the Public Works Department Secretary and the Development Commissioner and the Committee shall, if necessary, after interviewing the applicants recommend to the Government the name or names of applicants suitable for the grant of loan. In making their recommendation the Committee shall give preference to those applicants who have not earned any scholarship by virtue of their position in examination. The final selection shall be made by the Government in the Industries Department.

6. A loan shall be granted to an applicant in accordance with his requirements, but shall in no case exceed Rs.5,000 for training in India, or an amount equivalent to Rs.10,000 for training in foreign countries.

7. A loan granted under these rules shall bear interest at the rate of one per cent. per annum.

8. The Director of Cottage Industries, Uttar Pradesh, shall be the disbursing authority of the loan. Payment to applicants shall ordinarily be made in quarterly instalments. The Director of Cottage Industries may, however, on the recommendation of the Head of the Institution where the applicant is enrolled, order the payment to be made in monthly instalments.

9. The payment of instalments to an applicant may at any time be stopped by the State Government on his failure in any recognised examination or on receipt of an unsatisfactory report about his progress in studies, from the Head of the Instituition in which he is enrolled and all orders in this behalf shall be immediately communicated to the Accountant General, Uttar Pradesh. The Director of Cottage Industries, Uttar Pradesh, shall obtain quarterly progress reports in respect of the applicant to whom the loan is granted from the Heads of Institution concerned and forward copies thereof to the State Government for their information.

10. An applicant selected for the grant of loan under these rules shall, within fifteen days of the receipt of sanction of loan get his life insured for the amount granted to him and hypothecate his insurance policy to the Government. The Director of Cottage Industries shall keep in his safe custody the policy so hypothecated and shall, by making deductions from the loan instalments granted to the applicant under rule 8, pay the premiums falling due on the said policy during the entire period over which the instalments are spread and the cost of remittance of such premiums.

11. **Before** a loan is advanced, the applicant and the sureties mentioned in rule **4 , shall** sign an agreement in the prescribed form (*vide* Appendix B) in favour of the Governor of Uttar Pradesh covenanting to abide by the following terms :—

(*a*) that the loan shall be utilized for the purpose for which it is granted and for no other purpose;

(*b*) that the loan together withinterest shall be repaid in instalments fixed by the sanctioning authority and in the event of default of any one instalment the whole amount then remaining due on account of principal and interest shall become immediately payable;

(*c*) that the grantee shall pay interest on the sum advanced at the rate of one per cent. per annum.

(*d*) that the applicant shall furnish a quarterly statement of full accounts to the Director of Cottage Industries, Uttar Pradesh, through the Head of the Institution in which he is enrolled showing how the loan has been spent by him;

(*e*) that on the applicant's failure to pay the instalments fixed by the sanctioning authority or to fulfil any term or condition on which the loan is granted, the State Government shall have power to realise the sum due from the grantee or his sureties, jointly and severally and either personally or by sale of their property;

(*f*) that the applicant shall pay the stamp duty payable upon the agreement under the law for the time being in force;

(*g*) that the applicant shall keep the insurance policy hypothecated to Government alive until the loan together with interest thereon is paid off in full;

(*h*) that the payment of instalments of loan to the grantee may at any time be stopped on his failure in any recognised examination or on receipt of an unsatisfactory report about his progress in studies, from the Head of the Institution in which he is enrolled.

12. The Accountant General shall submit to Government annually on September 30 a statement in the appended form (*vide* Appendix C) showing the details of the loan advanced and borne on his books.

(*a*) A loan shall be repaid in such instalments as may be specified by the sanctioning authority in the order granting the loan. The maximum period within which a loan together with interest is to be repaid shall ordinarily not exceed seven years.

(*b*) The repayment of the loan shall be made to the Director of Cottage Industries, Uttar Pradesh, and shall commence one year after the date of payment of the last instalment to the applicant.

(*c*) The period within which a loan is to be paid mentioned in sub-rule (*a*) and the time for commencement of repaying mentioned in sub-rule (*b*) may be extended by one year by the Director of Cottage Industries, Uttar Pradesh, on an application made in this behalf by the applicant concerned. The State Government may, however, in exceptional circumstances, on the recommendation of the Director of Cottage Industries grant further extension to an applicant for such period as they may consider proper.

13. The rules in paragraphs 221—228 of the Financial Handbook Volume V, Part I, relating to conditions of repayment, forms of drawing and repaying each loan, calculation of interest in defaults in payment and enforcement of compound interest upon overdue instalments shall, as far as possible, apply to all loans advanced under these rules.

APPENDIX A

Form of Applications for loans to Students for Technical and Scientific Education

1. Name and address (in BLOCK letters).
2. Age and date of birth.
3. Place of birth and nationality (where necessary a certificate of domicile must be attached).
4. Religion.
5. Name of the Institution attending and particulars of the examinations passed.

Name of high school, college, university, etc.	Date of entering	Examinations passed	Class or division	Subjects taken

6. Any additional qualifications not covered in column 5.
7. (*a*) Name of parent or guardian (with relationship).
   (*b*) Business or profession of a parent or guardian.
   (*c*) Monthly income of parent or guardian.
   (*d*) Capacity of parent or guardian to support the applicant.
8. Particulars of the course for which the loan is required, and arrangements made for the training.
9. Amount of loan required.
10. Duration of the course of study of the subject.
11. Aim of the training and prospects of employment after training.
12. Are you in receipt of any pecuniary assistance from any other quarter? If so, give details.
13. Give below the names of two solvent persons who are to become sureties for repayment of the loan together with interest that may accrue thereon.

    (1) Name
        Status
        Address
    (2) Name
        Status
        Address

14. Any general remarks that you may have to offer (if the space below is not sufficient attach a separate sheet).

Date.....

Place .....

Signature of applicant.

APPENDIX B

THIS AGREEMENT made on the ——————————day of ——————————BETWEEN——————————,son of ——————————, caste——————————resident of —————————— (hereinafter called "the Borrower"), a minor acting through——————————, son of——————————, caste——————————, resident of——————————and —————————— son of——————————. ——————————, caste—————————— resident of—————————— ——————————(hereinafter called "the Sureties") of the one part AND the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called "the Creditor") of the other part ;

WHEREAS the Borrower has applied to Uttar Pradesh Government for the advance of a loan of Rupees—————————— repayable with interest at——————————per cent. per annum by instalments hereinafter specified for prosecuting studies in—————— —————————— at ——————————

AND WHEREAS the Creditor has agreed to advance the aforesaid loan subject to the conditions herein after appearing;

AND WHEREAS in consideration of the Creditor having agreed to advance the aforesaid loan to the Borrower the sureties have agreed to guarantee payment of the said sum in accordance with the terms of this Agreement ;

NOW THIS DEED WITNESSES as follows:

I. In pursuance of the said Agreement and in consideration of the sum of Rupees——————————advanced by the Creditor to the Borrower (the receipt of which he hereby acknowledges) the Borrower covenants with the Creditor as follows:

(1) the Borrower will pay to the Creditor the said sum of Rupees—— ——————————with the interest thereon at the rate of—————— ——————————per cent. per annum computed from the date hereof by——————————instalments of principal and interest combined of Rupees—————————— each payable on the following dates :

	Instalment	*Due date*
First instalment	..	——————————
Second instalment	..	——————————
Third instalment	..	——————————

(2) the Borrower shall furnish a quarterly statement of full accounts to the Director of Cottage Industries, Uttar Pradesh, through the Head of the Institution where he studies, showing in detail how the aforesaid sum is being spent;

(3) the Borrower shall spend the loan hereby advanced to him for the purpose of————————————and for no other purpose whatsoever ;

(4) the Borrower shall pay stamp duty payable on this deed;

(5) that the Borrower shall truly observe the Technical Education Loans Rules promulgated by the State Government and for the time being in force and these and all subsequent amendments thereof shall at all times be binding on the Borrower;

(6) that the Borrower shall within 15 days from the date of this bond get his life insured for an amount equal to the amount advanced and shall hypothecate the policy to the State Government. The Director of Cottage Industries, Uttar Pradesh, shall, on behalf of the State Government, pay the premium thereon during the period of training by suitable deductions from the instalments payable to the Borrower. The Borrower further binds himself that he shall keep alive the policy after the period of training and till such time as the loan is completely repaid to Government;

(7) if any of the instalments aforesaid shall be in arrears in whole or in part, the whole sum then remaining due to the Creditor under the deed on account of principal and interest shall thereupon become payable at once and the Borrower and the sureties shall be jointly and severally liable to pay the same.

II. It is hereby agreed and declared that in case of default in the payment of such sum on account of principal and interest as may become due under the covenants hereinbefore contained or in case of the breach of any of the conditions by the Borrower herein contained, the Creditor may realize the sum then due to him on account of this loan as arrears of land revenue by sale of the property belonging to him and or the sureties without having recourse to any proceeding in a civil or revenue court in respect thereof.

IN WITNESS WHEREOF the Borrower, the sureties and————————————————————on behalf of and————————————acting under the authority of the Creditor have signed this deed on the day and year first above written.

————————————

Borrower

————————————

Surety

————————————

Surety

Witnesses :

(1)

(2)

For and on behalf of the Creditor.

APPENDIX C

Form for maintenance of accounts of loans advanced under the Uttar Pradesh Technical Education Rules.

Name of student receiving the loan	Amount of loan sanctioned	Rate of interest	Date of orders authorising the loan	Balance from last year	Amount advanced this year	Total	Amount repaid	Balance of loan at close of the year	Amount of interest received and credited to X X—interest—Interest on R—Miscellaneous Loans	Balance of interest unpaid
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rs. a. p.			Rs. a.p.	Rs. a. p.	Rs. a. p.	Rs. a. p.	Rs. a. p.	Rs. a. p.	Rs. a. p.

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६५ पर)

जिन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश एजूकेशन लोन के नियमों के अन्तर्गत सन् १९५२–५३ में ऋण दिया है —

क्रम-संख्या	नाम और पता	धनराशि	विषय जिसके लिये ऋण दिया हो
१	२	३	४
		रुपया	
१	श्री महेन्द्र वीर सिंह, कानपुर	५,०००	इंजिनियरिंग इन एरोनिश्किल कोर्स यू० एस० ए०
२	„ नरंजन सिंह चन्वा, आगरा	१,५००	रेफरिजियेशन कोर्स, लन्वन
३	„ आनन्द शंकर माथुर, मुरादाबाद	३,०००	इंजिनयरिंग बिरला कालेज, पिलानी
४	„ भक्त प्रसाद वर्मा, बनारस	३,०००	इंजिनियरिंग कालेज, बनारस
५	„ जगमोहनलाल गुप्ता, मुजफ्फरनगर	२,०००	„ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस
६	„ हरिशचन्द्र, लखनऊ	४,०००	इंजिनियरिंग, रुड़की, विश्वविद्यालय
७	„ तिलकराज, खोमरांना	३,०००	„ „ „
८	„ रमेशचन्द्र अरोरा, कानपुर	३,०००	„ खरगपुर इंस्टिटचूट
९	„ कुञ्जकान्त शुक्ला, कानपुर	३,०००	„ दयालबाग, आगरा
१०	„ रामकुमार, मेरठ	३,०००	सिवाम इंजिनियरिंग, रुड़की
११	„ लाजपतराम गुप्ता	३,०००	टेकनिकल ट्रेनिंग, रुड़की
१२	„ प्रेमनारायण माथुर, अजमेर	२,०००	माइनिंग इंजिनियरिंग बी० एच० यू०, बनारस
१३	„ एस० के संगल, रुड़की	३,०००	बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी से इंजिनियरिंग
१४	„ अविनाश चन्द्र गुप्ता, मुरादाबाद	३,०००	इंजिनियरिंग इन रुड़की
१५	„ सन्तकुमार, बी०, आगरा	३,०००	„ बिली कालेज, पिलानी

क्रम-संख्या	नाम और पता	धनराशि	विषय जिसके लिये ऋण दिया हो
१	२	३	४
		रुपया	
१६	,, महेशचन्द्र रस्तोगी, इलाहाबाद	२,०००	मेक्निकल इंजिनियरिंग, रुड़की
१७	,, सत्य प्रकाश, रुड़की	१,०००	बी० ई० एलिक्ट्रिकल, रुड़की
१८	,, हरिश्चन्द्र गुप्ता, झांसी	३,०००	इंजिनियरिंग, आगरा कालेज
१९	,, कन्हैया लाल पांडे, गोरखपुर	४,०००	,, कालेज, बनारस
	भारत में माइनिंग, मेटालाजी तथा जियालाजी		
२०	श्री राम श्याम अग्रवाल, फतेहपुर	४,०००	जियोलाजी और जियोफिजिकल एट खड़गपुर
२१	श्री चिन्तामणि सिंह, मथुरा	५,०००	एनिमल पेथालाजी में उच्च शिक्षा
२२	,, चन्द्र मोहन सिंह, हमीरपुर	३,०००	एम० बी० बी० एस० लखनऊ विश्व०
२३	,, प्रेमनाथ सत्संगी, आजमगढ़	२,०००	,, ,, ,,
२४	,, शुभ्र चिन्तामणि भार्गव, झांसी	३,०००	,, ,, ,,
	एग्रीकल्चर जूलाजी और एलाइट सब्जेक्ट (विदेश में)		
२५	,, ऋषिकेश सिंह	४,०००	हायर स्टडीज एवं प्लांट पेथालाजी, संयुक्त राज्य
२६	,, कमला प्रसाद सिंह, इलाहाबाद	२,२००	ट्रेनिंग इन वार्जी इन यू० एस०ए
	एग्रीकल्चर जूलाजी एण्ड एलाईड सब्जेक्ट (भारत में)		
		रुपया	
२७	श्री गोपाल प्रसाद वर्मा, मथुरा	१,०००	एम० एस० सी० (एग्रीकल्चर), आगरा विश्वविद्यालय

क्रम-संख्या	नाम और पता	धनराशि	विषय जिसके लिये ऋण दिया गया हो
१	२	३	४
	टेक्नालाजी (भारत में)		
		रुपया	
२८	श्री ओंम्प्रकाश मुद्गल, मुरादाबाद	८००	बी० एस० सी० टेक्नालाजी बांबे, विश्वविद्यालय
	वैज्ञानिक शिक्षा (विदेश में)		
२९	श्री रामकुमार गुप्ता, आगरा	४,०००	पी० एच० डी० क्रिस्ट्लोग्राफी में
३०	,, रुद्रपाल सिंह, इलाहाबाद	२,५००	रिसर्च, अमेरिका में
३१	,, ओ० पी० अरोरा	२,०००	माइनिंग मेटालार्जी
३२	,, राजाराम सिंह	३,०००	इंजिनियरिंग रुड़की, विश्वविद्यालय
३३	,, तेज नारायण शर्मा	२,०००	,, ,, ,,
३४	,, शिवदत्त निशीथ	३,०००	मेडिसिन,मेडिकल कालेज, लखनऊ
३५	,, कैलासनाथ श्रीवास्तव	२,०००	इंजिनियरिंग, रुड़की विश्वविद्यालय